VISIONIAS

www.visionias.in

MAINS 365

Classroom Study Material

सामाजिक मुद्दे

November 2015 – August 2016

Note: September and October material will be updated in November 1st week.

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1.महिलाओं से सम्बंधित मुद्दे _____ 6

1.1. कार्यरत महिलाओं के मुद्दे _____ 6

1.1.1. कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का अभाव _____ 6

1.1.2. मातृत्व अवकाश _____ 7

1.1.3. पितृत्व अवकाश _____ 9

1.1.4.पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन में अंतर _____ 10

1.1.5. महिला आरक्षण _____ 10

1.1.6. महिलाओं का फैक्ट्रियों में नाइट शिफ्ट में कार्य करना _____ 11

1.1.7.युद्धक भूमिका में महिलाएं _____ 11

1.2. महिलाओं के खिलाफ भेदभाव से संबंधित मुद्दे _____ 13

1.2.1. पुत्रों को प्राथमिकता _____ 13

1.2.2 महिलाओं के संपत्ति अधिकार _____ 14

1.2.3.धार्मिक स्थलों में महिलाओं का प्रवेश _____ 15

1.2.4. देवदासी प्रथा _____ 16

1.2.5. परिवार कानून में सुधार _____ 17

1.3. महिलाओं के विरुद्ध अपराध _____ 18

1.3.1. दहेज (Dowry) _____ 18

1.3.2 साइबर अपराध _____ 19

1.3.3.घरेलू हिंसा _____ 20

1.4 सरकारी पहलें _____ 22

1.4.1. यौन अपराधियों का पंजीकरण _____ 22

1.4.2.बलात्कार पीड़ितों पर राष्ट्रीय नीति _____ 23

1.4.3.राष्ट्रीय महिला नीति 2016 का मसौदा _____ 24

2. ट्रांसजेंडर _____ 26

2.1.ट्रांसजेंडर नीति _____ 26

2.2. ट्रांसजेंडरों के अधिकार _____ 27

2.3 ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016 _____ 27

3. जाति और जनजाति से संबंधित मुद्दे _____ 29

3.1. जाति से संबंधित मुद्दे _____ 29

3.1.1. दलितों के खिलाफ बढ़ती हिंसा _____ 29

3.1.2. संशोधित अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के लिए नियम _____ 30

3.1.3 दलित पूंजीवाद _____ 31

3.1.4.भारत में आरक्षण _____ 31

3.2.जनजातियों से सम्बंधित मुद्दे _____ 34

4. वृद्धजनों से सम्बंधित मुद्दे _____ 36

VISION IAS

4.1.भारत में वृद्धों की बढ़ती संख्या 36

4.2. बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र 37

4.3. वृद्धों पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव 38

5. विकलांगों से संबंधित मुद्दे 39

5.1. भारत में विकलांगता 39

5.2. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014 40

5.3. सुगम्य भारत अभियान 41

5.4 मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक, 2013 42

6. बच्चों से संबंधित मुद्दे 44

6.1. बाल अधिकार 44

6.2. यूनिसेफ: स्टेट ऑफ चिल्ड्रन रिपोर्ट 47

6.2.1. शिशुओं से संबंधित सतत विकास लक्ष्य 48

6.3. नाबालिग से बलात्कार के मामले में विशेष कानून की आवश्यकता और POCSO 49

6.4. चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध 51

6.5. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 52

6.6. भारत में दत्तक ग्रहण 53

6.7. बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 53

6.8. बाल विवाह पर जनगणना रिपोर्ट 55

7. स्वास्थ्य और रोग 57

7.1. स्वास्थ्य 57

7.1.1. भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली 57

7.1.2. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 60

7.1.3. वैश्विक पोषण रिपोर्ट 62

7.1.4 भारत में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या पर डब्ल्यू.एच.ओ. की रिपोर्ट 63

7.1.5 महिलाओं में हिस्टरेक्टमी के बढ़ते मामलेः एक सर्वेक्षण 64

7.2 रोग 65

7.2.1. भारत में गैर-संचारी रोग (NDCs) 65

7.2.2. मोटापा 67

7.2.3 मधुमेह 67

7.2.4. व्यवसायगत स्वास्थ्य जोखिम 68

7.2.5. एच.आइ.वी.-एड्स : 69

7.2.6. पोलियो की पुनरावृत्ति 70

7.2.7. मातृ एवं नवजात टिटनेस में कमी 72

7.2.8. इबोला महामारी का अंत 72

VISION IAS

7.2.9. एन.पी.सी.डी.सी.एस. (NPCDCS) के साथ होम्योपैथी/योग का एकीकरण 73
7.2.10. परंपरागत चिकित्सा पर भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच समझौता 74

8. शिक्षा *75*

8.1. नई शिक्षा नीति का प्रारूप 75

8.2. शिक्षा पर सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट 77

8.3. भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली 79

8.4. भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति देना 80

8.5. शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित मुद्दे 81
8.5.1. धारा 12 (1) (c) 81
8.5.2. अल्पसंख्यक विद्यालयों के साथ शिक्षा के अधिकार (RTE) की सुसंगति 82
8.5.3. शिक्षा का अधिकार (RTE) के अंतर्गत अनुत्तीर्ण न करने की नीति 82

8.6. अन्य मुद्दे 83
8.6.1. शिक्षा में असमानता 83
8.6.2. शिक्षा का व्यवसायीकरण 84
8.6.3. विद्यांजलि योजना 85

9. विविध मुद्दे *86*

9.1. सरोगेसी 86

9.2. पंजाब में ड्रग की समस्या 88

9.3. भारत में शादियों का बदलता स्वरुप 89

9.4. सामाजिक बहिष्कार का प्रतिषेध 90

9.5. नस्लीय असहिष्णुता 91

9.6. राष्ट्र और राष्ट्रवाद 92

9.7. मुसीबत में मदद करने वालों की सुरक्षा 93

9.8. सामाजिक नवोन्मेष 93

9.9. व्यक्तियों की तस्करी (निवारण, संरक्षण एवं पुनर्वास) विधेयक का मसौदा 94

9.10. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो आंकड़े, 2015 95
9.10.1. महिलाओं के विरुद्ध अपराध 95
9.10.2. मानव तस्करी के पीड़ित 95
9.10.3. बच्चों के विरुद्ध अपराध 96
9.10.4. दलितों के विरुद्ध अत्याचार 96
9.10.5. दंगे की घटनाएँ 96

10. विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न 98

2015 98

2014 98

VISION IAS

CSE 2013
CSE 2014
GAURAV AGRAWAL
AIR-1
NIDHI GUPTA
AIR-3
VANDANA RAO
AIR-4
SUHARSHA BHAGAT
AIR-5
AIR-1
TINA DABI
AIR-4
ARTIKA SHUKLA
AIR-6
ASHISH TIWARI
AIR-5
SHASHANK TRIPATHI
AIR-9
KARN SATYARTHI
Interview Guidance Prog
Foundation Course
All India PRELIMS MAINS Test Series
PT 365: 1 year Current Affairs Prog

1.महिलाओं से सम्बंधित मुद्दे

1.1. कार्यरत महिलाओं के मुद्दे

(Working Women Issues)

1.1.1. कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का अभाव

(Lack of Participation of Women in Workforce)

निष्कर्ष

- **अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी पत्र:** भारत में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी (female labour force participation,_FLFP) दर उभरते बाजारों और विकासशील देशों में निम्नतम दरों में से एक है।
- FLFP विशिष्ट रूप से उन महिलाओं की हिस्सेदारी के रूप में मापा जाता है जो कार्यरत हैं या काम की तलाश में हैं(कामकाजी आयुवर्ग की महिलाओं की आबादी के एक वर्ग के रूप में)।
- कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी कुछ क्षेत्रों में विषम है। उदाहरण के लिए:

✓ **असंगठित क्षेत्र**: भारतीय कामगारों का 90 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जहां महिलाओं के लिए न केवल मजदूरी कम है बल्कि लचीलापन प्रदान करने में, बच्चे की देखभाल में और मातृत्व अवकाश में असमर्थता महिलाओं द्वारा घर के बाहर काम की तलाश को हतोत्साहित करता है।

✓ **विनिर्माण और सेवा क्षेत्र:** महिलाओं के लिए ग्रामीण रोजगार का सिर्फ 18 प्रतिशत विनिर्माण और सेवा क्षेत्र से आते हैं।

✓ **कृषि**:इस क्षेत्र में महिलाओं की सर्वाधिक 75 प्रतिशत हिस्सेदारी है ।

✓ **ब्लू कॉलर नौकरियाँ**: महिलायें ब्लू कॉलर नौकरियाँ खो रही हैं, जबकि वाइट कॉलर नौकरियाँ प्राप्त कर रही हैं।

जनगणना 2011

- 2011 में, कुल 20.5% महिलाएँ संगठित क्षेत्र में कार्यरत थीं जिनमें से 18.1% सार्वजनिक क्षेत्र में और 24.3% निजी क्षेत्र में कार्यरत थीं।
- सभी आयु समूहों में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर ग्रामीण क्षेत्र में 25.3 और शहरी क्षेत्र में 15.5 थी जबकि इसी समय पुरुषों की श्रम शक्ति भागीदारी दर क्रमशः 55.3 और 56.3 थी।

श्रम शक्ति में कम भागीदारी के कारण

- **पुरुषों की आय में वृद्धि-** जैसे ही परिवार में पुरुष अधिक आय अर्जन शुरू करता है, महिलायें घर के क्रियाकलापों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़े काम को छोड़ देती हैं।
- **जाति कारक-** कुछ समुदायों में, विशेष रूप से कुछ ऊंची जातियों में, महिलाओं का घर से बाहर काम करना अच्छा नहीं माना जाता, विशेष रूप से अगर इसमें 'सेवक/तुच्छ' माना जाने वाला कार्य शामिल हो। यदि घर में पुरुष खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त कमाई कर रहे हैं तो महिलाओं पर कार्य छोड़ने के लिए पारिवारिक और सामाजिक दबाव बढ़ा दिया जाता है।
- **सुरक्षा संबंधी मुद्दे और कार्य स्थल पर उत्पीड़न-** भारत जैसे विकासशील देशों में महिलायें शोषण और उत्पीड़न के प्रति ज्यादा सुभेद्य हैं। वे उत्पीड़न के खिलाफ प्रभावी ढंग से लड़ने में असमर्थ हैं।
- माध्यमिक विद्यालयों में दाखिले के लिए कार्यशील आयुवर्ग की महिलाओं की संख्या बढ़ रही है।

VISION IAS

- देश में आर्थिक वृद्धि इस प्रकार के प्रकृति की है कि विभिन्न क्षेत्रकों में बड़ी संख्या में ऐसे रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है जो सरलता से महिलाओं के लिए उपलब्ध हो, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए।

कार्य स्थल पर और अधिक महिलाओं को कैसे लाया जाए?

- द्वितीयक और तृतीयक शिक्षा में लैंगिक अंतराल को पाटना।
- पुरुष प्रधान क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना।
- प्रमुख क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।
- महिला उद्यमियों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने के लिए वित्तीय क्षेत्र में पहुंच को बढ़ाना।
- निजी क्षेत्र के संगठनों में लैंगिक विविधता नीतियों (gender diversity policies) और कार्य प्रणाली को प्रोत्साहित करना।
- महिलाओं के लिए कानूनी प्रावधानों को सशक्त बनाना और इन कानूनों के प्रवर्तन को मजबूत बनाना।
- बुनियादी सुविधाओं के मुद्दों का समाधान करना।
- सामाजिक नजरिए और श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी के बारे में मान्यताओं में बदलाव लाना।

1.1.2. मातृत्व अवकाश

[Maternity Leave]

सुर्ख़ियों में क्यों?

- अगस्त 2016 में राज्य सभा द्वारा मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया गया। यह मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में मातृत्व अवकाश की अवधि और प्रयोज्यता तथा अन्य प्रावधानों में संशोधन करता है।

मातृत्व अवकाश क्यों महत्वपूर्ण है?

- नवजात शिशुओं को छह महीने तक स्तनपान बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस कदम से शिशु मृत्यु दर कम होगी।
- इसके अलावा WHO और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देश इस बात पर जोर देते हैं कि एक बच्चे को छह महीने की न्यूनतम अवधि के लिए अपनी माँ द्वारा पाले जाने की जरूरत है।
- संविधान का अनुच्छेद 42 सभी कामकाजी महिलाओं को मातृत्व लाभ की गारंटी देता है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- यह अधिनियम 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले सभी संस्थानों पर लागू है।
- **मातृत्व अवकाश की अवधि**: अधिनियम के अनुसार प्रत्येक औरत 12 हफ्तों के मातृत्व लाभ की हकदार होगी। प्रस्तावित विधेयक में यह अवधि बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गयी है।
- अधिनियम के तहत, इस मातृत्व लाभ का उपयोग डिलीवरी की अपेक्षित तारीख से छह सप्ताह से पहले नहीं किया जाना चाहिए। विधेयक में यह अवधि आठ सप्ताह कर दी गयी है।
- ऐसे मामले जिनमें किसी महिला के दो या दो से अधिक बच्चे हैं, को मातृत्व लाभ 12 सप्ताह के लिए दिया जाना जारी रहेगा, जिसका उपयोग डिलीवरी की अपेक्षित तारीख से छह सप्ताह से पहले नहीं किया जा सकता है।
- **दत्तक और कमीशनिंग माताओं के लिए मातृत्व अवकाश**: विधेयक के अनुसार निम्न स्थितियों में 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान करने का प्रावधान है:

✓ जब कोई औरत कानूनी तौर पर तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है;

VISION IAS

✓ जब कोई महिला **कमीशनिंग** माँ हो। **कमीशनिंग** माँ को जैविक मां के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके अंडे का उपयोग भ्रूण के निर्माण में हुआ हो तथा उसे किसी दूसरी औरत में प्रत्यारोपित किया गया हो।

- **घर से काम करने का विकल्प**: विधेयक के एक प्रावधान में यह कहा गया है कि नियोक्ता अवकाश अवधि के दौरान भी घर से काम करने के लिए किसी महिला को अनुमति दे सकता है।
- **क्रेच (शिशु गृह) सुविधाएं**: विधेयक के प्रावधान अनुसार, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाली प्रत्येक संस्था द्वारा एक निर्धारित दूरी के अंदर क्रेच की सुविधा प्रदान करवाना आवश्यक है।
- **मातृत्व अवकाश के अधिकार के बारे में महिला कर्मचारियों को सूचित करना**: विधेयक के एक प्रावधान के तहत संस्था द्वारा महिला कर्मचारी को उसकी नियुक्ति के समय उसके पास उपलब्ध मातृत्व लाभ के बारे में सूचित करना आवश्यक है।

विधेयक का आलोचनात्मक मूल्यांकन

पक्ष

- विधेयक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 14 सप्ताह के न्यूनतम मानक से अधिक 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान करता है। इससे मातृत्व अवकाश के लिए सप्ताहों की संख्या के मामले में भारत की रैंकिंग में सुधार होगा।
- इन संशोधनों से संगठित क्षेत्र में काम करने वाली 18 लाख महिला कर्मचारियों को मदद मिलेगी।
- इससे महिलाओं को उनके बच्चों के देखभाल के लिए समय उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी और भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी की दर (WLFPR) में वृद्धि भी होगी।
- मातृत्व अवकाश में 12 सप्ताह से 26 सप्ताह की कानूनन अनिवार्य वृद्धि से नई माताओं को अपने बच्चे के साथ बेहतर भावनात्मक जुड़ाव बनाने में मदद मिलेगी और यह ज्यादा समय तक स्तनपान के लिए उन्हें सक्षम बनाकर बच्चे का बेहतर पोषण और प्रतिरक्षा में वृद्धि सुनिश्चित करेगा।

दुनिया भर में मातृत्व अवकाश हेतु कार्यप्रणाली

- ब्रिटेन में माता-पिता बच्चे के जन्म के बाद छुट्टी के 12 महीनों को साझा करने के पात्र हैं।
- एशिया में, जापान प्रत्येक माता-पिता को एक साल की अवैतनिक छुट्टी प्रदान करता है।
- दक्षिण कोरिया में माता पिता दोनों को आंशिक भुगतान के साथ अवकाश की अनुमति देता है।
- यूरोप में, नई माताएँ ज़्यादातर 14 से 22 सप्ताह के वेतन-सहित अवकाश की हकदार हैं।

विपक्ष

- यह विधेयक बच्चे की देखभाल में माता को ही प्राथमिक देखभाल कर्ता मानता है और बच्चे के पालन में पिता की भूमिका की उपेक्षा करता है। यह लैंगिक भूमिका की रुढिवादिता का स्थायीकरण करता है अर्थात् पिता को नवजात के साथ समय बिताने की जरूरत नहीं है। संशोधनों में पितृत्व अवकाश के मुद्दे पर कोई ज़िक्र नहीं किया गया हैं।
- विधेयक में पुरुषों को शामिल नहीं किया है, यह नियोक्ताओं को अलग-अलग काम की स्थितियों के कारण महिलाओं से पुरुषों को अधिक भुगतान करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह भारतीय संविधान में निहित निर्देश "समान कार्य के लिए समान वेतन" से संगत नहीं है।
- विधेयक एकल पिता या ट्रांसजेंडर की उपेक्षा करता है जो किसी बच्चे को अपनाना चाहते हैं।
- यह विधेयक महिला कार्य बल की भर्ती से नियोक्ताओं को रोक सकता है, इस प्रकार महिलाओं को मुक्त बाजार के उद्यमों में पुरुष कर्मचारियों की तुलना में कम वांछनीय बना सकता है और रोजगार में लैंगिक अंतर को बनाए रखने में मदद करता है।

आगे की चुनौतियां

- छोटी कंपनियों को अब मातृत्व अवकाश भुगतान प्रदान करने के लिए बढ़े वित्तीय बोझ को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है।
- विधेयक के प्रावधान संगठित क्षेत्र तक ही सीमित हैं, इस प्रकार इससे कामकाजी महिलाओं की संख्या का एक चौथाई से भी कम लाभान्वित होंगी।

VISION IAS

- प्रस्ताव से युवा विवाहित महिलाओं का रोजगार प्रभावित हो सकता है।
- अवकाश पर महिलाएँ, बच्चे के पोषण की तुलना में घरेलू काम पर अधिक समय खर्च कर सकती हैं।
- लंबी छुट्टियों के कारण महिलायें कार्य-संबंधी विकास से संपर्क में नहीं रह पायेगीं और फिर से काम प्रारंभ करने के बाद अपने सहकर्मियों से पीछे छूट जायेगीं।

आगे की राह

- **सिंगापुर मॉडल:** इस मॉडल को अपनाने के पश्चात युवा विवाहित महिला को नौकरी पर रखने पर नियोक्ता का अधिक वित्तीय बोझ का भय समाप्त हो जाएगा। सिंगापुर में, महिलाओं को मातृत्व अवकाश के 16 सप्ताह में नियोक्ता आठ सप्ताह का भुगतान करता है और अगले आठ सप्ताह का भुगतान सरकार द्वारा नियोक्ता को वापस कर दिया जाता है।
- बच्चों की देखभाल में पिता की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। रोजगार विधेयक में समानता सुनिश्चित करने के लिए इसका विस्तार माता-पिता दोनों तक होना चाहिए। वे अपना अवकाश साझा कर सकें जैसा कि विश्व के कई देशों में होता है, ऐसा प्रावधान होना चाहिए।
- विधेयक का विस्तार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए भी करना चाहिए।
- नियोक्ता द्वारा महिला को कार्य पुनः प्रारंभ करने के पहले कुछ सप्ताहों तक कम कार्य बोझ, लचीले या कम कार्य के घंटे और घर से कार्य जैसी सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए। यह उन्हें कार्य पुनः प्रारंभ करने के बाद बिना हतोत्साहित हुए कार्य की गति को प्राप्त करने में मदद करेगा।
- 46 वें भारतीय श्रम सम्मेलन 24 सप्ताह के लिए मातृत्व लाभ की वृद्धि की सिफारिश की गयी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 8 महीने के लिए मातृत्व लाभ को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया।

1.1.3. पितृत्व अवकाश

[Paternity leave]

- मातृत्व अवकाश की तर्ज पर, पितृत्व अवकाश पुरुष कर्मचारियों को पिता बनने के दौरान दिया जाने वाला वैतनिक या अवैतनिक अवकाश है।
- यह सुविधा लंबे समय से कई पश्चिमी देशों में कर्मचारियों को दी जा रही है और अब भारत में भी इसकी माँग बढ़ रही है, इसलिये यह चर्चा का विषय बनता जा रहा है।

पृष्ठभूमि

- भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में 15 दिनों का पितृत्व अवकाश मिलता है, जबकि निजी क्षेत्र में पितृत्व अवकाश पर कोई कानून नहीं है।
- कम से कम 78 देश अपने पुरुष कर्मचारियों को विभिन्न तरीकों से यह लाभ प्रदान कर रहे हैं।

महत्व

- एकल परिवारों की संख्या में वृद्धि के मद्देनजर माता और पिता, दोनों की भागीदारी महत्वपूर्ण हो जाती है।
- इससे पालन पोषण की धारणा और आपसी संबंधों में परिवर्तन आएगा।
- इससे देख-रेख करने और अवैतनिक काम की दिशा में लैंगिक संतुलन दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा।
- गर्भावस्था के कारण आजीविका छोड़ने वाली महिलाओं की संख्या में कमी आएगी।
- यह पुरुषों को बच्चे के जन्म के समय से ही एक मजबूत रिश्ता बनाने का अवसर देता है।

पितृत्व अवकाश के लिए चुनौतियां

- भारत में निजी क्षेत्र में इसके लिए कोई मानक नीति नहीं है।
- पितृत्व अवकाश के महत्व की समझ और जागरूकता का अभाव है।
- कर्मचारियों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।
- पुरुषों के लिए पितृत्व अवकाश का लाभ उठाने के साथ जुड़ी हुई शर्मिंदगी भी इसे लागू करने में एक चुनौती है।

©Vision IAS

1.1.4.पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन में अंतर

[Pay Gap between Men and Women]

सुर्ख़ियों में क्यों?

ऑनलाइन सेवा प्रदाता 'मॉन्स्टर' (Monster) द्वारा हाल ही में जारी **वेतन सूचकांक रिपोर्ट** (Salary Index Report) भारत में वेतन में लैंगिक अंतराल पर प्रकाश डालता है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- लैंगिक वेतन अंतराल 27% है।
- पुरुषों को औसत सकल प्रति घंटा 288.68 रुपये वेतन मिलता है जबकि महिलाओं के लिए यह वेतन करीब 207.85 रूपए है।
- **क्षेत्रवार विश्लेषण**
- विनिर्माण क्षेत्र में लैंगिक वेतन अंतराल सबसे ज्यादा (34.9 फीसदी) है।
- यह बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा, परिवहन, लॉजिस्टिक तथा संचार में सबसे कम (17.7%)है।
- आईटी सेवा क्षेत्र में 34 प्रतिशत का एक बड़ा लैंगिक वेतन अंतराल है।

वेतन में लैंगिक अंतराल के पीछे कारण

- महिला कर्मचारियों के बजाय पुरुष कर्मचारियों को तरजीह
- पर्यवेक्षी पदों के लिए पुरुष कर्मचारियों की पदोन्नति
- **मातृत्व और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों** की वजह से महिलाओं के **कैरियर में रुकावट**।
- **लचीली कार्य नीतियों या विस्तारित अवकाश का अभाव**
- **पुरुष वर्चस्व वाले क्षेत्रों में अवसरों की कमी-** पुरुष वर्चस्व वाले क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी की कमी
- महिलाओं द्वारा **"ग्रास सीलिंग इफ़ेक्ट"** का सामना किया जाना

1.1.5. महिला आरक्षण

[Women Reservation]

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 2016 के प्रारंभ में, बिहार सरकार ने राज्य सरकार की सभी नौकरियों में, सभी स्तरों पर सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रस्तावित किया है।

बिहार में इसकी जरूरत क्यों है?

- बिहार में कार्यशील आयु की महिलाओं की श्रम दर भागीदारी 9% है, जो भारत में निम्नतम में से एक है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह औसत 33% है।
- बिहार में अनौपचारिक रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी, राष्ट्रीय औसत 31% की तुलना में 50% है। यह लैंगिक असमानता का प्रमाण है।
- औपचारिक कार्य बल में बेहतर प्रतिनिधित्व के साथ निश्चित मजदूरी और आय से महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में मदद मिलेगी।
- कृषि आधारित राज्य बिहार में पुरुष साक्षरता 71.2 प्रतिशत और राष्ट्रीय महिला साक्षरता 65 प्रतिशत की तुलना में महिला साक्षरता 51.5 प्रतिशत है।

महिलाओं को आरक्षण की जरूरत क्यों है?

- महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी बहुत कम है।
- औपचारिक क्षेत्र में अवसरों की कमी है।
- निश्चित मजदूरी और आय के साथ औपचारिक कार्य बल में बेहतर प्रतिनिधित्व से महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में मदद मिलेगी।
- कानून बनाने वाले निकायों में महिलाओं को आरक्षण से यह सुनिश्चित होगा कि महिलाओं से संबंधित कानूनों या नीतियों के निर्माण के दौरान महिलाओं के हितों को बढ़ावा मिलेगा।

VISION IAS

- पंचायती राज संस्थाओं में अनिवार्य महिला आरक्षण से सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। महिलाओं ने अपने पंचायत में महिलाओं के कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं, उदाहरण के लिए, गुजरात के एक गांव से निर्वाचित पहली महिला सरपंच, मीना बहन ने एक सड़क का निर्माण करवाया है, क्योंकि उस गांव में पहुँच बहुत कठिन थी, जिससे विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए समस्या उत्पन्न होती थी।

क्या यह एक प्रभावी कदम है?

- सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा नौकरियाँ सृजित नहीं हुई हैं इसलिए यह नीति महज प्रतीकात्मक हो सकती है।
- अधिकांश पंचायती राज संस्थाओं में, जहां महिलाओं को चुना गया है, परिवार के पुरुष सदस्य ही वास्तविक शक्ति का उपयोग महिलाओं की ओर से करते हैं।
- ऐसा संभव है कि लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के लिए निर्वाचन हेतु आरक्षण का लाभ केवल समृद्ध और राजनीति से जुड़े परिवारों की महिलाओं को मिले।
- कुछ अन्य मुद्दे जैसे कि कौशल विकास, परिवहन सुविधाएँ, सुरक्षा आदि के अभाव में इस नीति को लागू करना संभव नहीं है।

1.1.6. महिलाओं का फैक्ट्रियों में नाइट शिफ्ट में कार्य करना

[Women to Work Night Shifts in Factories]

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के विधेयक द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 में प्रस्तावित संशोधनों को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्रदान की।

प्रस्तावित संशोधन

- यह महिलाओं को नाइट शिफ्ट में कार्य करने की अनुमति प्रदान करेगा। कारखानों के प्रबंधन को नाइट शिफ्ट में कार्य करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा।
- इस संशोधित विधेयक से महाराष्ट्र हरियाणा, राजस्थान, पंजाब आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के समूह में सम्मिलित हो जाएगा जहाँ नाइट शिफ्ट में महिलाओं को कार्य करने की अनुमति प्रदान करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
- विधेयक 90 दिनों तक कार्य करने के बाद ही कर्मचारियों को सवेतन छुट्टी प्रदान करने की अनुमति देता है। जबकि पहले इसके लिए न्यूनतम 240 दिन कार्य करना अनिवार्य था।
- प्रबंधन की अनुमति के बिना ओवरटाइम की सीमा को 75 घण्टों से बढ़ाकर 115 घण्टों तक कर दिया जायेगा।
- संशोधित विधेयक कारखानों के विरुद्ध निरीक्षकों के द्वारा तुच्छ मामलों पर केस दर्ज किये जाने को भी नियन्त्रित करेगा। इस प्रकार यह विधेयक कारखाना निरीक्षकों के भ्रष्टाचार तथा उत्पीड़न को समाप्त करने में सहायक होगा।

महिलाओं द्वारा रात्रि में कार्य करने से जुड़े मुद्दे

- नाइट शिफ्ट में काम करने के शारीरिक, मानसिक और चिकित्सकीय दुष्प्रभाव होते हैं।
- महिलाओं की सुरक्षा से सम्बंधित मुद्दे।
- पारिवारिक जीवन और प्रजनन क्षमता पर असर: कुछ लोग तर्क देते हैं कि महिलाओं के लिए उनके परिवार और बच्चों की देखभाल तथा प्रजनन क्रिया को ध्यान में रखते हुए गर्भवती या शिशुओं के पालन पोषण में संलग्न महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

1.1.7.युद्धक भूमिका में महिलाएं

[Women in Combat Roles]

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, भारत ने विश्व में सर्वाधिक पुरुष प्रधान सेवा अर्थात सैन्य बलों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने की घोषणा की है। इसके अनुसार अब भारतीय सेना के तीनों अंगों

VISION IAS

अर्थात थल सेना, जल सेना तथा वायु सेना के सभी विभागों में युद्धक भूमिकाएँ निभाने हेतु महिलाओं को अनुमति दी जाएगी।

- यह अमेरिका तथा इज़राइल समेत समूचे विश्व में सैन्य बलों में युद्धक भूमिकाएँ निभाने हेतु महिलाओं के क्रमिक समावेशीकरण के क्रम में है।

चिंताएँ

- सबसे प्रमुख चिंता सैन्य बलों में महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा से संबंधित है। सशस्त्र बलों के न्यायाधिकरण की संरचना सहित सैन्य बलों में सभी जगह पुरुष-वर्चस्व यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों के न्यायपूर्ण निपटारे के सम्बन्ध में आशंकाओं को बढ़ाता है।
- बंधक बनाए जाने पर महिलाओं की सुभेद्यता तथा युद्धक मोर्चे की अग्रपंक्ति में तैनाती पर शारीरिक और मानसिक तनाव से जूझने की उनकी क्षमता को लेकर भी चिंताएं ज़ाहिर की जा रही हैं।
- यह लैंगिक समानता का दिखावा करने की राजनीतिक चाल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। महिलाओं को उनकी क्षमता के आधार पर पहचान मिलनी चाहिए, ताकि उनमें कार्य के प्रति संतुष्टि का संचार हो। यह उन्हें कठिन परिश्रम की प्रेरणा देने तथा आलोचकों का मुँह बंद करने में सहायक सिद्ध होगा।

निर्णय के पक्ष में तर्क

- सेना की संरचना 'देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने' वाले एकमात्र कारक पर आधारित होनी चाहिए। सेना को लैंगिक भेदभाव से परे सर्वश्रेष्ठ एवं योग्यतम व्यक्तियों की दरकार है। अतः महिलाएं जोकि देश की आधी आबादी हैं, को अवसरों से वंचित कर संसाधनों को सीमित नहीं किया जाना चाहिए।
- आधुनिक युद्धक मोर्चों में, अत्याधुनिक हथियारों तथा ख़ुफ़िया तंत्र के अधिक प्रयोग तथा युद्ध क्षेत्र के साइबरस्पेस तक विस्तृत होने के परिणामस्वरूप इसमें तब्दीली आ गयी है। सीधी नृशंस लड़ाई, जो अक्सर महिलाओं को शामिल न किये जाने का कारण मानी जाती थी, अब उतनी आवश्यक नहीं रह गयी है।
- विशिष्ट कार्य के लिए मॉड्यूलर प्रशिक्षण सिमुलेशन एरेनास जैसे परिष्कृत उपकरणों की उपलब्धता महिलाओं को कथित नुकसान से उबरने के लिए प्रदान किया जा सकता है।
- अंत में, किसी भी व्यक्ति के लिए देश के प्रति उसके प्रेम व राष्ट्र की निःस्वार्थ सेवा की उसकी इच्छा के बीच उसकी लैंगिक पहचान बाधा बनकर सामने नहीं आनी चाहिए। जो महिलाएं इन सभी चिंताओं से अवगत होने के उपरांत भी सेना का हिस्सा बनना चाहती हैं, उन्हें इस अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

आगे की राह

- देश की सुरक्षा से संबंधित मामलों के लिए निष्पक्ष ढंग से और शांत दिमाग से विचार किया जाना चाहिए।
- सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी की पूरी अवधारणा को न केवल लैंगिक समानता के नजरिए से अपितु समग्र और वस्तुनिष्ठ तरीके से देखा जाना चाहिए।
- इसलिए, पुरुष और महिला सैनिकों की सतत और समय-समय पर कार्य-निष्पादन लेखापरीक्षा (performance auditing) के साथ सेवाओं में महिलाओं का क्रमिक एकीकरण होना चाहिए ताकि भविष्य की सेना समावेशी होने के साथ मजबूत भी हो सके।

1.2. महिलाओं के खिलाफ भेदभाव से संबंधित मुद्दे

[Issues Related to Discrimination Against Women]

1.2.1. पुत्रों को प्राथमिकता

[Son Preference]

सुर्खियों में क्यों?

- जनगणना के आंकड़े इंगित करते हैं कि भारत में पुत्रों को प्राथमिकता देने वाली दो प्रक्रियाएं सामानांतर रूप से कार्य कर रही हैं - प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण तथा बार-बार गर्भधारण। परिवार के आकार और लिंग अनुपात के आंकड़ों से यह पता चलता है कि हर परिवार में, लड़कियों की तुलना में अधिक लड़कों का जन्म हुआ।
- हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने सुझाव दिया है कि गर्भावस्था के दौरान बच्चे के लिंग परीक्षण को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और बच्चे के लिंग का उसी क्षण से पंजीकरण होना चाहिए। इस तरह बच्चे के जन्म पर नज़र रखी जा सकेगी। लिंग-निर्धारण के बाद भ्रूण पर नज़र रखना और संस्थागत प्रसव की जुड़वां रणनीति से यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि कन्या भ्रूण का गर्भपात न किया जाए और जन्म के बाद बच्चे को मारा न जाए।

- एक से चार तक बच्चों की संख्या वाले परिवार में लड़कियों की संख्या की तुलना में लड़कों की संख्या अधिक होती है।
- वहीं चार से अधिक बच्चों की संख्या वाले परिवार में आश्चर्यजनक रूप से यह संख्या परिवर्तित हो जाती है और सामान्यतः लड़कियों की संख्या अधिक हो जाती है।
- ऐसे परिवार जो लिंग चयन की प्रक्रिया संपन्न करने में असमर्थ होते हैं, उनमें अक्सर पुत्र की इच्छा में अधिक गर्भधारण की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है।
- इसलिए, बड़े परिवारों में अधिक से अधिक लड़कियों के होने की संभावना होती है क्योंकि पुत्र की इच्छा परिवार के आकार को बढ़ाती है।
- भले ही समय के साथ परिवारों का आकार छोटा हुआ है, तथापि ये प्रवृत्तियां अधिक गहन होती गयी हैं।
- छोटे परिवारों में लड़कियों की तुलना में अधिक लड़के और बड़े परिवारों में लड़कों की तुलना में अधिक लड़कियों की प्रवृत्ति 2001 से 2011 के दौरान अधिक तीव्र हुई है।

शामिल मुद्दे

- **परिवार में पुत्रों की वरीयता/उपयोगिता:**
  - ✓ **आर्थिक उपयोगिता:** जो कृषि उत्पादन, पारिश्रमिक कमाने तथा वृद्धावस्था में सुरक्षा हेतु सहायक के रूप में है।
  - ✓ **सामाजिक उपयोगिता:** वंश प्रणाली तथा जटिल सामाजिक संबंधों के तंत्र में, पुत्र का होना न सिर्फ परिवार का रुतबा और ताकत बढ़ा देता है बल्कि साथ ही दहेज़ के रूप में अतिरिक्त लाभ भी प्रदान करता है।
  - ✓ **धार्मिक उपयोगिता:** हिन्दू परंपराओं के अनुसार केवल पुत्र ही मृतक माँ-बाप को अग्नि दे सकता है तथा उनके मोक्ष की प्राप्ति हेतु पिंड दान करने का अधिकारी है।
- **बाल लिंग अनुपात में कमी:** भारत विश्व में सर्वाधिक ख़राब बाल लिंग अनुपात वाले राष्ट्रों में से एक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात 2001 के 927 लड़कियों से घटकर 2011 में 919 लड़कियों तक पहुँच गया है। साथ ही 2015 में आयी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पांच साल तक के उम्र समूह में दुनिया में सबसे विषम लिंग अनुपात है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पांच साल तक की उम्र में 93 लड़कों की तुलना में 100 लडक़ियां काल कवलित हो जाती हैं।
- **गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम (PCPNDT ACT), 1994 के कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दे:**

VISION IAS

- ✓ वर्तमान में, लिंगानुपात में गिरावट से मुकाबला करने हेतु भारत की रणनीति PCPNDT अधिनियम पर टिका हुई है, परंतु अधिनियम भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी पर प्रतिबंध लगाता है।
- ✓ 2010 में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया द्वारा किए गए एक अध्ययन में इससे सम्बंधित कई मुद्दे पाए गए, यथा:
  - शिकायतों और दोषसिद्धि की कम दर;
  - सर्वेक्षण और निरीक्षण में स्थानीय संगठनों और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी नहीं; सख्त शिकायत प्रक्रिया;
  - जागरूकता की कमी, आदि।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित भ्रूण के अनिवार्यतः लिंग निर्धारण का सुझाव सामाजिक वास्तविकताओं और समाज की पितृसत्तात्मक मानसिकता को ध्यान में नहीं रखता है।
- भ्रूण की लैंगिक पहचान उजागर हो जाने के बाद महिला पर मादा भ्रूण का गर्भपात करने के लिए सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दबाव अत्यधिक बढ़ सकता है।
- एक महिला की व्यक्तिगत-जैविक क्षेत्र में राज्य द्वारा इस तरह की घुसपैठ अवांछित है।
- इसके अलावा यह सीधे तौर पर किसी महिला के गर्भपात का अधिकार को प्रभावित करेगा, यदि वह किसी वजह से संतान नहीं चाहती है।
- मादा भ्रूण हत्या की समस्या जटिल सामाजिक-सांस्कृतिक सम्बन्धों और धार्मिक पूर्वाग्रहों के माध्यम से पुत्र के पक्ष में निर्मित सामाजिक मनोदृष्टि का परिणाम है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए कदम

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश (सितम्बर 2016) के बाद से, 43 सूचक शब्द (कीवर्ड) (जैसे लिंग चयन सेवा, लिंग चयन क्लीनिक, लिंग चयन तकनीक, प्रसव पूर्व लिंग चयन, प्रसव पूर्व लिंग चयन किट इत्यादि) जोकि लिंग निर्धारण के बारे में जानकारी दे सकते हैं, गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन्स से ऑटो ब्लॉक कर दिए गए हैं।
- इसके अतिरिक्त सर्च इंजन्स को शब्दों के उन समूहों के बारे में भी निरंतर अपडेट करते रहने को कहा गया है, जो सर्च के माध्यम से ऐसे परिणाम प्रस्तुत करते हैं जो भारत के प्रसव पूर्व लिंग चयन के निषेध से सम्बंधित कानूनों का उल्लंघन करते हैं।
- विज्ञापनों को ब्लॉक करने के लिए याचिका डॉ साबू जॉर्ज द्वारा दायर की गयी जिन्हें BBC द्वारा 2015 में "कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ भारत की अग्रणी कार्यकर्ता" के रूप में सम्मानित किया गया।

आगे की राह

- इस प्रकार के निराशाजनक आंकड़े, कन्या भ्रूण हत्या जैसे गंभीर मुद्दे से निपटने में न सिर्फ भारत की अक्षमता दर्शाते हैं बल्कि साथ ही यह भी प्रदर्शित करते हैं की ऐसी कुत्सित परंपराएं और सामाजिक कुरीतियों की पैठ कितने अंदर तक है।
- वर्तमान समय में PCPNDT अधिनियम को सशक्त बनाने तथा कन्या शिशु के प्रति लोगों की दुर्भावनाओं को दूर किये जाने हेतु प्रयासों की आवश्यकता है।
- स्थानीय स्तर पर आंगनवाड़ी तथा आशा कार्यकर्ताओं की सहभागिता बढ़ाने की आवश्यकता है।

1.2.2 महिलाओं के संपत्ति अधिकार

[Property Rights Of Women]

सुर्ख़ियों में क्यों?

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने एक निर्णय में कहा कि बड़ी बेटी हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति की कर्ता हो सकती है।
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 में हुआ संशोधन पुत्री को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार नहीं देगा, यदि पिता की मृत्यु इस संशोधन के लागू

VISION IAS

होने अर्थात 2005 से पहले हुई हो। इसने कर्नाटक उच्च न्यायालय (2010 के प्रकाश बनाम फूलावती मामले में) के उस फैसले को ख़ारिज कर दिया जिसके अनुसार अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर, 2005 से पहले हुई हो, तो भी बेटी को पिता की संपत्ति में बराबर अधिकार प्राप्त होता।

- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कर्ता किसी अविभाजित हिन्दू परिवार की संपत्ति के वारिसों में ज्येष्ठतम होता है।
- कर्ता को परिवार की सहमति के बिना भी अविभाजित हिन्दू परिवार की संपत्ति एवं व्यवसाय के प्रबंधन का अधिकार है।

विश्लेषण

- महिलाओं के लिए, न सिर्फ आर्थिक हितों अपितु उनके राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए भी संपत्ति में प्रभावी अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। संशोधित अधिनियम इस प्रकार एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम है और इसमें महिलाओं को सशक्त बनाने की पर्याप्त क्षमता निहित है।
- चुनौती यह है कि बहुत कम महिलाएँ वास्तव में व्यापार और संपत्ति के प्रबंधन में हिस्सा लेती हैं।
- हालांकि, लंबी अवधि में यह वांछनीय नहीं है कि परिवार के भीतर संपत्ति के ऊपर मुकदमेबाजी के कारण विवाद हो। इसके विपरीत, वांछनीय यह है कि समाज द्वारा स्वेच्छा से बेटियों को संपत्ति में, विशेष रूप से अचल संपत्ति के मामले में बेटों के बराबर अधिकार देना चाहिए। इसके लिए मनोवृति में पर्याप्त परिवर्तन की आवश्यकता है।

1.2.3. धार्मिक स्थलों में महिलाओं का प्रवेश

[Women Entry to Religious Places]

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **शनि शिगनापुर मंदिर:** हाल ही में भूमाता रंगरागिनी ब्रिगेड नामक महिलाओं के एक समूह ने शनि-शिगनापुर मंदिर की 400 साल पुरानी परंपरा तोड़ने की कोशिश की, जिसके अनुसार महिलाओं को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।
- **सबरीमाला मंदिर:** सबरीमाला केरल में स्थित एक हिंदू तीर्थ स्थल है।यहाँ 10 से 50 वर्ष की उम्र के बीच की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वे मासिक धर्म आयु वर्ग में हैं।
- **हाजी अली दरगाह:** 2012 में, दरगाह ट्रस्ट ने महिलाओं को हाजी अली दरगाह के मज़ार वाले हिस्से में प्रवेश करने से रोक दिया। ट्रस्ट ने कुरान की आयतों और पैगंबर मोहम्मद के संदेशों के हवाले से दावा किया है कि इस्लाम दरगाह/मस्जिदों में प्रवेश करने के लिए महिलाओं को अनुमति नहीं देता। ट्रस्ट ने संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत "अपने मामलों का प्रबंधन करने के अधिकार" का मौलिक अधिकार के रूप में दावा किया।

संलग्न मुद्दे

- **कानून बनाम धर्म:**
  - ✓ यह प्रतिबंध संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है यद्यपि प्रथागत अधिकार धार्मिक परंपराओं और प्रथाओं की अनुमति देता है।
  - ✓ यद्यपि संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, अनुच्छेद 25 का खंड 2(b) राज्य को धार्मिक परंपरा में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है।
- **विश्वास बनाम तर्कशीलता:** ऐसे भगवान की वैधता जो महिलाओं की उपस्थिति मात्र से संकट में पड़ जाते हैं।
- **सदियों पुरानी परंपरा बनाम आधुनिक मूल्य:** वेद, पुराण और उपनिषदों द्वारा निर्धारित प्राचीन काल से स्थापित सांस्कृतिक मानदंड, समानता और आधुनिकता के आधुनिक और प्रगतिशील मूल्यों के रास्ते में आ रहे हैं।

VISION IAS

- **धर्म बनाम जाति**: मंदिर प्रवेश आंदोलनों ने ऐतिहासिक रूप से शक्ति पदानुक्रम को चुनौती देने कार्य किया है। महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर पुजारियों के बीच व्यापक रूप से स्वीकृत आम विश्वासों ने इस मुद्दे को और नाज़ुक बना दिया है।
- **अशुद्धता बनाम पवित्रता**: जैविक/प्राकृतिक प्रक्रिया (मासिक धर्म) मंदिरों में भेदभाव/प्रवेश का आधार बन गया।
- **समाज का प्रतिगामी और पितृसत्तात्मक रवैया**: भारत में कई मंदिरों में प्रतिगामी परंपराओं के आधार पर प्रतिबंध है। यह प्रतिबंध न सिर्फ असंवैधानिक हैं, बल्कि वे महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा भी देते हैं।
- मुद्दे की संवेदनशीलता सार्वजनिक चर्चा में बाधा उत्पन्न करने के साथ ही महिलाओं को इस प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाने में मुश्किल उत्पन्न करती है।

न्यायपालिका के विचार

- **शनि शिंगणापुर**: बंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि "कोई भी कानून पूजा स्थल पर किसी महिला के प्रवेश को नहीं रोकता है, और अगर पुरुषों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है, तो महिलाओं को भी अनुमति दी जानी चाहिए।"
- **सबरीमाला**: न्यायालय ने मंदिर के अंदर मासिक धर्म आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के रुख पर त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड (जो केरल के लोकप्रिय सबरीमाला अयप्पा हिंदू मंदिर का प्रबंधन करता है) की आलोचना की। न्यायालय का दृष्टिकोण है कि ऐसे पूजा स्थल जो महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित या सीमित करते हैं वे लैंगिक समानता के लिए लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं और उन्हें ऐसा करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है।
- **हाजी अली**: बंबई उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध समाप्त करते हुए कहा कि यह संविधान का उल्लंघन है और महिलाओं को प्रवेश हेतु "पुरुषों के साथ बराबरी पर" अनुमति दी जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि ट्रस्ट संविधान में प्रतिष्ठापित "मौलिक अधिकारों के विपरीत" (अर्थात अनुच्छेद 14, 15 और 25) कोई प्रतिबंध लागू नहीं कर सकता।

आगे की राह

- धर्म में गहराई से व्याप्त पिछड़ी सोच बलपूर्वक बदली नहीं जा सकती है और इसे धीमी गति से जमीनी स्तर पर काम करके, जागरूकता और नागरिक समाज की भागीदारी के माध्यम से परिवर्तित किया जाना चाहिए।
- इसके अलावा, इस मुद्दे को एक तरह से पूजा करने के अधिकार के बजाय महिलाओं को गरिमा और समानता प्रदान करने के रूप में देखा जाना चाहिए। इस प्रकार, राज्य और समाज एक साथ मिल कर वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं।

1.2.4. देवदासी प्रथा

[Devdasi System]

सुर्खियों में क्यों?

- उच्चतम न्यायालय ने देवदासी मुद्दे पर सुनवाई तब आरम्भ की, जब उसे अवगत कराया गया कि कैसे दलित लड़कियों को कर्नाटक के दावणगेरे जिले के उत्तंगी माला दुर्गा मंदिर में देवदासियों के रूप में अर्पित किया जा रहा है।
- उच्चतम न्यायलय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, विशेष रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश को देवदासी प्रथा रोकने के लिए केन्द्रीय कानून को लागू करने का निर्देश दिया है। इस "अवांछित और अस्वास्थ्यकर" प्रथा में युवा लड़कियों को देवदासियों के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।

देवदासी कौन हैं?

- 'देवदासी' वे महिलायें होती हैं जो अपना जीवन मंदिर की सेवाओं के लिए समर्पित कर देती हैं। ये महिलाएं अक्सर यौन शोषण का शिकार हो जाती हैं।

VISION IAS

शामिल मुद्दे:

- देवदासी प्रथा महिला सशक्तिकरण और संविधान के तहत महिलाओं को दी गई समानता के विरुद्ध है।
- गरीब निम्न जाति के परिवारों को भगवान की सेवा में अपनी बेटियों को समर्पित करने का प्रलोभन दिया जाता है।
- देवदासियों को यौन शोषण झेलना पड़ता है और अक्सर उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है।
- देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध के लिए कानून होने के बावजूद यह अभी भी प्रचलन में है क्योंकि:
  ✓ कानून को लागू करने के लिए राज्य पुलिस का असंवेदनशील दृष्टिकोण
  ✓ देवदासी प्रथा में धकेली गयी लड़कियों के पुनर्वास के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग।

देवदासी प्रथा को रोकने के लिए प्रासंगिक कानून:

- कर्नाटक देवदासी (भेंट निषेध) अधिनियम 1982 और महाराष्ट्र देवदासी उन्मूलन अधिनियम 2006 जैसे राज्य स्तरीय कानूनों ने देवदासी प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 372 वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए नाबालिगों की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगाती है।
- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 सार्वजनिक स्थानों के आसपास या सार्वजनिक स्थानों में वेश्यावृत्ति को अपराध बनाता है।

1.2.5. परिवार कानून में सुधार

[Family law reforms]

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- हाल ही में सरकार द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय पैनल ने परिवार कानूनों में सुधारों से संबंधित सुझाव दिए हैं।
- इस पैनल का गठन विवाह, तलाक, संरक्षण (कस्टडी), विरासत और उत्तराधिकार के संबंध में महिला और परिवार कानूनों की समीक्षा के लिए किया गया था।

पैनल द्वारा दिए गए सुझाव

- **व्यभिचार से संबद्ध मामले में भारतीय दंड संहिता में संशोधन (धारा 497) -** वर्तमान में इसका इस्तेमाल केवल पति द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है जो उसकी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता है।
- उन कानूनों में अन्तर्निहित लैंगिक भेदभाव को हटाना जो लड़की के लिए न्यूनतम वैधानिक विवाह आयु तय करते हैं।
- तिहरे तलाक की प्रथा और बहुविवाह का निषेध करना।
- मुस्लिम महिलाओं को उनके पर्सनल लॉ के अंतर्गत, और साथ ही साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही महिलाओं तथा अविवाहित आश्रित पुत्री को, निर्वाह राशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए।
- "ऑनर किलिंग" से निपटने के लिए एक अलग कानून को लागू किया जाना।
- विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन- अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर शादी करने वालों की रक्षा के लिए, अधिनियम में निहित 30 दिन के सार्वजनिक नोटिस के प्रावधान को समाप्त किया जाना चाहिए।
- 'क्रूरता' शब्द को भी फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है क्योंकि पर्सनल लॉ के तहत 'क्रूरता' को तलाक के लिए एक आधार के रूप में प्रयोग किया जाता है।

सुधार की आवश्यकता क्यों है ?

- भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने की परिकल्पना संविधान के अनुच्छेद 44 में की गयी है।
- विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ में निहित लैंगिक पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए यह आवश्यक है।

VISION IAS

- जो लोग अपनी पसंद के अनुसार अपना जीवनसाथी चुनना चाहते हैं उनके लिए शांतिपूर्ण परिस्थितियों का निर्माण करने तथा उन्हें खाप पंचायत जैसे सामाजिक दबावों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए।
- यह पुरुष प्रधान भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने और उनके सशक्तिकरण की दिशा में सुधार में सहयोग देगा।

1.3. महिलाओं के विरुद्ध अपराध

(Crimes Against Women)

1.3.1. दहेज (Dowry)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी आकड़ों के अनुसार विगत तीन वर्षों में सर्वाधिक दहेज हत्यायें उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई हैं। इसके बाद बिहार का स्थान आता है।

दहेज निषेध अधिनियम 1961के प्रावधान

- दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अनुसार दहेज शब्द का अर्थ है: कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से से दी गई है या देने का करार हुआ है -

✓ विवाह के एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष के लिए,

✓ विवाह के किसी भी पक्ष के माता-पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, दोनों पक्षों के बीच विवाह के समय या उसके पूर्व।

- इस अधिनियम के प्रवर्तन एवं कार्यान्वयन के लिए सम्बंधित राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं।महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय राज्यों के साथ समय-समय पर इस अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन की समीक्षा करता है।
- भारतीय दंण्ड संहिता (IPC) की धारा 304-B दहेज हत्या से सम्बंधित मामलों से जुड़ी है। इस धारा के तहत दोषी व्यक्ति को 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक दण्ड दिया जा सकता है।
- दहेज निषेध अधिनियम-1961, कानून के प्रभावी एवं परिणामदायक प्रवर्तन को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इसके लिए अधिनियम एक दहेज निषेध अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान करता है।

कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दे

- अस्पष्ट सांविधिक भाषा इसे प्रभावी ढंग से लागू किये जाने में बाधा उत्पन्न करती है।
- अधिनियम अपराध कर के बचे जा सकने वाले हर पहलू को शामिल नहीं करता। अगर कानून कड़े भी बनाये जाएँ तो भी उनके सख्त और लगातार प्रवर्तन की जरूरत है।
- घरेलू हिंसा के अधिकांश मामले दर्ज नहीं किये जाते क्योंकि उन्हें "रसोई दुर्घटना" का नाम दे दिया जाता है।
- लंबे समय तक चलने वाली जाँच पड़ताल के कारण आरोप पत्र दाखिल होने में भी वर्षों लग जाते हैं और तब तक उपलब्ध साक्ष्य मिट जाते हैं।
- महिलाओं के प्रति सांस्कृतिक रवैया - हिंदू रीति-रिवाजों और सामाजिक संस्कृति के अनुसार एक पत्नी को कभी भी पति के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। यहाँ टूटी हुई शादी को महिला के चरित्र से जोड़ कर देखा जाता है।

आगे की राह:

महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में व्यापक तौर पर बदलाव होना चाहिए। उन्हें एक बोझ के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसे मामलों में त्वरित और संवेदनशील अन्वेषण की आवश्यकता है।

जब तक दहेज प्रथा के प्रति समाज के रवैये में परिवर्तन नहीं होता है तब तक यह एक सामाजिक बुराई के रूप में समाज में विद्यमान रहेगी।

VISION IAS

1.3.2 साइबर अपराध

(Cybercrime)

सुर्खियों में क्यों?

- महिलाओं का ऑनलाइन उत्पीड़न- महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध में वृद्धि हो रही हैं। अतः सरकार ने हाल ही में साइबर अपराधों को रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं।
- साइबर अपराधों में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)के आंकड़ों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT एक्ट) की धारा 67A, 68B तथा 67C के तहत वर्ष 2014 में अश्लील, यौनसम्बन्धी विषय वस्तु के प्रकाशन या प्रसारण के 758 मामलों को दर्ज किया गया है।

साइबर अपराध क्या है?

- **साइबर अपराध एक आपराधिक गतिविधि है, जिसमे कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल होता है।**

विशेष रूप से महिलाओं को लक्ष्य बनाने वाले साइबर अपराध :

- ई-मेल के माध्यम से उत्पीड़न: यह पत्र,फाइल और फोल्डर अटैचमेंट के प्रेषण अर्थात ई-मेल द्वारा उत्पीड़न का बहुत आम प्रकार है; आजकल ये फेसबुक ,ट्विटर इत्यादि जैसी सोशल साइट्स के इस्तेमाल के रूप में सर्वाधिक प्रचलित है।
- साइबर स्टाकिंग: इसमें स्पष्ट तौर पर अभिव्यक्त या अंतर्निहित धमकी शामिल है जो कि इंटरनेट, ई-मेल, फोन, टेक्स्ट मैसेज, वेब कैमरा, वेबसाइटों या वीडियो के रूप में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से भय पैदा करती है।
- अश्लील सामग्री का प्रसार: इसमें अश्लील प्रदर्शन / पोर्नोग्राफी(मूल रूप से चाइल्ड पोर्नोग्राफी); इन निषिद्ध सामग्रियों का प्रदर्शन करने वाली वेब साइट्स की होस्टिंग शामिल है।
- ई-मेल स्पूफिंग: स्पूफ ई-मेल उसे कहा जा सकता है जो अपने मूल स्त्रोत(ओरिजिन) को गलत बताता है। इसका वास्तविक स्त्रोत इसके द्वारा दर्शाए गए मूल स्त्रोत से अलग होता है - इस विधि का अक्सर साइबर अपराधियों द्वारा उन महिलाओं की व्यक्तिगत जानकारी एवं तस्वीरें निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है जो आम तौर पर ऐसे ई-मेल को शक की नज़र से नहीं देखती और फिर इन तस्वीरों और जानकारियों का इस्तेमाल उन महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है
- साइबर पोर्नोग्राफी

- **मोबाइल फ़ोन या इन्टरनेट जैसे आधुनिक दूरसंचार उपकरणों का प्रयोग करते हुए लोगों को शारीरिक या मानसिक चोट पहुंचाने या पीड़ित को प्रत्यक्ष या परोक्ष नुकसान के लिए एक आपराधिक मंशा के साथ किया गया अपराध।**
- **साइबर अपराध किसी राष्ट्र की सुरक्षा और वित्तीय स्वास्थ्य के लिए खतरा है।**

महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों से निपटने में चुनौतियाँ-

- महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध में भयावह दर से वृद्धि हो रही है। यह क़िसी व्यक्ति की समग्र रूप में सुरक्षा के लिए मुख्य खतरा बन सकता है।
- महिलाओं से सम्बंधित मुद्दों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT एक्ट) 2000 में शामिल नहीं किया गया है- इस अधिनियम में कुछ निश्चित अपराधों जैसे- हैकिंग, इंटरनेट पर अश्लील विषय वस्तु का प्रकाशन, डेटा से छेड़-छाड़ (टेम्परिंग) को दण्डनीय अपराध बताया गया है परन्तु साधारण तौर पर महिलाओं की सुरक्षा के खतरे को इस अधिनियम में पूर्णतः शामिल नहीं किया गया है।
- IT एक्ट-2000 विशिष्ट (typical) साइबर अपराधों को चिन्हित नहीं करता हैं जैसे- साइबर स्टाकिंग, मार्फिंग तथा ई-मेल स्पूफिंग।
- महिलाओं के आनलाइन उत्पीड़न के मामलों का सरकार के द्वारा रिकॉर्ड न रखना एक बड़ी विसंगति है।

- अनादरसूचक अश्लील सामग्री का प्रसार करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स का प्रयोग किया जाता है जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है।
- बदले की भावना से अश्लील सामग्री के प्रसार की शिकार अधिकांशतः महिलाएं ही होती हैं।महिलाओं की बिना सहमति के नग्न अवं अभद्र चित्र प्रकाशित किये जाते हैं।
- बलात्कार के वीडियो भी महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं-पुरुषों द्वारा लड़कियों तथा महिलाओं के बलात्कार की रिकार्डिंग एवं उस रिकॉर्डिंग को दूसरों से साझा करने के मामलों में वृद्धि हो रही है।
- इंटरनेट दुर्व्यापार का मंच बन गया है- अवैध व्यापारियों द्वारा लोगों को बिना उनकी सहमति के बेचने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाता है।

महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों की रोकथाम में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- साइबर अपराध के मामलों की जांच और रिपोर्टिंग के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में साइबर अपराध प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।
- सरकार ने केरल, असम, मिजोरम आदि राज्यों में कानून प्रवर्तन और न्यायपालिका के प्रशिक्षण के लिए साइबर फोरेंसिक प्रशिक्षण और जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना की है।
- साइबर अपराध जांच पर कार्यक्रम - विभिन्न लॉ स्कूल, न्यायिक अधिकारियों के लिए साइबर कानून और साइबर अपराधों पर कई जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में लगे हुए हैं।
- सरकार द्वारा स्थापित प्रयोगशालाओं में पुलिस अधिकारियों एवं न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
- हिंसा से प्रभावित सभी महिलाओं को 24 घंटे आपातकालीन और गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए महिला हेल्पलाइन के सार्वभौमीकरण की योजना को अनुमोदित किया गया है।

आगे के कदम

राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं-

- अधिक से अधिक साइबर सेलों(cell) की स्थापना
- समर्पित हेल्पलाइन नम्बर की शुरुआत करना
- समुचित कानून की जानकारी प्रदान करना
- फोरंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा विधि प्रवर्तन एजेंसियों जैसे-साइबर अपराध को नियन्त्रित करने के लिए पुलिस एवं न्यायपालिका के लिए प्रशिक्षण।

1.3.3. घरेलू हिंसा

(Domestic Violence)

सुर्खियों में क्यों?

सांख्यिकी एवं योजना कार्यान्वयन मन्त्रालय द्वारा हाल ही में जारी प्रतिवेदन के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध में घरेलू हिंसा का हिस्सा सर्वाधिक है। इस प्रतिवेदन का शीर्षक "भारत में महिला एवं पुरुष 2015' (women and man in India 2015) था।

BLEAK PICTURE

Disposal of crimes committed against women in 2014

	Cases reported during the year	Total cases for investi-gation	Cases in which chargesheets submitted	Total cases disposed of by police	Disposed cases as percentage of total cases for Investigation
Rape	36,735	51,623	30,840	35,590	69
Attempt to commit rape	4,234	4,672	2,781	3,369	72
Kidnapping & abduction of women	57,311	84,685	26,044	49,150	58
Dowry Deaths	8,455	13,270	7,653	8,597	65
Assault on women with intent outrage her modesty	8,235	10,164	6,462	76,388	76

Source: Women and Men in India – 2015, 17th issue, MoSPI

तथ्य संचिका :

- महिलायें अभी भी अपने परिवार में ही सर्वाधिक खतरे का सामना करती हैं।
- महिलाओं के विरुद्ध संगीन अपराधों के दर्ज सभी मामलों में सर्वाधिक हिस्सा (36 प्रतिशत) पति एवं सगे सम्बंधियों द्वारा की गई की क्रूरता का था।
- दूसरा सर्वाधिक भाग (24 प्रतिशत) महिलाओं के शील भंग के आशय से उन पर हमला करना था।
- पिछले कुछ समय में बलात्कार, अपहरण तथा महिलाओं पर होने वाले हिंसक हमलो में वृद्धि हुई है।
- 2014 में सामने आये बलात्कार के मामलों में पीड़ितों में लगभग 44 प्रतिशत 18-30 वर्ष के आयु समूह के थे जबकि प्रत्येक 100 में से एक पीड़िता छः वर्ष से कम उम्र की थी।

हाल में हुए बदलाव

- घरेलू हिंसा की परिभाषा को संशोधित किया गया है - इसमें वास्तविक दुर्व्यवहार या शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार की धमकी के साथ स्त्री या उसके रिश्तेदारों से की जाने वाली दहेज़ की गैरकानूनी मांग के ज़रिये किये जाने वाले उत्पीडन को भी शामिल किया गया है।
- महिला शब्द का दायरा बढ़ा - अधिनियम में अब "लिव-इन पार्टनरों", पत्नी, बहनों, विधवाओं, माताओं, एकल महिलाओं को शामिल किया गया जो इस अधिनियम के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त करने की हकदार हैं।
- सुरक्षित आवास का अधिकार अर्थात , भले ही घर में उसे कोई पदवी या हक न दिया गया हो फिर भी , वैवाहिक या साझा घर में निवास करने का उसका अधिकार सुरक्षित है। यह न्यायालय द्वारा पारित एक निवास आदेश (Residence order) द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।
- न्यायालय संरक्षण आदेश पारित कर सकते हैं ताकि उत्पीड़क को घरेलू हिंसा करने या उसमें मदद करने से रोका जा सके, उदाहरणार्थ ऐसे किसी कार्यस्थल में प्रवेश रोकना जहां उत्पीड़ित अक्सर जाती हो ,उत्पीड़ित महिला के साथ उसे बात करने से रोकना ,ऐसी किसी भी परिसंपत्ति को विलगित करना जो दोनों पक्षों द्वारा इस्तेमाल की जाती हो आदि।
- यह महिला की चिकित्सा परीक्षा, कानूनी सहायता और सुरक्षित आश्रय के लिए सहायता प्रदान करने हेतु का अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों की नियुक्ति भी प्रावधान करता है ।
- उल्लिखित अपराधियों के लिए एक वर्ष का अधिकतम कारावास और 20000 रुपये की क्षतिपूर्ति या दोनों सजाओं का प्रावधान।
- यह अधिनियम प्राप्तकर्ता द्वारा अंतरिम सुरक्षा आदेश या सुरक्षा आदेश के उल्लंघन को संज्ञेय एवं गैर ज़मानती अपराध मानते हुए एक साल तक का कारावास और 20000 रुपये का जुर्माना या दोनों ही दंड देने का प्रावधान करता है।
- सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का अनुपालन न करने को समान सजा के साथ एक दंडनीय अपराध बनाया गया है।
- देश में महिलाओं को बराबर सामाजिक-आर्थिक अधिकार और सशक्तिकरण प्रदान करने की दिशा में कानून का एक प्रगतिशील उदाहरण।

संलग्न कारण / मुद्दे

- शहरी क्षेत्र -कामकाजी महिला की अपने पति से अधिक आय ,देर रात तक घर से बाहर रहना , ससुराल के लोगों की उपेक्षा या उनके साथ दुर्व्यवहार, सामाजिक रूप से अधिक उन्नत(advance) होना ,पत्नियों की अदला बदली ,व्यभिचार एवं विवाहेतर सम्बन्ध-विशेष रूप से कामकाजी पत्नी के मामले में, आदि।

- ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर युवा विधवाओं के खिलाफ हिंसा - अधिकांशतः उन्हें उनके पति की मृत्यु के लिए कोसा जाता है एवं उचित भोजन तथा कपड़ों से वंचित रखा जाता है,अधिकतर घरों में उन्हें पुनर्विवाह के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है या अनुमति नहीं दी जाती ,एकल परिवारों में अन्य पारिवारिक सदस्यों या पड़ोस के किसी व्यक्ति द्वारा स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ या बलात्कार के मामले।
- अन्य कारण - रूढ़िवादी और पितृसत्तात्मक मानसिकता - पुरुष का स्त्रियों पर वर्चस्व और नियंत्रण; आर्थिक कारण -दहेज़ की मांग ; बांझपन या पुत्र-प्राप्ति की इच्छा; शराबखोरी

घरेलू हिंसा अधिनियम की आलोचना / दुरुपयोग

- यह लैंगिक रूप से पक्षपाती न कि उदासीन है-झूठे मामलों की संख्या बढ़ रही है।
- मौखिक दुर्व्यवहार एवं मानसिक उत्पीडन -उत्पीडित द्वारा इसकी व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या की गुंजाइश
- ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इस तरह के अधिनियमों की अधिक आवश्यकता है वहां इसके सम्बन्ध में जागरूकता का अभाव।
- चरम दुर्व्यवहार के मामलों में भी न्यायिक प्रणाली द्वारा मध्यस्थता और परामर्श का सहारा लेना। इसके अलावा सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुरुष पुलिस अधिकारियों आदि द्वारा संवेदनहीनता
- पीडित महिलाओं के लिए आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं समर्थन तंत्र का अभाव
- विवाहोत्तर बलात्कार (मैरिटल रेप) सम्बन्धी दुर्वयवहार को शामिल नहीं किया गया है।
- राज्यों के लिए अपर्याप्त बजटीय आवंटन -पहले से ही अतिरिक्त बोझ से लदे विभागों के कारण राज्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर सके।

आगे की राह

- पीड़ित महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए
- महिलाओं के सशक्तिकरण से सम्बंधित गैर सरकारी संगठनों को घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त किया जाना चाहिए।
- मामलों का तेजी से निपटारा
- पंचायती राज संस्थाओं को भी इस तरह के मामलों के प्रति प्रगतिशील एवं सहानुभूतिपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए - इन्हें घरेलू हिंसा को रोकने में भागीदारी करनी चाहिए
- हर स्तर पर संबंधित अधिकारियों को संवेदनशीलता का प्रशिक्षण और अधिक दिए जाने की आवश्यकता है ।
- विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक जागरूकता अभियान।

1.4 सरकारी पहलें

(Government initiatives)

1.4.1. यौन अपराधियों का पंजीकरण

(Registry of Sex Offenders)

अमेरिका और ब्रिटेन की तरह अब भारत सरकार भी दोषी यौन अपराधियों का पंजीकरण करने की योजना बना रही है।

पंजीकरण की मुख्य बातें

- वे यौन अपराधी जिनके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हैं, (जिनमें 18 वर्ष से कम उम्र के दोषी भी शामिल होंगे) डेटाबेस में शामिल किये जाएँगे तथा इसको राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

VISION IAS

- यह डेटाबेस नागरिकों के लिए बन रहे क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (CCTNS) पोर्टल के ज़रिए देखा जा सकेगा।
- सरकार अपराधियों की तस्वीर, नाम, पता, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, फ़िंगर प्रिंट और डीएनए के नमूनों की जानकारी को प्रकाशित करने की योजना बना रही है।
- मसौदे में उल्लिखित दिशा-निर्देशों में यह विचार रखा गया है कि अपराधी की विस्तृत जानकारी (जिसमें उपनाम, फोन नंबर, अस्थायी आवास के बारे में जानकारी, यात्रा और आव्रजन सम्बन्धी दस्तावेज शामिल हैं) उपलब्ध करायी जाएगी।
- इसके अतिरिक्त उनके रोजगार से संबंधित जानकारी, स्कूली शिक्षा, कॉलेज, आपराधिक इतिहास, वाहन आदि का विवरण भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- इस परियोजना को ई-अदालत और ई-जेल अनुप्रयोगों के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव है जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली की दक्षता में सुधार किया जा सके।

लाभ

- इससे बार-बार अपराध करने वाले यौन अपराधियों के मन में भय पैदा होगा तथा लोग इससे लाभान्वित होंगे।
- यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए लाभदायक और सुविधाजनक होगा।

आलोचना

- अमेरिका और ब्रिटेन में इसी तरह की पहल के अध्ययन से पता चलता है कि पंजीकरण का अपराधों को कम करने पर वस्तुतः कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। साथ ही यह दोषी करार दिए गए अपराधियों के जीवन को अस्थिर बना देता है और उन्हें अपराधी बने रहने पर मजबूर कर देता है।
- पंजीकरण कानून इस मिथक को और अधिक मज़बूत करता है कि अधिकतर यौन अपराध अजनबियों द्वारा किये जाते हैं।

आगे की राह

- सरकार को यौन अपराधियों के लिए संज्ञानात्मक उपचार (cognitive therapy) उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपराधों को नहीं दोहरायेंगे।
- सरकार को यह सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करना चाहिए कि प्रक्रिया में पुनः किसी अनावश्यक मानसिक उत्पीड़न से गुजरे बिना पीड़ित स्वास्थ्य और कानूनी सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम हों।

1.4.2. बलात्कार पीड़ितों पर राष्ट्रीय नीति

(National Policy on Rape Victims)

- सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा प्रदान करने के लिए केंद्र को एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए कहा है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2013 में घोषित **निर्भया कोष** पर्याप्त नहीं है तथा राहत और मुआवजे को बलात्कार पीड़ितों तक पहुँचाने की जरूरत है।
- विभिन्न राज्यों की मुआवजा योजनाओं में एकरूपता की कमी है इसलिए एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यक है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से CrPC की धारा 357 (ए) के कार्यान्वयन और पीड़ित मुआवजा योजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी है।

विश्लेषण

- विभिन्न राज्यों में अलग अलग योजनाएँ हैं।
- बलात्कार पीड़ितों को मुआवजा कैसे दिया जाए इसके लिए कोई राष्ट्रीय योजना नहीं है। हालांकि 29 राज्यों में से 25 ने इन योजनाओं को अधिसूचित किया है,फिर भी कथित योजनाओं में एकरूपता का पूर्णतः अभाव है।
- **बलात्कार पीड़ितों को मुआवजा**: निर्भया कोष का उचित ढंग से उपयोग नहीं किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण है कि केवल कोष का आवंटन ही पर्याप्त नहीं होगा अतः इसकी जांच भी की जानी ज़रूरी है कि कोष का हस्तांतरण किस प्रकार हो रहा है और वास्तव में उस कोष का उपयोग हो रहा है या नहीं।

VISION IAS

- चिंता का एक अन्य प्रमुख मुद्दा 'गवाह संरक्षण कार्यक्रम योजनाएँ "है, जिन्हें दिल्ली के अतिरिक्त अभी तक अधिकतर राज्यों द्वारा बनाया नहीं गया है।

1.4.3.राष्ट्रीय महिला नीति 2016 का मसौदा

(Draft National Women Policy 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने राष्ट्रीय महिला नीति 2016 के लिए मसौदा जारी किया है।

नई नीति की आवश्यकता

- महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 2001 में पारित राष्ट्रीय नीति (NPEW), जिसने महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तिकरण के लिए उचित नीतिगत उपायों और रणनीतियों का साथ देने के लिए एक व्यापक प्रगतिशील राष्ट्रीय नीति की आधारशिला रखी थी, को लगभग डेढ़ दशक बीत चुके है।
- पिछले कुछ वर्षों में कई विरोधाभासी प्रवृत्तियों को देखा गया है। महिला अधिकारों और समानता की बढ़ती स्वीकृति और जागरूकता के कारण महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विभिन्न रूपों जैसे बलात्कार, तस्करी, दहेज आदि की रिपोर्टिंग में वृद्धि देखी गयी है।
- नई सदी और तेजी से बदलते वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य में विकास के नए पहलुओं ने प्रवेश किया है, जिसने गहरी सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताओं वाले समाज में महिलाओं के लिए जटिल सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौतियों को जन्म दिया है, इसके कारण नए लैंगिक मुद्दें भी उभर कर सामने आये हैं। वस्तुतः इन सभी परिवर्तनों ने लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारिता के संबंध में नई चुनौतियों और समस्याओं को समाज के सामने रखा है।
- महिला सशक्तिकरण की अवधारणा में बदलाव हो रहा है तथा अब महिलायें कल्याणकारी योजनाओं एवं पहलों की प्राप्तकर्ता के स्थान पर देश के विकास की दिशा में बराबर योगदान देने वाली बन रही हैं।
- अत: इस नई नीति का लक्ष्य है कि महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण हो और उनके लिए सामाजिक-आर्थिक वातावरण तैयार हो ताकि वे अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें, संसाधनों पर उनका नियंत्रण हो तथा लैंगिक समानता तथा न्याय के सिद्धांतों को स्थापित किया जा सके एवं सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में वे अपना समान योगदान दे सके।

नई नीति के मुख्य बिंदु

- **खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सहित स्वास्थ्य** - इसके तहत महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और परिवार नियोजन योजनाओं के दायरे में पुरुषों को भी रखा गया है। इसके तहत किशोरावस्था के दौरान पोषण, स्वच्छता, स्वास्थ्य बीमा योजना इत्यादि शामिल की गई हैं।
- **शिक्षा:** शिक्षा के सभी स्तरों तक बेहतर पहुँच और शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक अंतर को कम करना।
- **आर्थिक उपाय –**

✓ लैंगिक आधार पर गरीबी के आकलन का प्रयास किया जायेगा क्योंकि घरेलू अनुमान लैंगिक गरीबी का आकलन प्रस्तुत नहीं करते है।

✓ इस नीति में लिंग और गरीबी के मध्य गतिशील संबंधों को संबोधित किया गया है, जैसे कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, आर्थिक और सामाजिक मूल्य के संदर्भ में महिलाओं के अवैतनिक काम की पहचान, अचल संपत्ति में महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना आदि।

- **शासन एवं निर्णयन क्षमता-** निर्णय लेने के पहलुओं और महिलाओं के अधिकारों व कानूनों के बारे जानकारी तथा अधिक से अधिक क्षमता निर्माण के माध्यम से महिलाओं के प्रतिनिधित्व में गुणवत्तापूर्ण सुधार किया जाएगा।
- **महिलाओं के विरुद्ध हिंसा**

- ✓ नियमों और कानूनों के जरिए महिलाओं के खिलाफ हर प्रकार की हिंसा को रोकना, इसके लिए प्रभावशाली नियम बनाना और उनकी समीक्षा करना, बाल लिंगानुपात को सुधारना, दिशा निर्देशों इत्यादि को कड़ाई से लागू करना, मानव तस्करी को रोकना इत्यादि शामिल हैं।
- ✓ युवाओं और पुरुषों को समर्थन(एडवोकेसी) , जागरूकता निर्माण कार्यक्रमों और समुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए संवेदनशील बनाना।

समर्थनकारी वातावरण का निर्माण:

- आवास निर्माण नीतियों में लिंग परिप्रेक्ष्य का ध्यान रखते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास निर्माण में लैंगिक परिप्रेक्ष्य को प्राथमिकता दी जाएगी।
- सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता, मास मीडिया और खेलों में अधिक से अधिक भागीदारी में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान हैं।
- **पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन**:
- ✓ जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के नुकसान से होने वाली प्राकृतिक आपदा के समय होने वाले पलायन के दौरान लैंगिक समस्याओं को दूर करने को इसमें शामिल किया गया है। ग्रामीण घरों में महिलाओं के लिए पर्यावरण अनुकूल, नवीकरणीय, गैर पारंपरिक ऊर्जा, हरित ऊर्जा संसाधनों को प्रोत्साहन देना।
- ✓ इस नीति का एक अभिन्न हिस्सा न्यायोचित स्वामित्व नियंत्रण प्रदान करना और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और हाशिए पर जीवन यापन कर रही गरीब महिलाओं को परिसंपत्ति अधिकार प्रदान करना हैं ताकि वो गरीबी और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर सके।
- **इनके अतिरिक्त कुछ अन्य उभरते मुद्दों की भी पहचान की गई है। उन में शामिल हैं:**
- संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निजी और प्रथागत कानूनों की समीक्षा। यह महिलाओं के लिये समावेशी ,समतामूलक एवं न्यायोचित हकों को सुगम बनाएगा ।
- इसके अंतर्गत विधवाओं, तलाकशुदा, अविवाहित और परित्यक्त स्त्रियों जैसी एकल महिलाओं की विशेष जरूरतों को स्वीकार किया गया हैं। उनकी सुभेद्यता को संबोधित करने के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा तंत्र तैयार किया जाएगा एवं अवसरों का सृजन व उनकी समग्र स्थिति में सुधार किया जायेगा।
- महिलाओं में उद्यमशीलता के संवर्धन के लिए पारिस्थितिकी का निर्माण करना तथा महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निर्णय लेने की भूमिकाओं और नेतृत्व के लिए महिलाओं को तैयार करना।
- आजकल कृत्रिम प्रजनन तकनीक (ART) का का प्रचलन बढ़ रहा हैं, इन तकनीकों को अपनाने वाली महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे, इसमें सरोगेट माता, कमीशनिंग माता तथा उनसे उत्पन्न संतानों के अधिकार शामिल हैं।
- इनके अतिरिक्त नीति में निम्न तथ्यों का भी समावेश है:
- अंतर और अंतरा-संस्थागत भागीदारी जो अभिसरण(कन्वर्जेन्स)को संभव बनाती है जिसके माध्यम से लैंगिक आधार पर सूचना प्राप्ति संभव हो पाती है एवं बेहतर योजना और नीति निर्माण किया जा सकता है।
- मंत्रालयों, राज्य सरकार के विभागों, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में अपेक्षित नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं की जेंडर ऑडिट करने के लिए जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठों की स्थापना।

परिचालन रणनीतियां : इसमें निम्न बिंदु शामिल हैं-

- नीतिगत ढांचे को वास्तविकता में परिणत करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार के स्तर पर, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कंपनियों, व्यापार, ट्रेड यूनियनों, गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों में इसके कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट और प्रभावी रणनीति की आवश्यकता होगी।
- पॉलिसी दस्तावेज में नीतिगत सुझावों के संबंध में एक अंतर-मंत्रालयी कार्य योजना तैयार की जाएगी जहां कार्यों को लागू करने के लिए उत्तरदायी मंत्रालयों,विभागों को निश्चित लक्ष्य, गतिविधियां, समयसीमा (अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक) और परिणाम संकेतक(आउटकम इंडीकेटर्स) दिए जायेंगे।
- एक अंतर-मंत्रालयी समिति की स्थापना की जाएगी जो नीति की उपलब्धियों और कार्य योजना प्रगति पर नजर बनाये रखेगी।

2. ट्रांसजेंडर

(Transgenders)

2.1.ट्रांसजेंडर नीति

(Transgender Policy)

चर्चा में क्यों?

केरल देश का पहला राज्य है जिसने ट्रांसजेंडर्स के लिए नीति बनायी है।

केरल की ट्रांसजेंडर नीति

- यह नीति लैंगिक अल्पसंख्यक समूहों के बारे में सामाजिक दुर्भावना को समाप्त कर उनके साथ भेदभाव-मुक्त व्यवहार सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।
- उच्चतम न्यायालय के 2014 के निर्णय और केरल राज्य के हालिया ट्रांसजेंडरर्स सर्वे के परिणामों को ध्यान में रखते हुए यह नीति ट्रांसजेंडरर्स के संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए बनायी गयी है।
- यह नीति हर वर्ग के ट्रांसजेंडरर्स को समाविष्ट करती है।
- यह नीति उच्चतम न्यायालय के निर्णय में वर्णित अल्पसंख्यक समूहों को पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर के रूप में स्वयं की पहचान के अधिकार पर बल देती है।
- यह नीति ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक व आर्थिक अवसरों, संसाधनों और सेवाओं की समान उपलब्धता, कानून के तहत समान व्यवहार का अधिकार, हिंसा रहित जीवन का अधिकार और सभी निर्णयकारी संस्थाओं में समान अधिकार सुनिश्चित करती है।
- यह नीति ट्रांसजेंडर न्याय बोर्ड के गठन की अनुशंसा करती है जिसके अध्यक्ष राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री होगें।

- अप्रैल 2014 में उच्चतम न्यायालय द्वारा 'तीसरे लिंग' को कानूनी वैधता देने वाले फैसले के डेढ़ साल बाद अपनी तरह की यह देश में पहली नीति है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा कि ट्रांसजेंडरर्स को अपने खुद की लिंगीय पहचान निर्धारित करने का अधिकार है; उन्हें सामजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना जाय और शिक्षा व नौकरियों में उन्हें आरक्षण दिया जाय।
- जहाँ तमिलनाडु, महाराष्ट्र और प. बंगाल में ट्रांसजेंडर्स कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, वही केरल की नीति कल्याण व मदद से आगे बढ़कर अधिकार की वकालत करती है।
- नीति बनाने से पहले केरल में 4000 से ज्यादा ट्रांसजेंडरर्स के बीच गहन सर्वे किया गया था।
- ऐसे समय में जब धारा 377 जैसे कानून अस्तित्व में हैं, जिसका इस्तेमाल ट्रांसजेंडरर्स एवं समलैंगिकों का शोषण करने में होता रहा है; ट्रांसजेंडरर्स के मानवाधिकारों के उल्लंघन की दशा में यह नीति पुलिस के खिलाफ आपराधिक व अनुशासनिक कार्यवाही करने का प्रस्ताव करती है।

VISION

2.2. ट्रांसजेंडरों के अधिकार

(Transgender Rights)

सुर्खियों में क्यों?

- दिल्ली सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीकरण के फॉर्म में "ट्रांसजेंडर श्रेणी" भी जोड़ दी है।
- एक अन्य विकास क्रम में ईसाई ट्रांसजेंडरों को जल्द ही समान संपत्ति का अधिकार मिल सकता है।
- इसके अलावा, ओडिशा सरकार ने ट्रांसजेंडरों को गरीबी रेखा से नीचे का दर्जा दिया है।

जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र

- दिल्ली सरकार ने सभी रजिस्ट्रार कार्यालयों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म में परिवर्तन करने के लिए नोटिस जारी किया है।
- ट्रांसजेंडर समुदाय से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण बहुत कम है, और जितना भी है वह महिलाओं के रूप में पंजीकृत है।
- 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी, उसके बाद से इस मामले में यह पहला कदम है।

ईसाई ट्रांसजेंडर

- भारत के विधि आयोग ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम पर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग से सिफारिश मांगी थी।
- दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने ईसाइयों की सलाहकार समिति के साथ विचार-विमर्श किया।
- उन्होंने सुझाव दिया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 44 में संशोधन करके, ट्रांसजेंडरों को पैतृक संपत्ति में पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकार दिए जाने चाहिए।
- मंजूरी के बाद, विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा।
- **महत्व**: उत्तराधिकार अधिनियम में 'ट्रांसजेंडर' को शामिल किए जाने के बाद, ट्रांसजेंडर संपत्ति के अधिकार के लिए कानूनी उपायों का सहारा ले सकते हैं।

ओडिशा में ट्रांसजेंडर्स को बीपीएल दर्जा

- इस कदम से ओडिशा के लगभग बाईस हज़ार ट्रांसजेंडरों को फायदा होगा।
- ओडिशा ट्रांसजेंडरों को बीपीएल का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
- राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाने का भी फैसला किया है।

2.3 ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016

[The Transgender Persons (Protection Of Rights) Bill, 2016]

सुर्ख़ियों में क्यों ?

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016, अगस्त, 2016 को लोकसभा में पेश किया गया था।

'ट्रांसजेंडर' शब्द उन सभी को संदर्भित करता है जो सामान्य लिंग स्टीरियोटाइप से दिखने एवं व्यवहार में अलग होते हैं, इसमें ट्रांससेक्सुअल, ट्रांसवेस्ताइट्स (क्रॉस-ड्रेसर), इंटरसेक्स्ड व्यक्तिऔर जेंडर क्वीयर्स भी शामिल है। भारतीय संदर्भ में, इसमें हिजड़े, किन्नर, अरवनि, जोगता, शिव-शक्ति और अरधी भी शामिल हैं।

विधेयक के प्रावधान

- **ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा:** विधेयक ट्रांसजेंडर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो (i) न तो पूरी तरह से महिला या पुरुष है; (Ii) महिला और पुरुष का एक संयोजन; या (iii) न तो महिला और न ही पुरुष।
- **भेदभाव पर प्रतिबन्ध:** यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्थानों, वस्तुओं और सेवाओं में प्रवेश एवं उपभोग का अधिकार, संचलन का अधिकार, किसी प्रॉपर्टी में निवास करने, स्वामित्व हासिल करने अन्यथा उसे कब्ज़े में लेने का अधिकार, जैसे अनिवार्य क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने से इंकार किये जाने के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।

VISION IAS

- **घर में निवास का अधिकार:** शुरुआत में ही भेदभाव को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है। यदि परिवार ट्रांसजेंडर व्यक्ति की देखभाल करने में असमर्थ है तो व्यक्ति किसी सक्षम न्यायालय के आदेश पर एक पुनर्वास केंद्र में रखा जा सकता है।
- स्वास्थ्य देखभाल: सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय करेगी जिसमे शामिल होंगे - अलग एचआईवी निगरानी केन्द्र, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी आदि।
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए पहचान प्रमाण पत्र: व्यक्ति द्वारा किये गए निवेदन के आधार पर इस प्रमाण पत्र को जिलाधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा, सभी सरकारी दस्तावेजों में लिंग की रिकॉर्डिंग के लिए आधार के रूप में इस प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया जाएगा। एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में उसे उसके अधिकार प्रदान करने के लिए यह एक आधार का कार्य करेगा।
- सरकार द्वारा कल्याणकारी उपाय: सरकार पुनर्वास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार योजनाओं आदि के माध्यम से समाज की मुख्यधारा में ट्रांस जेंडरों के पूर्ण समावेश और भागीदारी सुनिश्चित करने के उपाय करेगी
- **अपराध और दंड**: विधेयक निम्नलिखित अपराधों को चिन्हित करता है :
- भीख मांगना, ज़बरन बनाया गया मजदूर या बंधुआ मजदूर;
- सार्वजनिक स्थान के उपयोग से इनकार;
- घर, गाँव इत्यादि में निवास से इनकार .;
- शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार।
- इन अपराधों के लिए छह महीने से दो साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है ।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सम्बन्ध में नीतियों, विधानों और परियोजनाओं के निर्माण एवं उनकी निगरानी पर केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (NCT) की स्थापना की जायेगी ।

समीक्षात्मक मूल्यांकन

- विधेयक पूर्णतः पुरुष या स्त्री के रूप में पहचान का विकल्प समाप्त कर देता है लेकिन केवल 'अंशतः पुरुष' या 'अंशतः महिला' के रूप में पहचान को इसमें शामिल किया गया है।
- प्रमाणन के लिए अनिवार्य प्रमाणीकरण के साथ जुडी प्रमाणन की कष्टसाध्य प्रक्रिया स्वतः पहचान (सेल्फ-आइडेंटिफिकेशन) के सिद्धांत का उल्लंघन है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है, जिसने ट्रांसजेंडर लोगों को एक 'तीसरे लिंग' के रूप में घोषित किया इस घोषणा ने इस बात की पुष्टि की है कि भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार समान रूप से ट्रांसजेंडरों पर भी लागू होंगे, और उन्हें पुरुष, महिला या तीसरे लिंग के रूप में अपने लिंग के आत्म-पहचान का अधिकार भी दे दिया गया। यह फैसला भारत में लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा, अदालत ने यह भी कहा कि क्योंकि ट्रांसजेंडर लोगों के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में व्यवहार किया गया है, अतः उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले और नौकरी के मामले में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

- निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत पिछले विधेयक के विपरीत, नया विधेयक भेदभाव की परिभाषा नहीं देता है।
- भेदभाव के विरुद्ध कर्त्तव्य के उल्लंघन के सन्दर्भ में किसी भी दंडात्मक प्रक्रिया का अभाव है।
- इसके अलावा, बहुत से ऐसे उदहारण भी हैं जहाँ भिक्षावृत्ति से सम्बंधित सामान्य क़ानून के तहत ट्रांसजेंडरों को अनुचित तरीके से निशाना बनाया गया है।
- नया विधेयक आरक्षण के प्रावधान को शामिल नहीं करता जिसे पिछले विधेयक में शामिल किया गया था और यहाँ तक कि नाल्सा फैसले में भी इस पर ध्यान दिया गया था।

आगे का रास्ता

- ट्रांसजेंडर एक महत्वपूर्ण लिंग पहचान मुद्दा है जिसकी जरूरत है, जिसपर न केवल सरकार और नागरिक समाज द्वारा कार्रवाई की आवश्यकता है, बल्कि मुख्यधारा के समाज में उनके एकीकरण की भी आवश्यकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण: आयरलैंड, अर्जेंटीना, माल्टा, कोलंबिया और डेनमार्क ट्रांसजेंडर समुदाय को बिना चिकित्सकीय उपचार या नसबंदी की प्रक्रिया से गुज़रे बिना लिंग के स्व-निर्धारण का अधिकार देता है।

VISION IAS

3. जाति और जनजाति से संबंधित मुद्दे

[Caste and Tribal Issues]

3.1. जाति से संबंधित मुद्दे

[Caste Issues]

3.1.1. दलितों के खिलाफ बढ़ती हिंसा

[Rising Violence Against Dalits]

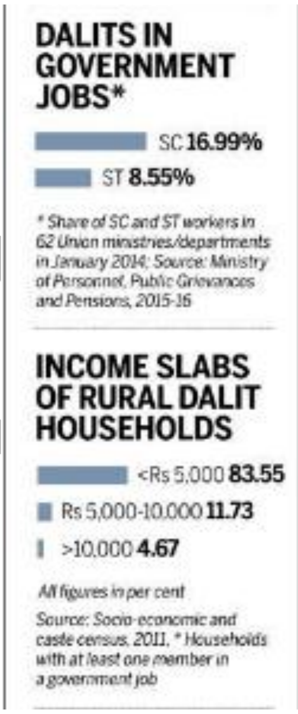

सुर्ख़ियों में क्यों?

- रोहित वेमुला आत्महत्या; गुजरात में दलित चर्मकारों से सम्बंधित ऊना घटना; महाराष्ट्र में एक नाबालिग लड़की का बलात्कार एवं हत्या, जाट आरक्षण के दौरान दलितों पर किये गए हमले आदि
- राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार दलितों के खिलाफ हिंसा के मामलों में 44% वृद्धि हुई है 2010 में ऐसे मामलों की संख्या 32712 थी जबकि 2014 में यह बढ़कर 47064 हो गयी।

बढ़ती हिंसा के लिए कारण

- सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के लिए दलितों के दावे पर प्रभुत्वशाली समुदायों की प्रतिक्रिया।
- कुछ लोगों के अपराधों के लिए पूरे दलित समुदाय को दण्डित किया जा रहा है।
- बेरोजगारी के साथ-साथ अग्रणी जातियों में दलितों के साथ सामाजिक,राजनीतिक,एवं आर्थिक विशेषाधिकारों को साझा करने की विवशता के प्रति असंतोष भी बढ़ रहा है।
- पहले से बेहतर रिपोर्टिंग और पंजीकरण भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराधों की बढ़ती संख्या के लिए एक कारण प्रतीत होता है।

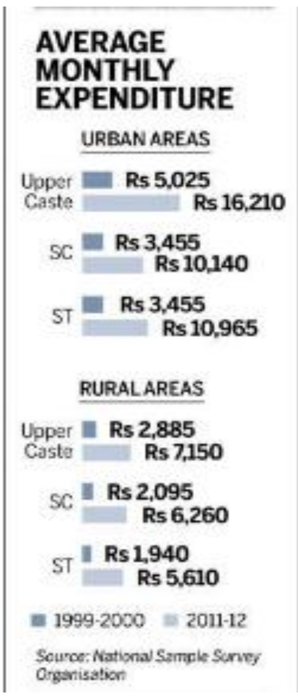

आगे आने वाली चुनौतियां

- सजा की निम्न दर- राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार ,भारतीय दंड संहिता के तहत सभी मामलों के लिए 45% दोषसिद्धि की दर की तुलना में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराधों में सिर्फ 28% मामलो में सजा होती है।
- नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955और अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 आदि जैसे मौजूदा प्रावधानों के बावजूद पीड़ितों के पुनर्वास और क्षतिपूर्ति में राज्य की विफलता
- मामला दर्ज करने के मामले में पुलिस द्वारा भेदभाव।
- गहराई तक जड़ें जमा चुकी सामाजिक जाति संरचना समाज में अब भी मौजूद

आगे की राह

- जातिगत भेदभाव समाप्त किया जा सकता है और इसे अवश्य समाप्त किया जाना चाहिए। इसके लिए कई स्तरों पर कार्रवाई की आवश्यकता है - जमीनी स्तर से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ,

साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी । विधान एवं इसके कार्यान्वयन के साथ ही लोगों की मानसिकता में बदलाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

- जातिगत भेदभाव के मुद्दे पर केवल राज्य पर ही कार्रवाई करने का उत्तरदायित्व नहीं है । बल्कि यह एक मानवाधिकार का मामला है जो गैर-भेदभाव, मानवीय गरिमा एवं समानता के सार्वभौमिक सिद्धांतों के खिलाफ है।
- अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना ।
- दिसम्बर 2015 में,अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अपराधों के ट्रायल एवं पीड़ितों के पुनर्वास के लिए विशेष अदालतों की स्थापना हेतु अत्याचार निवारण अधिनियम में संशोधन किया गया था।

3.1.2. संशोधित अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के लिए नियम

(Rules for Amended SC/ST Act)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने संशोधित अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित किया है।

पृष्ठभूमि

- केंद्र सरकार ने दिसम्बर, 2015 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधन किया था।
- संशोधन का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाना था।
- साथ ही अत्याचार के पीड़ितों को उदार और शीघ्र राहत प्रदान करने के लिए तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में विशेष संवेदनशीलता सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किया गया था।

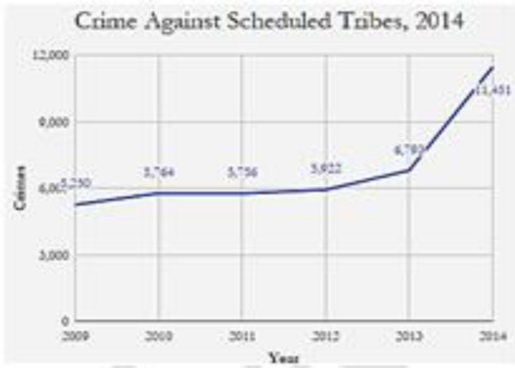

महत्वपूर्ण प्रावधान

- संशोधित प्रावधानों ने राहत पैकज को 75000 से 7,50,000 तथा 85000 से 8,50,000 तक बढ़ा दिया है जो अपराध की प्रकृति पर निर्भर करेगा।
- इसके अलावा गंभीर प्रकृति के अपराधों के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं को राहत प्रदान की जाएगी चाहे अंत में उनके द्वारा लगाये गए आरोप सत्यापित न हो।
- इस कानून की न्याय प्रदान करने में सक्षमता की जाँच हेतु राज्य, जिला और उपसंभाग स्तरीय समितियों की बैठकों में नियमित समीक्षा करना।
- साठ दिनों के भीतर जाँच पूरी करना और आरोप पत्र दाखिल करना।
- पीड़ितों, उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को सात दिनों के भीतर राहत का प्रावधान।
- इसके अलावा बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के लिए पहली बार राहत के प्रावधान किये गए हैं।
- गैर-हमलावर अपराधों जैसे यौन उत्पीड़न, महिलाओं के शील का अपमान करने के उद्देश्य से किये गए इशारों या कार्यों, के संबंध में राहत प्राप्त करने के लिए किसी चिकित्सकीय जाँच की आवश्यकता नहीं होगी।

- अत्याचारों की सूची में नए अपराधों जैसे सिंचाई सुविधाओं का उपयोग न करने देना, वन अधिकार की प्राप्ति में बाधक बनना आदि को सम्मिलित किया गया है।

3.1.3 दलित पूंजीवाद

(Dalit Capitalism)

दलित पूंजीवाद क्या है?

- **दलित पूंजीवाद** - यह कार्यकर्ता चन्द्रभान प्रसाद द्वारा गढ़ा गया शब्द है; इसे इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि जब पूँजीवाद (व्यापार या आर्थिक गतिविधि) दलितों के उत्थान तथा उन्नयन के लिए एक समाधान के रूप में देखा जाता है तो उसे दलित पूँजीवाद कहते हैं।
- फिक्की की तर्ज पर 2005 में दलित इंडियन चेम्बर आफ कामर्स एंड इण्डस्ट्री (DICCI) की स्थापना की गयी थी। डिक्की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों का एक संघ है।
- मुख्य विचार यह है कि पैसा अंतिम समकारी (equalizer) है। पूंजीवाद को जाति की वजह से होने वाले अभावों को कम करने के लिए इसे उपयोग में लाया जा सकता है।

दलित पूँजीवाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार के कदम

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम उद्यमिता विकास और अन्य गतिविधियों के लिए अनुसूचित जाति समुदाय के लिए ऋण प्रदान करता है।
- भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अनुसूचित जाति के लोगों को 15 करोड़ रुपए तक की राशि उद्यम पूंजी ऋण प्रदान करता है।
- हाल ही में शुरू स्टैंड-अप इंडिया कार्यक्रम अनुसूचित जाति के लिए ऋण गारंटी कार्यक्रम सहित उद्यमियों को सहायता प्रदान करेगा।
- मुद्रा बैंक ऋण सुविधाओं का विस्तार करने के लिए SC/ST के ऋण को प्राथमिकता देगा।
- अगले 10 वर्षों में डिक्की एसएमई फंड (DICCI SME fund) की योजना 500 करोड़ के ऋण देने की है।
- सरकार ने ग्रीन बिजनेस योजना शुरू की है। यह योजना जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए दलितों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

दलित पूंजीवाद के समक्ष चुनौतियाँ

- दलित पूंजीवाद के लिए दिए जाने वाले तर्क में बुनियादी दोष यह है कि यह केवल एक जन्मजात शोषक प्रणाली अर्थात पूंजीवाद के भीतर दलितों के लिए एक बराबरी की जगह खोजना चाहता है।
- समाज में समानता की ओर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के व्यापक रूपांतरण के प्रश्न से निपटने के बजाय, दलित पूँजीवाद स्वयं को वर्तमान शोषणकारी व्यवस्था के साथ जोड़ता है।
- विभिन्न स्तरों यथा- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक-प्रशासनिक स्तरों, पर भेदभाव के रूप में दलित उद्यमियों द्वारा झेली जा रही समस्याएं।
- दलित पूंजीवाद अभी भी गरीब दलितों में सर्वाधिक गरीब तबके का उत्थान करने में असफल रहा क्योंकि यह बड़े पैमाने पर होने वाली दरिद्रता, भूमि के प्रश्न या भूमिहीन दलितों के मुद्दों एवं मेगा परियोजनाओं के कारण उनके ज़बरन विस्थापन तथा वाणिज्यिक पूँजीवाद व वैश्वीकरण के कारण सामाजिक आर्थिक असमानताओं के तेज़ी से बढ़ने जैसे मुद्दों के आधार पर संगठित नहीं किया गया है।

3.1.4.भारत में आरक्षण

(Reservation in India)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में पूरे गुजरात राज्य में पटेल समुदाय द्वारा भारत की आरक्षण नीति में सुधार और खुद के लिए आरक्षण की मांग की गई है।

VISION IAS

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 15(3) –** राज्य बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।
- **अनुच्छेद 15(4) -** राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों अनुसूचित जाति और जनजाति के नागरिकों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।
- **अनुच्छेद 16(4)** - राज्य नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है।
- **अनुच्छेद 46** - इस अनुच्छेद का संबंध अनुसूचित जातियों, जनजातियों, और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से है।

सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले

- **मंडल मामला:** इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कुल सुरक्षित कोटा को 50 प्रतिशत तक प्रतिबंधित किया है और अन्य पिछड़ी जातियों के समृद्ध भाग को आरक्षण के लाभ से अपवर्जित किया है
- न्यायमूर्ति ओ. चिनप्पा रेड्डी के द्वारा दिये गये वर्ष 1985 के फैसले में कहा गया कि उच्च वर्गों के द्वारा 'दक्षता' को आवरण के रूप में इस्तेमाल कर, पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित लाभों को नहीं उठाया जा सकता। इससे उच्च पदों और व्यावसायिक संस्थानों में वर्ग विशेष का एकाधिकार बना रहेगा।
- जाट आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार व्यक्त किया है कि 'जाति' और 'ऐतिहासिक अन्याय' आरक्षण प्रदान करने का एक मात्र मानक नहीं है। राज्य 'किन्नर' जैसे समूहों को भी समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए वर्तमान आरक्षण प्रदान कर सकता है।

भारत में आरक्षण की आवश्यकता क्यों है ?

- समाज के वंचित वर्ग के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए
- शैक्षिक और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर भेदभाव में कमी लाने के लिए।

भारत की आरक्षण नीति से जुड़े मुद्दे

- स्थिरता: वर्ष 1950 में हमारे संविधान में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 10 वर्ष के लिए एक अस्थायी प्रावधान के रूप में आरक्षण नीति को शुरू किया गया था, जिसका व्यापक विस्तार हो गया है और यह अब लगभग एक स्थायी विशेषता बन गई है।
- मौजूदा आरक्षण नीति अर्थव्यवस्था और समाज के भीतर निचली जातियों/जनजातियों को आत्मसात करने में नाकाम रही है।
- **राजनीतिक लामबंदी:** कई वर्षों में, राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी लाभ के लिए वोट बैंक की राजनीति के रूप में जाति आधारित आरक्षण का उपयोग किया है।
- **अंतर्जातीय संघर्ष और तनाव**: आरक्षण का उपकरण जाति मतभेदों को दूर करने में बुरी तरह नाकाम रहा है और इसने जातिगत फूट और जातिगत संघर्ष को बढ़ावा दिया है।
- **असंतोष:** आरक्षण से बाहर रह गए समुदायों के मन में आरक्षण की श्रेणी में शामिल जातियों के खिलाफ वैमनस्य और पूर्वाग्रह को उत्पन्न किया है।
- **जातियों के भीतर वर्ग:** आरक्षित श्रेणी के समर्थ व्यक्तियों (क्रीमीलेयर) को इसका सर्वाधिक लाभ हुआ है अधिकतर गरीब लोग इसके लाभ से वंचित रहे हैं।
- सामान्य श्रेणियों में शामिल गरीब नाराज और निराश हैं, और अपने सभी समस्याओं के लिए आरक्षण को दोष देते हैं।

आवश्यक सुधार

- बेहतर पहचान: नये पैमाने का विकास किये जाने की आवश्यकता है। केवल जाति के आधार पर निर्णय लेने की बजाय पिछड़े समूह की पहचान किए जाने की जरूरत है। इसमें प्रक्रिया में सामाजिक और आर्थिक मापदंड को शामिल करना चाहिए।
- **आरक्षण को कुछ के लिए सीमित करना:** एक निश्चित स्तर के सरकारी अधिकारियों के परिवारों - जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), वर्तमान या पूर्व विधायकों, सांसदों, अन्य वरिष्ठ नेताओं और इनके परिवारों को आरक्षण से वंचित किया जाना चाहिए। इस श्रेणी में निश्चित आय से ऊपर वाले चिकित्सक तथा कुछ अन्य पेशेवरों, चार्टर्ड एकाउंटेंट, एक

निश्चित आय से ऊपर वाले निजी क्षेत्र के प्रबंधकों और व्यापारियों और अन्य उच्च आय वाले लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

- **स्व-घोषित पिछड़ापन:** स्व-घोषित, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की धारणा, संवैधानिक रूप से पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए मापदंड नहीं हो सकती।
- **गरीबों को समर्थन:** क्षमतावान किसी बच्चे को कभी भी, गरीबी या किसी जाति में जन्म के कारण उच्च शिक्षा के लिए अवसरों से वंचित ननहीं किया जाना चाहिए। छात्रवृत्ति, नि: शुल्क ट्यूशन, कम ब्याज दर पर ऋण और अन्य तंत्रों को मजबूत किया जाना चाहिए।
- **क्षमताओं का विकास:** कॉलेजों और नौकरियों में दाखिला प्रदान करने के अलावा वंचित लोगों की क्षमताओं को भी विकसित किये जाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- **आत्मसातीकरण:** लाभों को अधिक से अधिक वंचित जातियों के बच्चों तक पहुँचाने की आवश्यकता है। यह केवल कुलीन वर्ग के कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए।

क्या हमें जाति-आधारित आरक्षण से आगे बढ़ना चाहिए?

- जाति-आधारित आरक्षण, समुदाय के सबसे कमजोर सदस्यों के विकास में पूरी तरह सफल नहीं रहा है।
- यह जाति से उपर उठने से हमें रोकता है और लाभार्थी समूह के खिलाफ असंतोष का कारण बनता है जिससे आरक्षण वाले समूह के खिलाफ मौजूदा पूर्वाग्रह और मान्यताएं सशक्त ही हुई हैं।

सकारात्मक कार्रवाई के लिए प्रमाण (Evidence based) आधारित दृष्टिकोण का मूल्यांकन

प्रमाण आधारित दृष्टिकोण के तहत नीतिगत रूपरेखा स्पष्ट या वंचित वर्ग के संबंध में प्रमाणिक जानकारी पर आधारित होती है। इसके अंतर्गत सभी नागरिकों से संबंधित आंकड़ों के संग्रह, रखरखाव और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इसमें सामाजिक और आर्थिक संकेतक शामिल हो सकते हैं। इसके गुण और दोष हैं:

- **बेहतर पहचान:** सही मायने में जिन्हें समर्थन या वरीयता की आवश्यकता है ऐसे व्यक्तियों की जातिगत सीमाओं से परे पहचान की जा सकती है।
- इस दृष्टिकोण का प्रमुख लाभ यह है कि यह उन बुनियादी कारणों पर प्रकाश डालता है कि **क्यों सकारात्मक कार्रवाई शुरू की जा रही है।**
- **जाति आधारित राजनीति को कम करता है:** यह जाति या धर्म की पहचान पर आधारित राजनीति के महत्व को कम करने में मदद करता है।
- **अंतर्जातीय संघर्ष को कम करता है:** यह विशिष्ट जातियों या समुदायों को सकरात्मक विभेद का लाभ प्रदान किए जाने के भेदभाव के कारणों का एक तर्कसंगत स्पष्टीकरण प्रदान करता है।
- **आत्मसातीकरण:** यह कमजोर समूह के सबसे कमजोर सदस्यों को बेहतर लाभ दिलाने हेतु प्राथमिक लक्ष्य निर्धारण में मदद कर सकता है।
- **नुकसान:** इसका नकारात्मक पक्ष केवल यह है कि इस तरह के दृष्टिकोण आंकड़ों पर निर्भर हो जाते हैं, और आंकड़ा प्रदान करने वाले स्रोतों की अप्रमाणिकता और भ्रामक आंकड़ों से प्रभावित हो सकते हैं।

आगे की राह

- आरक्षण नीति पेश किये जाने के बाद से भारत में बहुत कुछ बदल गया है। आंकड़ों और तकनीकि कमी ने सरकार को जाति आधारित आरक्षण का साधारण दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य किया है। हालांकि, आधार संख्या का उपयोग कर जनगणना और अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने वाली तकनीकों के माध्यम से प्रर्याप्त आंकड़ों की उपलब्धता के साथ, प्रमाण आधारित दृष्टिकोण का उपयोग किया जा सकता है। इससे वास्तविक लाभार्थी को लाभ प्रदान करने और लक्ष्य को बेहतर तरीके से साधने में मदद मिलेगी।

VISION IAS

3.2.जनजातियों से सम्बंधित मुद्दे

(Tribal Issues)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- भारत में जनजातीय समुदाय कई समस्याओं का सामना कर रहा है। इस वर्ष सुर्खियों में बने रहने वाले दो प्रमुख मुद्दे वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उनके अधिकारों का उल्लंघन और उनके बीच बढ़ती स्वास्थ्य चिंता का मुद्दा है।

वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन

- हाल ही में कुछ रिपोर्टों ने ओडिशा के आदिवासी क्षेत्रों में ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन द्वारा वन अधिकार अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया।
- संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत गैर-आदिवासी लोग जनजातीय क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व के हकदार नहीं हैं, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में हो रहे **उत्खनन कार्य प्रकृति में शोषक है,** क्योंकि इसका लाभ क्षेत्रीय जनजातीय लोगों को नहीं मिल पाता है। इस प्रकार, वन अधिकार अधिनियम का अधिनियमन इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए किया गया था।
- हालांकि, आरोप लगाए जाते रहे हैं कि वन अधिकार अधिनियम (एफ.आर.ए) के अंतर्गत आदिवासियों के 60 प्रतिशत दावे सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिए जाते हैं।
- आदिवासियों को विस्थापित करके औद्योगिक प्रयोजन के लिए वन भूमि के उपयोग में परिवर्तन किया जाता है।
- विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए ग्राम सभा की सहमति संबंधी उपबंध को नजरअंदाज कर दिया जाता है।
- वन भूमि से आदिवासियों का अलगाव देश में **वामपंथी उग्रवाद** के भड़कने का एक प्रमुख कारण है।

वन अधिकार अधिनियम क्या है?

- 'अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम' या 'वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम; वर्ष 2006 में अस्तित्व में आया तथा इस अधिनियम के लिए नोडल मंत्रालय जनजातीय मामलों का मंत्रालय है।
- इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य परंपरागत वनवासी, जो पीढ़ियों से इन वनों में रह रहे हैं किन्तु जिनके अधिकारों को मान्यता नहीं दी जा सकी है, के वन अधिकारों और उपजीविका को मान्यता प्रदान करने का प्रावधान है।
- यह केवल ग्राम सभा की सिफारिश पर वन भूमि के अन्य किसी कार्य के लिए उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है।
- इसके अलावा आजीविका के लिए स्वयं कृषि कार्य करने के अधिकार, लघु वनोपज पर अधिकार, निस्तार जैसे सामुदायिक अधिकारों को सम्मिलित किया जाता है।

वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- ग्राम सभाओं की सहमति से पारित संकल्पों को संबद्ध पक्षों द्वारा अपने निजी स्वार्थों के लिए भूमि के अन्य किसी कार्य में उपयोग करने के लिए जाली तरीके से परिवर्तित किया जाना।
- कुछ निश्चित क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनयम को लागू नहीं किया जा रहा है।
- संबंधित मंत्रालयों द्वारा वन अधिकार अधिनियम (एफ.आर.ए) को विकास के लिए एक बाधा के रूप में देखा जाता है, जो इसकी सफलता की राह में बाधा बनता है, जबकि मंत्रालयों को चाहिये की वे इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें।
- आदिवासी और वन में निवास करने वाले समुदायों के ज्ञान को निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जा रहा है।
- आदिवासियों और वनवासियों के बीच जागरूकता और शिक्षा का अभाव।
- वन अधिकार अधिनयम संरक्षित क्षेत्रों (जैसे वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों आदि) में अधिकार जैसे अन्य कानूनों के साथ अक्सर मेल नहीं खाता है।

VISION IAS

- सक्सेना समिति ने एफ.आर.ए के कार्यान्वयन में कई समस्याओं की ओर इंगित किया है। अधिकारियों द्वारा उचित जांच-पड़ताल न किये जाने के कारण दावों को गलत तरीके से अस्वीकृत कर दिया जाता है।

जनजातीय स्वास्थ्य का मुद्दा

- शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, ख़राब मातृत्व स्वास्थ्य, शिशु लिंगानुपात, कुपोषण, एनीमिया, मलेरिया और फ्लोरोसिस की उच्च व्यापकता जनजातीय स्वास्थ्य में कुछ सबसे बड़ी बाधाएं हैं।
- स्वास्थ्य देखभाल और जनजातीय विकास के कार्यक्रमों के लिए बजटीय आवंटन में बड़ी कटौती जनजातीय लोगों के लिए मूलभूत स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने में चुनौती खड़ी करती है।
- जनजातीय लोगों में सिकल सेल रोग की भी समस्या है।

जनजातीय स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर नीतिगत हस्तक्षेप

- स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में शोधग्राम गांव के जनजातीय गढ़ में "जनजातीय स्वास्थ्य में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों" पर कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया है।
- यह एक प्रकार से जनजातीय समुदायों की विभेदक और अनूठी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को मान्यता देते हुए सरकार द्वारा उन पर ध्यान दिये जाने की दिशा में एक कदम है।
- आई.सी.एम.आर (ICMR) ने 18 राज्यों में **सिकल सेल रोग के लिए स्क्रीनिंग कार्यक्रम** आरंभ किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाखों जनजातीय लोगों की जांच की जाएगी जिससे यह पता चल जाएगा कि वे इस रोग के वाहक हैं या नहीं या फिर उनमें इसका जीन है या नहीं।
- राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सिकल सेल रोग के वाहकों (विशेष रूप से बालिकाओं) को भेदभाव का सामना ना करना पड़े।
- भारत के नवजातों और जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य के लिए **समुदाय-आधारित कार्रवाई और अनुसंधान** की तत्काल आवश्यकता है।

अन्य जनजातीय मुद्दे

- जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्य और शैक्षिक स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में भी जनजातीय अधिकारों के उल्लंघन के लिए सरकार की नीतियों पर दोषारोपण किया गया है।
- **सरकारी स्कूलों द्वारा जनजातीय बच्चों की उचित देखभाल नहीं की जाती है।**
- राज्य संचालित जनजातीय स्कूलों में मानक काफी नीचे हैं।
- सरकारी स्कूलों में अधिकांश जनजातीय बच्चों में **आधारभूत साक्षरता कौशल का अभाव** है।
- एक महत्वपूर्ण समस्या **प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी** है। यह समस्या विशेष रूप से वर्ष 2001 के बाद और बढ़ी जब सरकार ने केवल जनजातीय समुदाय से ही शिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय किया।
- जनजातीय जीवन के अनूठे तरीके, विशिष्ट भाषाएं और बोलियां, संस्कृति और खान-पान की आदतें तथा **आश्रम विद्यालयों में** प्रचलित तरीकों में साम्य न होने से **जनजातीय बच्चों में उनकी पहचान** और उनकी जीवन शैली से जुड़ाव की भावना को क्षति पहुंची है।
- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के छात्र स्कूलों में अपनी पैतृक संस्कृति खो रहे हैं।
- अधिकांशतः अधिक एकीकृत जनजातियों से आने वाले शिक्षकों के पास 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG)' की संस्कृति की समझ नहीं है।

निष्कर्ष

- स्वतंत्रता के 68 वर्षों बाद भी, जनजातीय समुदायों की समस्याएं मूलभूत आवश्यकताओं तक पहुंच से जुड़ी हैं। इनमें प्राथमिक शिक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य, संधारणीय आजीविका सहायता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य सुरक्षा, पेयजल और स्वच्छता, ऋण, और अवसंरचना सम्मिलित हैं, लेकिन ये इतने तक ही सीमित नहीं हैं। उनके लिए, अवसर की समानता काफी हद तक अधूरी बनी हुई है।
- इस प्रकार, हमें उनकी आवश्यकताओं को समझना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आदिवासी विकसित होने चाहिए, ताकि वे भारत की मुख्य धारा का भाग बन सकें और देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान दे सकें।

4. वृद्धजनों से सम्बंधित मुद्दे

(Elderly Issues)

4.1.भारत में वृद्धों की बढ़ती संख्या

(Ageing India)

सुर्खियों में क्यों ?

- सांख्यिकी मंत्रालय ने हाल ही में “भारत में बुजुर्ग, 2016” नामक एक रिपोर्ट जारी की है।

वृद्धावस्था निर्भरता अनुपातः वृद्ध आश्रितों (64 वर्ष से ऊपर के लोगों) का कार्यकारी आयु वर्ग की आबादी (15 और 64 वर्षों के बीच) से अनुपात।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- 60 वर्ष से अधिक आयु वाले भारतीयों की संख्या में 2001 से 2011 तक 35 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
- केरल में बुजुर्गों की आबादी का प्रतिशत अधिकतम है तथा यह राज्य की आबादी का 12.6% है।
- अधिक बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों में गोवा, तमिलनाडु, पंजाब और हिमाचल प्रदेश सम्मिलित हैं।
- 71 प्रतिशत बुजुर्ग गाँवों में निवास करते हैं, जबकि 29 प्रतिशत शहरों में रहते हैं।
- अरुणाचल प्रदेश में बुजुर्गों की आबादी का प्रतिशत न्यूनतम है जहाँ राज्य की आबादी का केवल 4.6 प्रतिशत 60 वर्ष से ऊपर है।
- भारत का आयु निर्भरता अनुपात भी 2001 में 10.9% से बढ़ कर 2011 में 14.2% हो गया है।
- बुजुर्गों के बीच साक्षरता का अनुपात 1991 में 27% था जो 2011 में बढ़कर 47% हो गया है।

विश्लेषण

- यद्यपि, वैश्विक जनसांख्यिकीय रुझान हमें बताते हैं कि, समय बीतने के साथ देश सामान्यतः आबादी की आयु में वृद्धि का अनुभव करते हैं अर्थात देश की आबादी में वृद्ध व्यक्तियों का अनुपात बढ़ जाता है।
- आर्थिक समृद्धि, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, अच्छी दवाओं की उपलब्धता आदि के कारण समाज में मृत्यु दर में काफी कमी आई है।
- मृत्यु दर में कमी ने जनन क्षमता में कमी का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इन कारकों का समन्वित परिणाम जनसंख्या में बुजुर्ग व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि के रूप में सामने आया है। तथा वर्तमान में **जनसंख्या का बूढ़ापन (Population Ageing)** नामक यह परिघटना पूरे विश्व में व्याप्त जनसांख्यिकीय रुझान है।
- इसके अतिरिक्त, समाज में एकल परिवारों की बढ़ती प्रवृत्ति तथा परिवार में कम बच्चों के कारण, वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल अधिकाधिक कठिन होती जा रही है।
- बुजुर्ग आबादी में वृद्धि के साथ सरकार का सामाजिक सुरक्षा व्यय भी बढ़ जाता है। वहीं दूसरी ओर, कार्यशील आयु के कम लोगों का अर्थ काम करने वाले लोगों की कम संख्या है, जो कम ‘कर आधार’ और कम ‘कर संग्रह’ का कारण बनते हैं।

आगे की राह

- वृद्ध होती जनसंख्या की चुनौतियों का सामना करने के लिए, देश को अच्छी तरह से तैयार रहने तथा इसका दुष्प्रभाव कम करने के लिए उपयुक्त सामाजिक और आर्थिक नीतियां बनाने आवश्यकता है।
- समाज बुजुर्गों को अपनाये और बुजुर्ग परिवर्तनशील समाज को अपनायें, इस संदर्भ में बुजुर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक नीतियों के विकास का आलोचनात्मक परीक्षण किया जाना चाहिए।

VISION IAS

- उपयुक्त **पुनर्वितरण नीतियों** की आवश्यकता है। युवा आबादी की समस्याओं से निपटने एवं बुजुर्गों के लिए सामाजिक कार्यक्रमों हेतु, सीमित संसाधनों में नई प्राथमिकताएं जोड़ी जानी चाहिए।
- बुजुर्ग आबादी के लिए सामाजिक नीतियों पर विचार करते समय **महिलाओं से जुड़े मुद्दे** भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। बेहतर जीवन प्रत्याशा के कारण महिलाएं पुरुषों की तुलना में लंबे समय तक जीवित रहती हैं। जीवन पर्यंत महिलाओं के समक्ष उपस्थित जटिल समस्याएं उन्हें बुढ़ापे में अधिक सुभेद्य बना देती हैं। अतः उनके लिए उचित देखभाल और सहायता प्राथमिकता है।

4.2. बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र

(National Centre For Ageing)

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में बुजुर्गों के लिए दो नए राष्ट्रीय प्रौढ़ केन्द्रों को मंजूरी दी है।

राष्ट्रीय प्रौढ़ केन्द्र क्या हैं?

- राष्ट्रीय प्रौढ़ केन्द्र बुजुर्गों की देखभाल के लिए उत्कृष्टता के अति विशिष्ट केन्द्र हैं।
- ये केंद्र घरेलू देखभाल के लिए नियमावली बनायेंगे और बुजुर्गों की देखभाल के क्षेत्र में विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देंगे और प्रोटोकॉल का गठन करेंगे।
- इन केन्द्रों को राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत स्थापित किया जाएगा।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक केंद्र दिल्ली के AIIMS में और दूसरा चेन्नई के मद्रास मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया जाएगा।

प्रौढ़ देखभाल क्या है?

इसे प्रौढ़ जीवन देखभाल के रूप में भी जाना जाता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें बुजुर्गों और शारीरिक या मानसिक विकलांगता वाले लोगों की देखभाल की योजना बनाई जाती है और समन्वय किया जाता है ताकि वे अपनी दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा कर सकें, अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकें और यथासंभव लंबे समय के लिए अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सकें।

उद्देश्य

- बुजुर्गों को विशेष स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना क्योंकि वे रोगों से जल्दी ग्रस्त हो जाते हैं।
- भारत में प्रौढ़ चिकित्सा में विशेषज्ञता के अंतराल को समाप्त करना।
- इस क्षेत्र के स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षण देना।
- प्रौढ़ देखभाल में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- बुजुर्गों के लिए 200 बिस्तरों वाले चिकित्सा संस्थान स्थापित करना।

भारत में बुजुर्ग किन समस्याओं का सामना करते हैं?

- 70% वृद्ध अपनी दिनचर्या के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। बुजुर्ग महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 85% है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 79% और शहरी क्षेत्रों में 35% लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद कोई लाभ नहीं मिलता है।
- भारत में 10% बुजुर्ग अवसाद से पीड़ित हैं और 40-50% बुजुर्गों को कभी न कभी मानसिक या मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता होती है।
- अनौपचारिक समर्थन और पारिवारिक संरचना तेजी से कम होते जा रहे हैं और औपचारिक संरचनाओं ने पर्याप्त रूप से उनकी जगह नहीं ली है।

आगे की राह

- स्वस्थ बुजुर्गों की अवधारणा और स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना होगा तथा उनके निवारण की प्रक्रिया में समुदायों को शामिल करना होगा।

VISION IAS

- प्रौढ़ स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकारी निजी सहभागिता मॉडल की व्यावहारिकता को जांचना होगा।
- बेसहारा, विकलांग, गरीब, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के बुजुर्गों और महिला बुजुर्गों पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है।

4.3. वृद्धों पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव

(Impact Of Natural Disasters On Elderly)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चेन्नई की बाढ़ ने बड़े महानगरों में प्राकृतिक आपदाओं से सम्बंधित तैयारी की चिन्ताजनक वास्तविकता को सामने रखा है। ऐसी आपदाओं के दौरान समाज का सुभेद्य वर्ग बुरी तरह प्रभावित होता है।

पृष्ठभूमिक तथ्य

- विगत वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य विवरणिका के अनुसार भारत की सम्पूर्ण जनसंख्या में 8.6% लोग (103.8 मिलियन) 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तथा वे सभी सुभेद्य स्थिति वाले वर्ग से सम्बंधित हैं।
- **वर्ष 2011** की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु की जनसंख्या का **10%** (4,64,122) **60** वर्ष की उम्र से ऊपर है। एहतियात के साथ (conservative) किए गए आंकलनों के अनुसार- वृद्ध लोगों का **5** प्रतिशत अकेले निवास करता है (शहरी अलगाव)।
- इस जनसंख्या के लिए, 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति' आपातकाल के लिए एक प्रभावी क्षमता की व्यवस्था करने की कल्पना करती है तथा 'दुर्घटनाओं तथा आपदाओं कि स्थिति में प्राथमिक रूप से सक्रिय भूमिका निभाने वाले प्रशिक्षित सामुदायिक सदस्यों की एक सेना के गठन की कल्पना करती है।
- स्वास्थ्य नीति आपातकालीन देखरेख के एक नेटवर्क की कल्पना करती है। यह नेटवर्क ट्रामा प्रबंधन केन्द्रों से जुडी हुई जीवन सहायक एम्बुलेंस के प्रावधान को सुनिश्चित करता है। शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक **30** लाख की जनसंख्या पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक **10** लाख की जनसंख्या पर एक ट्रामा सेन्टर की व्यवस्था करता है। यह व्यवस्था एक ट्रामा देखभाल नीति के लिए मार्गदर्शक होगी।

मुद्दे

- सहायक प्रणाली के अभाव में भारत की बूढ़ी होती आबादी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित नहीं है।
- वरिष्ठ नागरिक चेन्नई बाढ़ में मृत लोगों का एक बड़ा हिस्सा हैं।
- शहरी अकेलापन ऐसी आपदाओं के दौरान लाचारी को बढ़ावा देता है।
- बहुत से वृद्ध लोग बाढ़ के दिनों में राहत एवं पुनर्वास की पहुँच से वंचित थे।
- अकुशल प्रशासन- सुभेद्य जनसंख्या पर वार्ड स्तरीय आंकड़ों का पूर्ण अभाव है। ऐसे आंकड़े किसी भी राहत एवं बचाव कार्य को सफल बनाने के लिए आवश्यक हैं।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति द्वारा सुभेद्य जनसंख्या के लिए परिकल्पित लक्ष्यों को प्राप्त करने में संस्थागत क्षमता का अभाव।

आगे की राह

- संस्थागत क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए।
- राहत, बचाव और पुनर्वास उपायों को सुभेद्य वर्गों तक जल्द से जल्द पहुँचाया जाना चाहिए।
- शहरी अकेलेपन की सामाजिक घटना को समुदायों द्वारा हल किया जाना चाहिए तथा एनजीओ समाज के सुभेद्य वर्गों पर मनोवैज्ञानिक तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते है।
- वृद्धों की चुनौतियों के बारे में लोगों के बीच जागरुकता फैलाये जाने की आवश्यकता है।
- सहायता के लिए सामाजिक जनसंचार माध्यमों एवं तकनीकी का प्रयोग करना।

VISION IAS

5. विकलांगों से संबंधित मुद्दे

(Issues Related To Disabled)

5.1. भारत में विकलांगता

(Disability In India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निःशक्तजनों का नामकरण “विकलांग” से बदलकर “दिव्यांग” करने का सुझाव दिया है।
- विकलांग लोगों के कई संगठनों ने “दिव्यांग” शब्द के प्रयोग का विरोध किया है।

भारत में विकलांगता की परिभाषा

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 सात श्रेणियों के तहत विकलांगता को परिभाषित करता है - अंधापन, कम दृष्टि, कुष्ठरोग-उपचारित(Leprosy-cured), बहरापन, गतिशील विकलांगता(लोकोमोटर डिसएबिलिटी), मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी।

2001 की जनगणना के अनुसार भारत की 2.21% जनसंख्या विकलांग है।

भारत में विकलांगों के लिए सरकार की पहलें

- निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 लागू किया गया।
- भारत ने निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए।
- निःशक्त जनों के प्रति मानसिकता बदलने के लिए "विकलांग" शब्द के स्थान “दिव्यांग” शब्द के उपयोग पर विचार किया जा रहा है।
- इस शब्द के उपयोग से आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ ही निःशक्त जनों के सशक्तिकरण को बल मिलेगा।

“दिव्यांग” शब्द की आलोचना

- सिर्फ शब्दावली में परिवर्तन से विकलांग लोगों के साथ किये जाने वाले व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आएगा।
- यह केवल सहानुभूति को बढ़ावा देगा और इस बात पर बल देगा की उदारता की आवश्यकता है।
- यह सिर्फ मिथकों को बढ़ावा देगा। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि विकलांगता कोई दैवीय उपहार नहीं है।

भारत में विकलांगता से जुड़े मुद्दे

- भारत में विकलांगता को ठीक से नहीं मापा जाता है।
- सभी जनगणनाओं में विकलांगता को नहीं मापा गया है।
- जिन जनगणनाओं में विकलांगता को मापा गया है उनमें अलग-अलग परिभाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो इसकी तुलना को कठिन बना देता है।
- परिभाषा में परिवर्तन होने से किसी एक जनगणना में निःशक्त माना जाने वाला व्यक्ति दूसरी जनगणना में निःशक्त नहीं माना जाता।
- भारत में विकलांगता को चिकित्सा या रोग की दृष्टि से ही देखा जाता है।
- अधिकांश विकसित देशों में विकलांगता को सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, उन संस्थागत और सामाजिक व्यवस्थाओं पर बल देते हुए जो विकलांग व्यक्तियों को सामान्य जीवन व्यतीत करने से रोकते हैं।
- जनगणना में विकलांगों की संख्या इस विषय में विकलांगों द्वारा स्वयं सूचित करने पर निर्भर करती है, इस वजह से मानसिक विकलांगता और कई बार शारीरिक विकलांगता भी इसमें शामिल नहीं हो पाती।
- भारत में विकलांगों के लिए संस्थागत और ढांचागत समर्थन का अभाव है।

VISION IAS

आगे की राह

- केरल सरकार ने वर्ष 2014-15 में 'केरल विकलांगता जनगणना' करवाई और केरल ऐसा करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अन्य राज्यों को भी इस उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए।
- निःशक्त व्यक्तियों के लिए नए अधिकारों में नौकरियों में आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
- निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के तहत विकलांगता की सात श्रेणियों को बढ़ाकर 19 करने का प्रस्ताव भी है।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुँच और सहायता सेवाओं में कई गुना वृद्धि की जानी चाहिए।

5.2. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014

(The Right of Persons With Disabilities Bill, 2014)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, यह विधेयक संसद में पुन: प्रस्तुत करने से पहले परामर्श के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा गया था।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- यह विधेयक, विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, का स्थान ग्रहण करेगा। इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट सात विकलांगताओं की बजाय यह विधेयक 19 स्थितियों को समाविष्ट करता है।
- कम से कम 40% विकलांगता वाले व्यक्ति शिक्षा और रोजगार में आरक्षण, सरकारी योजनाओं में वरीयता आदि जैसे कुछ विशेष लाभों के हकदार हैं।
- यह विधेयक विकलांग व्यक्तियों को कई अधिकार और हक प्रदान करता है। इसमें सभी सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, परिवहन के साधनों, मतदान केंद्रों, आदि में विकलांग अनुकूल पहुंच सम्मिलित है।
- मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के मामले में जिला न्यायालय दो प्रकार की अभिभावकता प्रदान कर सकते हैं। सीमित अभिभावक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से निर्णय लेता है। पूर्ण अभिभावक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की ओर से उससे परामर्श किए बिना निर्णय लेता है।
- यह विधेयक विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय और राज्य आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है। आयोगों के लिए आवश्यक होगा:

✓ अधिनियम से असंगत किसी भी कानून, नीति या कार्यक्रम की पहचान करना;

✓ विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध अधिकारों और सुरक्षा उपायों की वंचना से संबंधित प्रकरणों की जांच करना और उपयुक्त उपचारात्मक उपायों की अनुशंसा करना;

✓ इस अधिनियम के कार्यान्वयन और विकलांग व्यक्तियों आदि के लाभ के लिए सरकारों द्वारा वितरित फंड के उपयोग की निगरानी करना।

- यह विधेयक विकलांगता पर केन्द्र और राज्य सलाहकार बोर्डों की स्थापना का प्रावधान करता है। इन सलाहकारी बोर्डों के कार्यों में सम्मिलित होगा:

✓ विकलांगता के संबंध में नीतियों और कार्यक्रमों पर सरकार को सलाह देना;

✓ विकलांग व्यक्तियों के विषय में राष्ट्रीय/राज्य की नीति का विकास करना;

✓ पहुंच, उचित आवास, भेदभाव नहीं किया जाना आदि सुनिश्चित करने के लिए उपायों की अनुशंसा करना।

महत्वपूर्ण मुद्दे और विश्लेषण

- यह विधेयक 2007 में भारत द्वारा अनुमोदित विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRPD) के अंतर्गत दायित्वों की पूर्ति करने के लिए लाया जा रहा है।

VISION IAS

- प्रश्न यह है कि क्या विकलांगता के संबंध मे (जो राज्य सूची का विषय है) राज्यों और नगर पालिकाओं पर कानूनी और वित्तीय दायित्व आरोपित करना संसद के लिए उचित है।
- यह विधेयक, विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करना केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य बनाता है। अतः, इसका राज्य और स्थानीय सरकारों के लिए वित्तीय निहितार्थ हो सकता है।
- हालांकि, इस विधेयक का वित्तीय ज्ञापन इस विधेयक के अंतर्गत दायित्वों की पूर्ति करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों का कोई भी आकलन प्रदान नहीं करता है। यह तर्क दिया जा सकता है कि पर्याप्त धन आवंटित किए बिना इस विधेयक के कार्यान्वयन में बाधा पड़ सकती है।
- यह विधेयक, अभिभावकता प्रावधानों के संबंध में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 पर अधिव्यापित होता है। इसके फलस्वतरूप अभिभावकता के दुरुपयोग के रक्षोपायों में कमी आ सकती है।
- यह विधेयक कुछ प्रकरणों में अन्य कानूनों के साथ असंगत है। इसमें गर्भावस्था की समाप्ति के लिए शर्तें और महिला का शील भंग करने के लिए न्यूनतम आर्थिक दंड सम्मिलित है।

5.3. सुगम्य भारत अभियान

(Accessible India Campaign)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- अन्तर्राष्ट्रीय निःशक्त जन दिवस (3 दिसम्बर) पर भारत सरकार ने सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की। यह निःशक्तजनों को सभी आवश्यक सुविधाओं तक पँहुच सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रारम्भ एक फ्लैगशिप अभियान है।
- यह अभियान सार्वभौमिक सुगमता को प्राप्त करने के लिए तीन अलग-अलग मापदण्डों को लक्षित करता है। ये तीन मापदण्ड निम्नलिखित हैं – निर्मित पर्यावरण, परिवहन पारिस्थितिक तन्त्र तथा सूचना एवं संचार पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना।
- अन्तर्राष्ट्रीय निःशक्त जन दिवस 2015 की थीम थी- समावेशन महत्व रखता है: सभी तरह की योग्यताओं से युक्त व्यक्तियों के लिए सशक्तिकरण तथा पहुँच (Inclusion matters: access and empowerment for people of all abilities)

तथ्य और आंकड़े

- विश्व में 1 अरब से अधिक लोगों अर्थात 7 में 1 व्यक्ति में कुछ न कुछ विकलांगता है।
- 100 मिलियन से अधिक विकलांग व्यक्ति, बच्चे हैं।
- विकलांग बच्चों को विकलांगता रहित बच्चों की तुलना में लगभग चार गुना अधिक हिंसा का सामना करने की संभावना होती है।
- 80% विकलांग लोग विकासशील देशों में रहते हैं।
- 50% विकलांग लोग स्वास्थ्य देखभाल का व्यय नही वहन कर सकते हैं।
- 153 देशों ने **विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन** पर हस्ताक्षर किया है।

कार्यक्रम के लक्ष्य तथा उद्देश्य

- इस अभियान का लक्ष्य परिवहन, सरकारी भवनों, पर्यटक स्थलों, विमानपत्तनों, रेलवे स्टेशनों तथा इंटरनेट तकनीकी को निःशक्त जनों के लिये सुगम बनाना है।
- इस अभियान के तहत निश्चित समयसीमा के भीतर महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं। इसमें विभिन्न हितधारकों को लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध बनाने का प्रयास किया जाएगा तथा अभियान के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया तथा सूचना तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा।

VISION IAS

- राष्ट्रीय राजधानी तथा सभी राज्य की राजधानियों के सभी सरकारी भवनों के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को, देश के सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाइअड्डों तथा A1 , A और B श्रेणी के सभी रेलवे स्टेशनों को, देश में सरकारी क्षेत्र के सार्वजनिक परिवहन वाहनों के कम से कम 10 प्रतिशत भाग को तथा केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा जारी सभी दस्तावेजों के कम से कम 50 प्रतिशत को जल्दी ही निःशक्त जनों के लिए पूर्ण रूप से सुगम्य बनाया जाएगा।

राष्ट्रीय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय (कन्वेंशन)

- भारत, निःशक्तजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRPD) का हस्ताक्षरकर्ता देश है।
- निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अनुसार राज्य निम्नलिखित सुविधाओं को उपलब्ध करायेगा:

✓ सार्वजनिक भवनों में रैम्प (चढ़ने-उतरने के लिए सीढ़ियों के स्थान पर प्रयुक्त ढाल)
✓ व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताओ के लिए शौचालयों का प्रबन्ध।
✓ लिफ्ट या एलीवेटर्स में ब्रेल प्रतीक तथा ध्वनि संकेत।
✓ अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अन्य पुनर्वास केन्द्रों में रैम्प।

सरकारी पहलें तथा कुछ प्रस्तावित उपाय

- सरकार सम्पूर्ण देश में 'सुगम्य पुलिस स्टेशन', 'सुगम्य अस्पताल' तथा 'सुगम्य पर्यटन' का निर्माण करेगी।
- टेलीविजन कार्यक्रमों की सुगमता को बढ़ाने के लिए उनमें अनुशीर्षक, टेक्स्ट के लिए स्पीच तथा श्रव्य विवरण जैसी विशेषताओं को सम्मिलित करना है।
- दुर्गम क्षेत्रों के बारे में जनता आधारित मंच (Crowd sourcing platform) द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए एक वेब पोर्टल तथा मोबाइल एप्लीकेशन का निर्माण करना।
- एक सुगमता सूचकांक निर्माण की प्रक्रिया में है। इसके द्वारा किसी प्रणाली की निःशक्तजनों के लिए उपयुक्तता को मापा जाएगा।
- निःशक्त जनों के लिये प्रयुक्त 'विकलांग' शब्द के स्थान 'दिव्यांग' शब्द का प्रयोग प्रस्तावित है।
- मूक-बधिर व्यक्तियों के लिए अलग-अलग संस्थान तथा नयी ब्रेल भाषा का निर्माण।
- सरकार ने 1700 करोड़ रुपये की लागत से निःशक्तजनों के लिए एक विशेष विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय किया है।

5.4 मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक, 2013

(Mental Health Care Bill, 2013)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- अगस्त 2016 में, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक, 2013 को राज्य सभा में पारित किया गया।
- नया बिल लोकसभा में पारित होने के बाद 1987 के पुराने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम का स्थान ले लेगा।

पृष्ठभूमि

- यह बिल, 2007 के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को सरकार द्वारा मंज़ूरी देने का परिणाम है।
- नया विधेयक इसलिए पेश किया गया क्योंकि मौजूदा अधिनियम न तो पर्याप्त रूप से मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है और न ही मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल तक उनकी पहुँच को बढ़ावा देता है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- **मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के अधिकार**: प्रत्येक व्यक्ति को सरकार द्वारा वित्त पोषित या चलाई जा रही सेवाओं का उपयोग कर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच और उपचार प्राप्त करने का अधिकार होगा।

VISION IAS

- **अग्रिम निर्देश**: मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को अग्रिम निर्देश बनाने का अधिकार होगा जिसमें यह उल्लेख हो कि मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के दौरान वह कैसे बीमारी का इलाज करवाना चाहता है तथा कौन उसका नामित प्रतिनिधि होगा।
- **केन्द्र और राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण**: बिल का उद्देश्य निम्न कार्यों के लिए इन संस्थाओं की स्थापना करना है:

✓ पंजीकरण और निगरानी करने तथा सभी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का एक रजिस्टर बनाए रखने के लिए

✓ ऐसे संस्थानों की गुणवत्ता और सेवा के प्रावधान मानदंडों का विकास करना

✓ मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का एक रजिस्टर बनाकर रखना

✓ मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देना।

- **मानसिक स्वास्थ्य संस्थान**: प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान का सम्बंधित केन्द्रीय या राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत होना आवश्यक है।
- **मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा आयोग और बोर्ड**: यह एक अर्ध न्यायिक निकाय होगा जो कि समय-समय पर अग्रिम निर्देश और उनको निर्मित करने की प्रक्रिया की समीक्षा करेगा तथा मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार को सलाह देगा।
- **आत्महत्या को गैर-कानूनी नहीं मानना (IPC - धारा 309)**: कोई व्यक्ति जो आत्महत्या का प्रयास करता है, उसे उस समय मानसिक बीमारी से पीड़ित माना जाएगा और भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित नहीं किया जाएगा।
- **विद्युत आक्षेप चिकित्सा (Electro-Convulsive Therapy) पर रोक लगाना**: ECT की अनुमति केवल बेहोश करने के बाद ही दी जाती है। यह चिकित्सा नाबालिगों के लिए निषिद्ध है।

विधेयक का समीक्षात्मक मूल्यांकन

- ऐसे मुद्दे उठाये गए जिनके अनुसार विधेयक के कई प्रावधानों का मानसिक रोगों के इलाज में नकारात्मक प्रभाव हो सकता है।
- वर्तमान विधेयक मनोचिकित्सक को असहज कर सकता है क्योंकि यह बहुत ज्यादा नियंत्रण स्थापित करता है।
- गैर विशेषज्ञों के हाथों में मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के फैसले होने के कारण चिंता जताई जा रही है। मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड छह सदस्यों का बोर्ड है जिनमें से केवल एक ही मनोचिकित्सक है।
- मानसिक बीमारी की अधिक विस्तृत परिभाषा से मानसिक रोगियों के एक बड़े हिस्से को नुकसान हो सकता है क्योंकि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो सकती है।
- विधेयक में आवश्यक व्यय के बारे में प्रावधान नहीं है और यह केंद्र और राज्यों के बीच खर्च को साझा करने का विवरण प्रदान नहीं करता है।
- लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय होने के कारण इस विधेयक को लागू करने के लिए राज्यों पर भारी वित्तीय दबाव डाला जाएगा।
- केंद्र द्वारा राज्य के विषय पर इस तरह के कानून लाने से सहकारी संघवाद मॉडल पर असर होगा।

आगे की राह

- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक में कुछ अभूतपूर्व उपाय शामिल हैं जिनका उद्देश्य, देश भर में और विशेष रूप से वंचित लोगों की मानसिक बीमारी के इलाज तक पहुँच बढ़ाने में सुधार कर एक बड़ा परिवर्तन करना है।
- विधेयक से सम्बंधित मुद्दों को हल करना आवश्यक है। विधेयक को अधिनियम के रूप में अंतिम निर्णय देने से पहले राज्यों से सलाह ली जानी चाहिए।
- यह जांच कर लेनी चाहिए कि विधेयक देश में मानसिक रोगों के इलाज में बाधाओं का निर्माण नहीं करता है।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मानसिक रोगियों का बड़ा हिस्सा बिना किसी शर्मिंदगी तथा बाधा के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम हो।

VISION IAS

6. बच्चों से संबंधित मुद्दे

(Issues Related To Child)

6.1. बाल अधिकार

(Child Rights)

14 से 20 नवम्बर तक विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार सप्ताह (ICRW) का आयोजन किया गया। भारत में 20 नवम्बर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसे पूरे विश्व में लोगों को बच्चों के अधिकारों के संबंध में जागरूक बनाने हेतु विश्व बाल दिवस (अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस) के रूप में भी मनाया जाता है।

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1954 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह अनुशंसा की कि संपूर्ण विश्व के बच्चों के बीच बंधुत्व तथा समझ को प्रोत्साहित करने तथा बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सभी देशों को अपने यहाँ विश्व बाल दिवस का आयोजन का आरम्भ करना चाहिए।
- वर्ष 1959 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकार की घोषणा को स्वीकार किया तथा इसने बच्चों के अधिकारों के संबंध में एक समझौते को भी अपनाया।

बाल अधिकार क्या हैं ?

- बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय के अनुसार (भारत ने 1992 में इसे अंगीकार किया), सभी बच्चे मूल अधिकारों के साथ जन्म लेते हैं।
- बच्चों के अधिकार का अर्थ होता है बच्चों का मूलभूत मानवाधिकार जिसमें नाबालिग बच्चों के अधिकार पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है।
- **बाल अधिकारों में निम्न सम्मिलित हैं:**
- ✓ **उत्तरजीविता का अधिकार-** जीवन, स्वास्थ्य, पोषण, नाम तथा राष्ट्रीयता का अधिकार।
- ✓ **विकास का अधिकार** – शिक्षा, देख-भाल, अवकाश, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का अधिकार।
- ✓ **संरक्षण पाने का अधिकार** – शोषण, दुर्व्यवहार, मानव तस्करी तथा उपेक्षा से संरक्षण पाने का अधिकार।
- ✓ **भागीदारी का अधिकार** – अभिव्यक्ति, जानकारी, विचार और धर्म का अधिकार।
- बाल अधिकार, बाल श्रम तथा बाल उत्पीड़न का विरोध करता है, ताकि बच्चे का विकास सुनिश्चित किया जा सके।

बच्चा किसे समझा जाए ?

- बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय (UNCRC) के अनुसार, बालक या बालिका का अर्थ है 18 वर्ष की आयु से कम का प्रत्येक मनुष्य।
- **बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986** के अनुसार 14 वर्ष की आयु सीमा के भीतर का कोई भी व्यक्ति बच्चा है।
- **कारखाना अधिनियम, 1948** तथा **वृक्षारोपण श्रम अधिनियम, 1951** के अनुसार, 15 वर्ष की आयु सीमा के भीतर का कोई भी व्यक्ति बच्चा माना जाएगा।
- **किशोर न्याय (बच्चों की देख-भाल तथा संरक्षण) अधिनियम, 2000** ने बच्चे की परिभाषा बदल दी है; इसके अनुसार 18 वर्ष की आयु के भीतर का कोई भी व्यक्ति बच्चा माना जाएगा।
- **यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012** के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बच्चा होगा।

VISION IAS

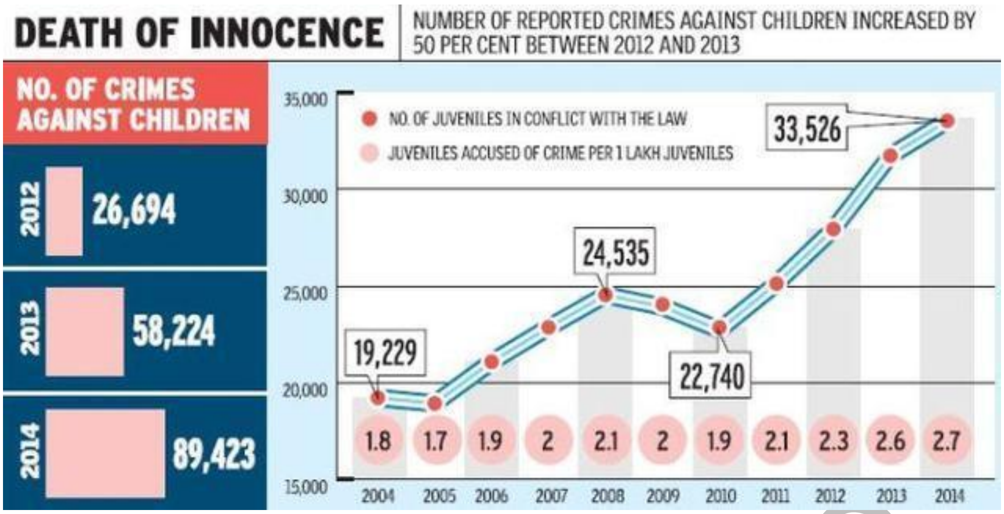

बाल अधिकारों से संबंधित गंभीर तथ्य :

- **बच्चों के विरुद्ध अपराध में तीव्र वृद्धि –** एक वर्ष में बच्चों के विरुद्ध अपराध में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
- **बढ़ते शहरीकरण** के कारण बच्चों में बीमारियों (पोषण का अभाव, वृद्धि रुक जाना तथा उच्च IMR जैसे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे) वृद्धि हुई है तथा उनके विरुद्ध अपराधों में भी वृद्धि हुई है।
- शहरों में रह रहे बच्चे न सिर्फ ऐसी हिंसा का शिकार होते हैं बल्कि उनके संगठित अपराध के गोरखधंधे का अंग बनने का भी ख़तरा है।
- **बाल श्रम – वर्ष** 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 5 से 14 वर्ष के आयु-समूह में **40 लाख बच्चे कार्यरत** हैं। पूरे विश्व में अब भी 17 करोड़ बच्चे बाल-श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा उनमें से 8.5 करोड़ बच्चे बाल वेश्यावृत्ति तथा बाल-दासता के सबसे निकृष्टतम रूपों के शिकार हैं।
- **बाल विवाह –** भारत में 41.3 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 19 वर्ष की आयु तक हो जाता है तथा इसके बाद वे शीघ्र ही माँ बन जाती हैं।
- **शिक्षा–** शिक्षा, समृद्ध लोगों का व्यवसाय तथा विशेषाधिकार बन गई है। यह समाज के वंचित वर्ग के बच्चों के बहिष्करण का कारण बन जाती है।
- **कुपोषण –** विकासशील जगत में व्याप्त कुपोषण का 40 प्रतिशत भारत में है।
- **बाल लिंगानुपात –** 0 से 6 वर्ष के आयु समूह में लड़कियों की घटती संख्या चिंता का विषय है। प्रत्येक 1000 लड़कों पर केवल 918 लड़कियां हैं।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र –** इस क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के समक्ष सीमा पार मानव तस्करी का शिकार बनने का खतरा है।
- जन्म के केवल 35 प्रतिशत मामले पंजीकृत किये जाते हैं,जिससे उनके नाम तथा राष्ट्रीयता का निर्धारण होता है।
- प्रत्येक 16 बच्चों में से एक, 1 वर्ष की आयु होने तक मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। प्रत्येक 11 बच्चों में से एक, 5 वर्ष की आयु सीमा प्राप्त करने से पहले मृत्यु का शिकार हो जाते हैं।
- परीक्षा के समय बच्चे अत्यधिक तनाव से गुजरते हैं तथा उनके लिए कोई हेल्पलाइन भी नहीं है। किशोरवय जनसंख्या के बीच दक्षिण भारत में आत्महत्या की दर सर्वोच्च है।
- माता-पिता के पास बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए जानकारी, कौशल तथा रणनीतियों का अभाव होता है। उनके पास अपने बच्चों के लिए समय का भी अभाव होता है।
- हिंसा के बीच पालन-पोषण किसी बच्चे के विकास, आत्म-सम्मान, शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक सम्पूर्णता पर गंभीर प्रभाव डालता है।

VISION IAS

बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए असम राज्य आयोग द्वारा जारी की गयी रिपोर्ट से इस बात का पता चलता है कि राज्य की कम से कम 80 प्रतिशत चाय बागानें शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करती रही हैं। सर्वेक्षण में यह भी सामने आया है कि चाय बागानों में बच्चों की बड़ी संख्या चाय की पत्तियों को तोड़ने के काम में लगाई जाती है। स्कूल जाने की जगह उनसे कारखानों में काम कराया जाता है।

भारत में बाल अधिकारों को संरक्षण देने के लिए बनाए गए **संवैधानिक प्रावधान:**

अनुच्छेद 14- कानून के समक्ष समानता।

अनुच्छेद 15- राज्य किसी नागरिक के साथ भेद-भाव नहीं करेगा। इस अनुच्छेद में उल्लिखित कोई भी बात राज्य को महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगी।

अनुच्छेद 21-जीवन का अधिकार

अनुच्छेद 21ए- (RTE) राज्य स्वयं के कानूनों के अनुसार निर्दिष्ट तरीकों से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को **निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा** उपलब्ध कराएगा।

अनुच्छेद 23- मानव दुर्व्यपार तथा बलात श्रम का निषेध।

अनुच्छेद 24-कारखानों में बच्चों की नियुक्ति का निषेध।

संविधान (86वाँ संशोधन) अधिनियम की अधिसूचना 13 दिसंबर 2002 को ज़ारी की गयी थी, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को उनका मूल अधिकार बनाया गया।

अनुच्छेद 39 (ई.) तथा 39 (एफ़.) – बाल श्रम को रोकने के लिए

अनुच्छेद 45- आरंभिक बाल्यावस्था में देख-भाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान।

अनुच्छेद 47- पोषण स्तर तथा जीवन यापन के मानक को ऊंचा उठाने का प्रावधान।

आगे की राह:

- बाल श्रम के खतरे को समाप्त करने के लिए बाल श्रम (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित किये जाने की आवश्यकता है।
  - ✓ 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए सभी प्रकार के बाल श्रम का निषेध होना चाहिए।
  - ✓ किसी बच्चे को बाल श्रम के निकृष्टतम प्रकारों जैसे भिक्षावृत्ति तथा वेश्यावृत्ति में नहीं लगाया जाना चाहिए।
  - ✓ अर्थ-दण्ड की राशि तथा कारागार की अवधि में वृद्धि।
  - ✓ प्रवर्तन एजेंसी के कर्मचारियों को भी उनके क्षेत्राधिकार में बच्चों के कार्यरत पाए जाने पर उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।
  - ✓ बाल श्रम को एक संज्ञेय तथा गैर-जमानती अपराध बनाया जाना चाहिए।
  - ✓ पुनर्वास को कानून का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए।
- बाल श्रम के निकृष्टतम रूपों से निपटने के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) कन्वेंशन को अंगीकार करना चाहिए।
- बच्चों की आयुसीमा के संबंध में एकसमान परिभाषा गढ़े जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में, विभिन्न कानूनों में बच्चे को परिभाषित करने के लिए अलग-अलग आयु सीमा का प्रावधान है।
- किशोर अपराधों के मूल कारणों, जैसे निर्धनता, टूटे हुए परिवार, अश्लील साहित्य की अनियंत्रित उपलब्धता तथा बाल-संरक्षण प्रणाली की असफलता को प्रभावी उपायों की सहायता से दूर किया जाना चाहिए।
- बाल संरक्षण तंत्र को और अधिक संख्या में **ग्राम बाल समितियों (VCCs)** के द्वारा सशक्त बनाया जाना चाहिए जहां बच्चे चर्चाओं में भाग लें तथा उन्हें ज़िम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाये।

VISION IAS

बाल अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कानून:

- यौन उत्पीड़न जैसे जघन्य अपराधों तथा बच्चों के यौन शोषण की समस्याओं के निपटारे के लिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की व्यवस्था है।
- बाल श्रम (निषेध तथा संरक्षण) अधिनियम, 1986
- कारखाना अधिनियम, 1948
- अनैतिक तस्करी (बचाव) अधिनियम, 1956
- किशोर या नाबालिग न्याय (बच्चों की देख-भाल तथा संरक्षण) अधिनियम, 2010
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
- निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 इत्यादि।

बाल संरक्षण तथा विकास हेतु सरकारी पहलें

बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग (NCPCR) – आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम, तथा प्रशासनिक व्यवस्थाएं, भारत के संविधान के आदर्शों के अनुरूप तथा बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के संधिपत्र में निहित बाल अधिकारों से संगत होना चाहिए।

- **समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) योजना**

✓ 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी दशा में सुधार लाना।

✓ बच्चे के उपयुक्त मनोवैज्ञानिक, भौतिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना।

✓ मृत्यु अनुपात, रुग्णता, कुपोषण तथा विद्यालय छोड़ देने की घटनाओं में कमी लाना।

- **महिला तथा बाल विकास के क्षेत्र में सामान्य सहायता राशि योजना**
- **समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS)**

✓ इसका लक्ष्य कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए संरक्षक वातावरण निर्मित करना है।

✓ इस योजना में प्रभावी रणनीतियों को क्रियान्वित करने तथा उनके परिणामों की निगरानी के लिए एक बाल संरक्षण आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की जायेगी।

- **किशोरी शक्ति योजना**

✓ **आरंभिक बाल्यावस्था बाल शिक्षा नीति**

✓ **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ोओ पहल इत्यादि।**

6.2. यूनिसेफ: स्टेट ऑफ चिल्ड्रन रिपोर्ट

(UNICEF: State of Children's Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- यूनिसेफ ने बच्चों से सम्बंधित अपनी वार्षिक फ्लैगशिप **'स्टेट ऑफ चिल्ड्रेन्स' रिपोर्ट (State of Children's Report)** का विमोचन किया।
- यूनिसेफ की इस रिपोर्ट में दुनियाभर में बच्चों की स्थिति, इस दिशा में किए गए प्रयास तथा भावी क़दमों पर प्रकाश डाला जाता है।

मुख्य बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार,यदि वर्तमान स्थिति वर्ष 2030 (सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निश्चित किया गया वर्ष) तक जारी रहती है तो :

✓ 2016 से 2030 के बीच 5 वर्ष से कम उम्र के 69 मिलियन बच्चों की मृत्यु होने की संभावना है।

✓ प्राथमिक स्कूल जाने की उम्र वाले 60 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर रह जाएंगे।

✓ 750 मिलियन बच्चों का बाल-विवाह हो जाएगा।

VISION IAS

- विभिन्न देशों और सरकारों द्वारा की गई अनेकों पहलों के बावजूद, वर्ष 2015 में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 5.9 मिलियन बच्चों की मृत्यु हुई, इनमें से ज्यादातर बच्चों की मृत्यु निरोध्य(preventable) रोगों के कारण ही हुई है।
- यह रिपोर्ट 2000 से 2015 के बीच सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (MDGs) की दिशा में हासिल की गई प्रगति की भी सराहना करती है।
  - ✓ जिन बच्चों का जन्म इस समय हुआ है उनकी गरीबी में जीने की संभावना नई सहस्राब्दी के प्रारंभ में पैदा हुए बच्चों की तुलना में कम है।
  - ✓ आज पैदा हुए बच्चों की 5 साल की उम्र तक जीवित रहने की संभावना 40 प्रतिशत अधिक है तथा उनके स्कूल जाने की संभावना भी अधिक है।
- रिपोर्ट में यह भी माना गया है कि 1990 के बाद से साम्यता अंतरालों (इक्विटी गैप) में भी कमी आई है। विश्व के चार प्रमुख क्षेत्रों ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता हासिल की है।
- 1990 के बाद से बच्चे के जीवित रहने के मामले में अंतर को काफी हद तक सीमित कर लेने के बावजूद भी अमीर और गरीब देशों के बीच की बड़ी विषमताएं अभी भी विद्यमान हैं।

क्या किए जाने की आवश्यकता है?

इस रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs, 2030) की प्राप्ति के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण मुद्दों का आकलन किया गया है। इनमें से निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है:

- अधिक गरीब देशों को तेजी से प्रगति करने की आवश्यकता है ताकि गरीब और अमीर देशों के बीच की खाई को पाटा जा सके और वर्ष 2030 तक के निर्धारित लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।
- उचित पोषण प्रदान करके तथा संक्रामक रोगों के उपचार एवं बचाव के माध्यम से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कमी।
- गर्भावस्था, प्रसव-वेदना, प्रसव-पूर्व और प्रसव उपरांत स्थितियों में गुणवत्तापूर्ण देखभाल। विभिन्न गर्भनिरोधक तरीकों के बारे में जागरूकता के माध्यम से अनचाहे गर्भधारण में कमी लाना।
- गरीबों के लिए <u>स्वास्थ्य देखभाल सेवा योजनाओं के लिए लक्षित वित्तपोषण</u> तथा मौजूदा <u>राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में गरीबों को शामिल करना</u>। सार्वभौमिक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के लिए ये दो महत्वपूर्ण रणनीतियां स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और साम्यता अंतराल(इक्विटी गैप) में कमी लाने में सहायक होंगी।
- बाल विवाह को समाप्त करना और लड़कियों की शिक्षा पर बल। शिक्षा महिलाओं को देर से शिशु पैदा करने, दो बच्चों के जन्म के अंतराल को बढ़ाने तथा शिशु के जन्म के पश्चात मातृ एवं नवजात के स्वास्थ्य की सुरक्षित देखभाल में समर्थ बनाती है।
- प्रारम्भ से ही शिक्षा प्राप्ति के साधनों तक पहुँच।
- गरीबी से निपटना। गरीबी निवारण वस्तुतः बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन व उचित पोषण के साथ-साथ शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करने में सहायक होती है।

6.2.1. शिशुओं से संबंधित सतत विकास लक्ष्य

(Sdgs Related To Children)

लक्ष्य 2: शून्य भुखमरी

- भुखमरी की समाप्ति और सभी शिशुओं के लिए वर्ष भर अहानिकर, पोषक तत्वों से भरपूर तथा पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना।
- पाँच वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों में अपूर्ण शारीरिक विकास जैसी कुपोषण के कारण होने वाली समस्याओं को पूरी तरह समाप्त करना।
- किशोरियों की पोषण आवश्यकताओं को पूर्ण करना।

लक्ष्य 3: अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण

- पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की निरोध्य(preventable) मृत्यु को रोकना।

VISION IAS

- नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को 12 प्रति हजार पर सीमित करना जबकि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को 25 प्रति हजार बच्चों पर सीमित करना।

लक्ष्य 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

- प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर सभी के लिए पूर्णतया निशुल्क, समानतापरक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। प्रदान की जाने वाली शिक्षा प्रांसगिक और प्रभावी परिणाम आधारित होनी चाहिए।
- गुणवत्तापूर्ण पूर्व बाल्यावस्था विकास, देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच ताकि उन्हें प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार किया जा सकेगा।
- लैंगिक रुप से, बच्चों और विकलांगों के अनुरूप संवेदनशील शिक्षा सुविधाओं की स्थापना और उन्नयन।
- सभी को सीखने के लिए सुरक्षित, हिंसामुक्त, समावेशी और प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराना।
- संकटग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की शिक्षा के सभी स्तरों पर और व्यवसायिक शिक्षा तक पहुँच।

लक्ष्य 5: लैंगिक समानता

- बाल विवाह, जबरन विवाह, कन्या भ्रूण हत्या एवं महिला जननांग कर्तन जैसी विकृत परम्पराओं को पूरी तरह समाप्त करना।

लक्ष्य 8: गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक विकास

- बाल श्रम के सर्वाधिक विकृत रुपों का निषेध और इन्हें पूर्ण रुप से समाप्त करना। हाल के दिनों में बच्चों का प्रयोग सैन्य लड़ाकों के रुप में करने के मामले सामने आए हैं, बाल्यावस्था के इस प्रकार के दुरुपयोग पर रोक लगाना।
- बालश्रम के सभी रुपों का 2025 तक उन्मूलन।

लक्ष्य 11: संधारणीय शहर एवं समुदाय

- धारणीय यातायात व्यवस्था के निर्माण में बच्चों की सुविधाओं का विशेष ध्यान।
- सभी लोगों की सुरक्षित और हरे भरे सार्वजनिक स्थानों तक पहुँच।

लक्ष्य 16: शांति एवं न्याय की स्थापना एवं सशक्त संस्थाएँ

- प्रत्येक स्थान पर सभी प्रकार की हिंसा एवं इससे होने वाली मृत्यु दरों में कमी लाना।
- बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, उनके दुर्व्यापार (trafficking) और सभी प्रकार की हिंसा तथा उत्पीडन को समाप्त करना।

6.3. नाबालिग से बलात्कार के मामले में विशेष कानून की आवश्यकता और POCSO

(Need For Special Law For Child Rape & Pocso)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय शहरों में बच्चों से छेड़छाड़ और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं।
- 2015 में मद्रास उच्च न्यायालय ने सजा के रूप में बाल यौन शोषण के आरोपियों को नपुंसक बनाने पर विचार के लिए केंद्र को सुझाव दिया।

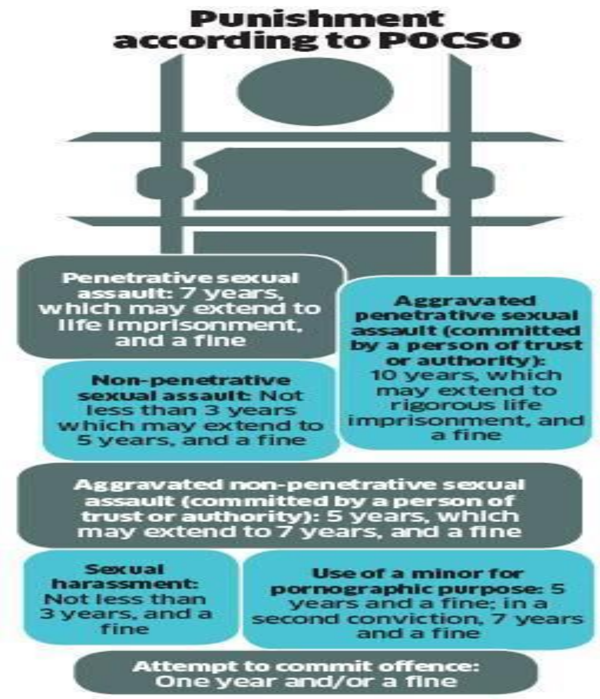

VISION IAS

- परिणामस्वरूप 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को इस तरह के अपराधों के लिए कड़ी सजा के प्रावधान वाले कानून पर विचार करने की सलाह दी।

भारत में नाबालिगों से बलात्कार: आंकड़े

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के बीच देश में नाबालिगों से बलात्कार के कुल 48,338 मामले दर्ज किये गये थे।
- वर्ष 2001 में भारत में नाबालिगों से बलात्कार के कुल 2,113 मामले दर्ज हुए थे जो वर्ष 2011 में 7,112 हो गये, अर्थात् दस सालों में 336% की बढ़ोतरी।

मुद्दे

- ये आंकड़े वास्तविकता से कम हैं क्योंकि बच्चों से बलात्कार के बहुत ही कम मामलों में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की जाती है।
- वास्तविकता यह है कि बलात्कार और यौन शोषण के दस में से नौ मामलों में आरोपी पीड़ित के पहचान वाला ही होता है।
- पुलिस, वकीलों और अस्पताल के अप्रशिक्षित कर्मचारियों का असंवेदनशील और असहायक रवैया अभियोजन और सजा को कठिन बना देता है।
- सहयोग के अभाव में बच्चे नियमित रूप से यौन उत्पीड़न के अन्य रूपों के शिकार भी होते ही रहते हैं।

नाबालिगों से बलात्कार क्यों बढ़ रहे हैं?

मामले दर्ज होने में वृद्धि:

- नाबालिग से बलात्कार और यौन शोषण से जुड़े कलंक के बारे में दृष्टिकोण बदलने से मामलों के दर्ज होने में वृद्धि हुई है।
- सोशल मीडिया ने यौन शोषण के बारे में जागरूकता को बढ़ाया है।
- कई लोकप्रिय हस्तियों ने भी उनके साथ बचपन में हुए ऐसे मामलों के बारे में बताया है (उदाहरण के लिए, अभिनेत्री कल्की कोचलिन), जिससे कई माता-पिता मामलों को दर्ज करवाने के लिए प्रेरित हुए हैं।

नए आपराधिक कानून:

- 2012 के यौन अपराध से बाल संरक्षण अधिनियम (POCSO) और 2013 के आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम ने, ऐसे मामलों के दर्ज होने में बढ़ोतरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- पहले की अपेक्षा अब बलात्कार की परिभाषा बदल गयी है और अब बहुत सी यौन हरकतों (Sexual actions) को बलात्कार की परिभाषा में शामिल किया गया है।
- लड़कियों के लिए सहमति की उम्र 16 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दी गयी है। इसका मतलब यह है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की से आम सहमति से बनाये गये यौन संबंध को भी अब बलात्कार माना जायेगा।

POCSO अधिनियम का महत्व

- यह बच्चों के प्रति यौन अपराधों के अपराध के लिए विशिष्ट परिभाषा देता है और 11 दिसंबर, 1992 को स्वीकृत बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत के अनिवार्य दायित्वों की पूर्ति करता है।
- यह अपने प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय और राज्य आयोगों को आदेश देता है।

चुनौतियां

- यह चाइल्ड **पोर्नोग्राफी** को समाविष्ट नहीं करता है।
- 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद किसी भी नियामकीय या निगरानी निकाय को पूरी तरह से कार्यशील नहीं कहा जा सकता है।
- POCSO के प्रावधान **पुलिस और अन्य पक्षों द्वारा उचित रूप से लागू नहीं किए जाते** हैं। फलस्वरूप, कड़े कानून के बावजूद बच्चों के साथ अपराध करने वाले बच जाते है। पुलिस द्वारा

VISION IAS

अधिक से अधिक जागरूकता, प्रशिक्षण और कानून के अनुप्रयोग से लोक संवाद कराये जाने की आवश्यकता है।

6.4. चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध

(Ban On Child Pornography)

सुर्खियों में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से न्यायालय को इस विषय पर सूचित करने के लिए कहा कि वह किस प्रकार इंटरनेट पर **चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध लगाने की योजना** बना रही है।
- यह प्रश्न देश में पोर्नोग्राफी वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया।

सर्वोच्च न्यायालय का रुख:

- केंद्र चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर **अंकुश लगाने के लिए उपाय और साधन सुझाने** के लिए शपथ पत्र दायर करे।
- मासूम बच्चों को इस तरह की दर्दनाक स्थिति का शिकार नहीं बनाया जा सकता है और एक राष्ट्र स्वतंत्रता या भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर बच्चों पर किसी भी तरह के प्रयोग किये जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता।
- न्यायालय ने कहा कि **कला और अश्लीलता के बीच स्पष्ट रेखा खींचने की आवश्यकता है** और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।
- **पोर्नोग्राफी के विषय में मापदंडों का निर्णय किया जाना है।** हालांकि इसे पहले से ही अन्य मामलों में उल्लेखित किया गया है जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) में परिकल्पित वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता "निरपेक्ष" नहीं है और उचित प्रतिबंधों के अधीन है।
- न्यायालय ने केंद्र से वयस्क और चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने पर **विशेषज्ञों से सलाह और राष्ट्रीय महिला आयोग से सुझाव लेने** के लिए कहा।

सरकार का रुख:

- सरकार के अनुसार इंटरपोल और सीबीआई जैसी एजेंसियां विशेष रूप से चाइल्ड पोर्नोग्राफी वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही हैं।
- सरकार ने यह भी कहा कि वह सभी पोर्नोग्राफी का विनियमन नहीं कर सकती है (और न ही करेगी) बल्कि केवल चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ब्लॉक करेगी।
- चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध लगाना संभव है लेकिन अश्लील वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है, क्योंकि वे किसी भी देश के क्षेत्राधिकार में नहीं हैं।

पोर्न पर प्रतिबंध लगाना कठिन क्यों है?

- पोर्नोग्राफी से निपटने के लिए वेबसाइट के यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (URL) को ब्लॉक करने का तरीका सामान्यत: अप्रभावी रहा है, क्योंकि इस प्रकार की अधिकांश वेबसाइटें बस अपना URL बदलकर संचालन करना जारी रखती हैं।
- अधिकांश सर्वर भारत से बाहर स्थित हैं|

- भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) अधिनियम तथाकथित "अश्लील सामग्री" के उत्पादन या प्रसारण का निषेध करता है, हांलांकि पोर्नोग्राफी पर रोक लगाने वाला स्पष्ट रूप से कोई कानून नहीं है।
- यदि अपराधी आई.टी. अधिनियम के अधीन दोषी ठहराया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए तीन साल की सजा हो सकती है।

VISION IAS

6.5. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015

(The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015)

सुर्ख़ियों में क्यों?

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 संसद द्वारा पारित कर दिया गया था और जनवरी से लागू हो गया है।

मुख्य प्रावधान

- यह अधिनियम किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 का स्थान लेगा।
- यह कानून के साथ संघर्षरत बच्चों और देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को संबोधित करता है।
  प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड (JJB) और बाल कल्याण समिति (CWC) का गठन किया जाएगा।
- किशोर अपराधी पुनर्वास के लिए भेजा जाए या फिर वयस्क के रूप में उस पर मुकदमा चलाया जाए, यह निर्धारित करने के लिए किशोर न्याय बोर्ड (JJB) प्रारंभिक जांच करेगा।
- CWC देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संस्थागत देखभाल निर्धारित करेगा।
- 16-18 वर्ष के आयु समूह में जघन्य अपराध करने वाले बाल अपराधियों से निपटने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
- किशोर न्याय बोर्ड को प्रारंभिक आकलन करने के बाद बाल न्यायालय (सत्र न्यायालय) में इस प्रकार के बच्चों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों का प्रकरण स्थानांतरित करने का विकल्प दिया गया है।
- वर्तमान केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) को अपना कार्य अधिक प्रभावी ढंग से संपन्न करने में समर्थ बनाने हेतु सांविधिक निकाय का दर्जा दिया गया है। इससे अनाथ, परित्यक्त और आत्म-समर्पण करने वाले बच्चों के गोद लेने की प्रक्रिया व्यवस्थित बनाने में आगे सहायता मिलेगी।
- बच्चों के विरुद्ध किए जाने वाले कई नए अपराध, जो अभी तक पर्याप्त रूप से किसी अन्य कानून के अंतर्गत कवर नहीं हैं, उन्हें इस अधिनियम में सम्मिलित किया गया है। इसमें सम्मिलित है:

✓ बाल देखभाल संस्थानों में शारीरिक दंड, अवैध दत्तक ग्रहण सहित किसी भी प्रयोजन के लिए बच्चों का क्रय और विक्रय,
✓ आतंकवादी समूहों द्वारा बच्चों का उपयोग,
✓ विकलांग बच्चों के विरुद्ध अपराध,
✓ बच्चों का अपहरण और भगा ले जाना।

आलोचनात्मक विश्लेषण

- पिछला किशोर न्याय अधिनियम और वर्तमान अधिनियम कैदियों के लिए शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श, व्यवहार संशोधन चिकित्सा और मनोरोग चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को प्रतिबद्ध बनाता है। लेकिन भारत में अभी भी किशोर सुधार गृहों में इस प्रकार की गतिविधियां आरंभ करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त करना बाकी है।
- वयस्कों के रूप में किशोरों पर मुकदमा चलाने के संबंध में विभिन्न मत हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि वर्तमान कानून जघन्य अपराध करने वाले किशोरों के लिए निवारक के रूप में कार्य नहीं करता है। एक अन्य दृष्टिकोण है कि सुधारात्मक दृष्टिकोण से अपराध दोहराने की संभावना में कमी आएगी।
- इस विधेयक की जांच करने वाली स्थायी समिति ने टिप्पणी की है कि यह विधेयक भ्रामक आंकड़ों पर आधारित है।
- इसके अतिरिक्त, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कैदियों के लिए सुधारात्मक अनुभव न प्रदान करने वाली वयस्क जेलों और पूर्व कैदियों द्वारा फिर से अपराध करने की उच्च दर का साक्ष्य भी उद्धृत किया है।

VISION IAS

- यह बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का भी उल्लंघन करता है, जो सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों से 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे के साथ समान रूप से व्यवहार करने की अपेक्षा करता है। हालांकि, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे कई अन्य हस्ताक्षरकर्ता भी ऐसा ही करते हैं।

आगे की राह

किशोर न्याय विधेयक का अधिनियमन वृहद कार्य का सरल हिस्सा है। यदि प्रतिशोधात्मक दंड की बजाय सुधारात्माक दण्ड के वादे को पूरा करना है, तो केंद्र और राज्य सरकारों को अच्छे आशय वाले कानूनों के कार्यान्वयन की बड़ी खामियों पर ध्यान देना चाहिए।

6.6. भारत में दत्तक ग्रहण

(Adoption in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत प्रारूप मॉडल नियम जारी किया है।
- बच्चों के त्वरित और सुचारू दत्तक ग्रहण की सुविधा प्रदान करने के लिए, सपूर्ण दत्तक ग्रहण प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी बनाई गई है।
- अब बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (Child Adoption Resource Information and Guidance System, CARINGS) नामक एक नई ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली विद्यमान है, जिसका प्रबंधन दत्तक ग्रहण से संबंध रखने वाले नोडल निकाय केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (CARA) द्वारा किया जाता है।

सकारात्मक पक्ष

- दत्तक ग्रहण हेतु उपलब्ध बच्चों का पूल (समुच्चय) एकल राज्य से बढ़कर संपूर्ण देश तक हो गया है। इससे माता-पिता अपने गृह राज्य में उपलब्धता न होने की स्थिति में अन्य राज्यों में तलाश करने में समर्थ होंगे।
- कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के अंगीकरण के कारण बढ़ी पारदर्शिता बेईमान दत्तक ग्रहण एजेंसियों के चंगुल से भी भावी माता-पिता को मुक्त करेगी।
- एजेंसियों से आवेदन ठुकराते समय अपने कारण अभिलेखित करने की अपेक्षा करने वाली ऑनलाइन प्रणाली, दत्तक ग्रहण प्रणाली में नकारात्मक पूर्वाग्रहों को भी हतोत्साहित करेगी।

मुद्दे

- यह तर्क दिया जाता है कि भावी माता-पिता को फोटोग्राफ और अन्य आधारभूत सूचनाओं के आधार पर छह विकल्पों में से एक बच्चे का चयन करने की अनुमति देने से, बच्चा बाजार में विनिमय की वस्तु बन जाएगा।
- हालांकि CARA द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु पात्र होने के लिए न्यूनतम वित्तीय साधन संबंधी वांछनीयता अत्यंत कम है, लेकिन नयी व्यवस्था दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया से वैसे लोगों को बाहर कर देगी जिनकी कंप्यूटर या साइबर कैफे तक पहुंच नहीं है।

6.7. बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016

[Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment ACT, 2016]

सुर्ख़ियों में क्यों?

लोकसभा ने बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन विधेयक, 2016 पारित कर दिया है। इससे पहले इसे राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया था ।

2001 की जनगणना के अनुसार, भारत में 5 से 14 वर्ष की आयु के 12.6 मिलियन बाल श्रमिक थे। 2011 में, यह संख्या घटकर 4.35 मिलियन रह गई। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के 2009-10 के सर्वेक्षण में यह संख्या 4.98 मिलियन बतायी गई है।

VISION IAS

पारित विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- यह विधेयक बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन करता है जो 83 खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन प्रतिबंधित करता है।
- यह संशोधन:
  - ✓ सभी क्षेत्रकों में 14 वर्ष से छोटे बच्चों के नियोजन पर इस प्रतिबंध का विस्तार करता है।
  - ✓ खतरनाक व्यवसायों में 14-18 वर्ष के किशोरों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है।
  - ✓ यह अपराधियों के लिए अधिक कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान करता है अर्थात् छह महीने से दो वर्ष तक का कारावास और 50,000 रुपये तक का जुर्माना।
- इस विधेयक ने खतरनाक व्यवसायों की पूर्व सूची में सम्मिलित 83 व्यवसायों को कम करके केवल तीन कर दिया है। वे हैं- उत्खनन, ज्वलनशील पदार्थ और कारखाना अधिनियम के अंतर्गत खतरनाक प्रक्रियाएं। साथ ही यह केंद्र तय करेगा कि कौन-सी प्रक्रियाएं खतरनाक हैं।
- इस विधेयक में पुनर्वास कोष का सृजन करने का प्रावधान है। पुनर्वास कोष, बच्चों के पुनर्वास के लिए होगा।

पक्ष

- यह विधेयक अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) कन्वेंशन के कानूनों के अनुरूप है।
- चूंकि बाल श्रम (14 वर्ष से कम आयु के बच्चे) पर पूर्ण प्रतिबंध है, अत: वे बच्चे नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
- इसमें परिवारिक उद्यमों की वास्तविकताओं को ध्यान में रखा गया है जहां बच्चे विविध तरीकों से अपने माता-पिता की सहायता करते हैं।

विपक्ष

- 14 वर्ष से छोटे बच्चों को स्कूल घंटों से इतर और छुट्टियों के दौरान परिवारिक व्यवसाय में और मनोरंजन और खेलकूद में काम करने की अनुमति दी जाएगी। इसका कई लोगों द्वारा खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग किया जा सकता है और गरीबी में "बच्चों का शोषण" का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
- 'परिवार' की परिभाषा परिभाषित नहीं की गई है। जैसा कि यूनिसेफ इंडिया ने टिप्पणी की है, इससे और अधिक बच्चे गैर-विनियमित परिस्थितियों में काम कर सकते हैं।
- परिवारिक उद्यमों में कोई कौशल भी प्रदान नहीं किया जाता है। यह अधिकांशत: बच्चे की इच्छा के विरुद्ध होता है और लगभग दासता के समान होती है। इसलिए कानून की भावना के विरूद्ध न जाने के लिए कानून लागू करते समय सावधानी बरती जानी चाहिए।
- बाल श्रम के लिए बच्चों को "विवश" करने वाले माता पिता और अभिभावकों के विरूद्ध दंड में कमी किया जाना कानून की भावना अर्थात् बाल श्रम रोकने के विरूद्ध जा सकती है।

अन्य उल्लेखनीय बिंदु

- 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना के बीच बाल श्रमिकों की संख्या में 65% तक (1.26 करोड़ से 82.2 लाख, 5 से 14 वर्ष आयु वर्ग) की कमी आई है। ऐसा RTE, मनरेगा, मध्याह्न भोजन योजना जैसे कार्यक्रमों के कारण हुआ है। इसलिए बाल श्रम की यह बीमारी समग्र विकास और पुनर्वास के साथ-साथ आम राय बनाकर समाप्त की जा सकती है। बाल श्रम विधेयक और दंड, पहिए में एक तीली मात्र हैं।

VISION IAS

- 50% बाल श्रम बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। 20% से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में है। इसलिए यहाँ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

6.8. बाल विवाह पर जनगणना रिपोर्ट

(Census Report on child marriage)

सुर्ख़ियों में क्यों?

2011 की जनगणना से पता चलता है कि भारत में बड़े पैमाने पर बाल विवाह होते हैं; लगभग एक तिहाई विवाहित महिलाओं की शादी 18 वर्ष से कम की आयु में हो गयी थी।

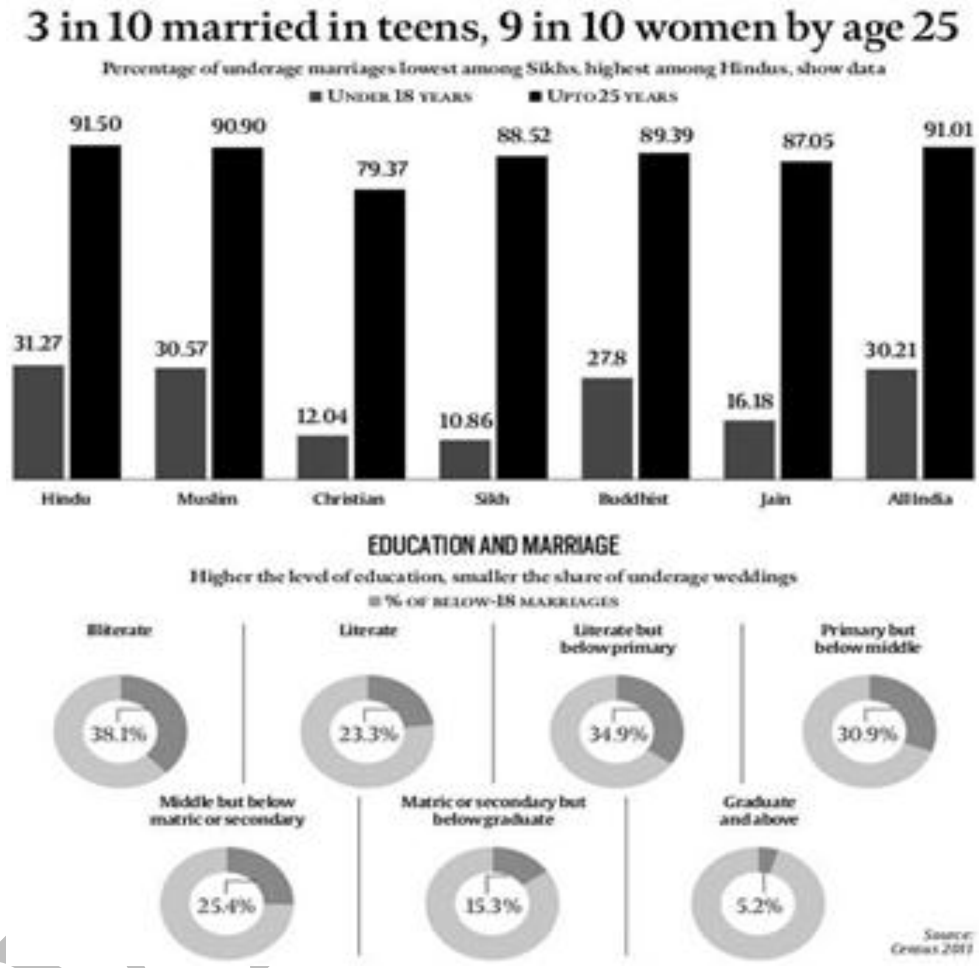

मुख्य निष्कर्ष

- 78.5 लाख (2011 की जनगणना के अनुसार विवाहित महिलाओं का 2.3%) लड़कियों की शादी 10 वर्ष से कम की आयु में ही कर दी गयी थी।
- 91% विवाहित महिलाओं की शादी 25 वर्ष की उम्र तक हो गयी थी।
- 30.2% विवाहित महिलाओं (10.3 करोड़) की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले कर दी गयी थी।
- 2001 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक, 43.5% विवाहित महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले कर दी गयी थी।
- **धर्म के अनुसार आँकड़े**
- 31.3% विवाहित हिन्दू महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले हो गयी थी, 2001 की जनगणना में यह आंकड़ा 45.1% था।

- 30.6% विवाहित मुस्लिम महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले हो गयी थी, 2001 की जनगणना में यह आंकड़ा 43.1% था।
- 12% विवाहित ईसाई महिलाओं और 10.9% विवाहित सिख महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले कर दी गयी थी।

• **साक्षरता**: 38.1% अनपढ़ विवाहित महिलाओं की शादी 18 वर्ष से कम की आयु में हो गयी थी, जबकि साक्षर विवाहित महिलाओं के लिए यह प्रतिशत 23.3% है।

बाल विवाह के निहितार्थ

- समय से पूर्व विवाह बच्चों की शिक्षा तक पहुंच और भविष्य में बेहतर अवसरों से वंचित कर देता है।
- बाल विवाह बच्चे द्वारा निर्णय लिए जाने की स्वतंत्रता सीमित करता है और गरीबी के पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने के चक्र में योगदान देता है।
- बाल विवाह को प्रायः कई स्वास्थ्य जोखिमों से जोड़ा जाता है। जैसे कम उम्र की दुल्हनों की गर्भनिरोधक और प्रजननीय स्वास्थ्य सेवाओं और सूचनाओं तक पहुंच और उपयोगिता सीमित होती है।
- बहुसंख्यक लोग शारीरिक रूप से परिपक्क और मानसिक रुप से तैयार होने से पहले शीघ्र और बार-बार यौन संबंध और बार-बार गर्भधारण और प्रसव के खतरे में होते हैं।
- घरेलू हिंसा ऐसे ही वातावरण में में पनपती है जहां महिलाएं शक्तिहीनता अनुभव करती हैं और महत्वपूर्ण संसाधनों और निर्णय लेने की शक्तियों तक पहुंच की कमी होती है।
- बाल विवाह लड़कों और लड़कियों के अधिकारों का उल्लंघन करता है और धारणीय विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयासों को समूल नष्ट कर देता है।

आगे की राह

- **समेकित दृष्टिकोण** अपनाकर भारत में बाल विवाह रोकने के लिए प्रगतिशील प्रयास करने की आवश्यकता है जहाँ **सामाजिक मानदंड बदलने की प्रक्रिया बच्चों के लिए वैकल्पिक अवसरों की उपलब्धता, अनुकूल वातावरण के निर्माण और कानून के प्रभावी कार्यान्वयन सहित संरचनात्मक सुधारों** द्वारा समर्थित हो।
- प्रभावी दृष्टिकोण वह है जो **परिवार और समुदायिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को; और संस्थागत स्तर पर NGOs, विभिन्न स्तरों पर संचालित समूहों और सरकारी अधिकारियों को लक्षित करे।**

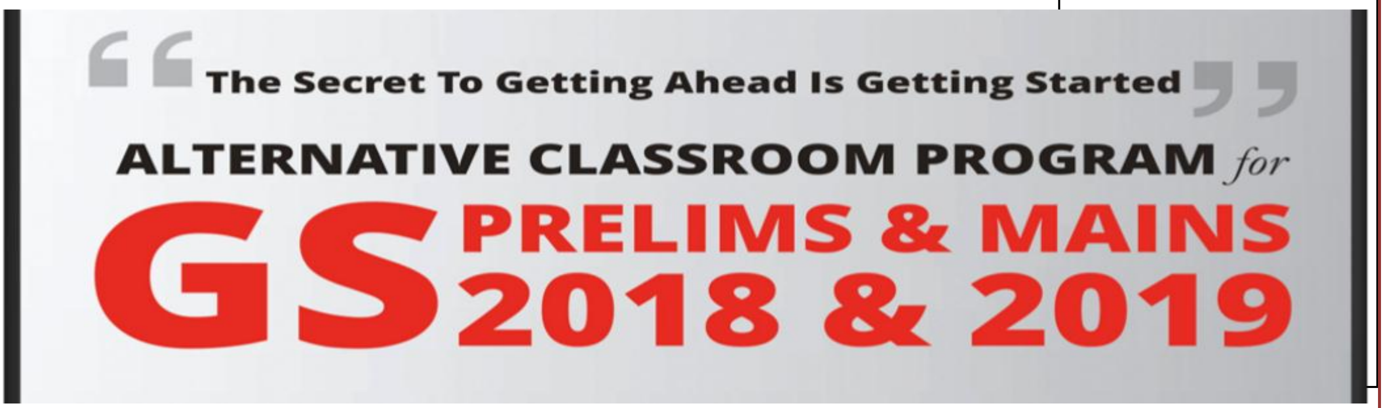

VISION IAS

7. स्वास्थ्य और रोग

7.1. स्वास्थ्य

(HEALTH)

7.1.1. भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली

(Healthcare System in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- लान्सेट द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्वास्थ्य सेवा के मामले में ब्रिक्स देशों में सबसे बुरी स्थिति है।
- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) ने **'भारत में स्वास्थ्य'** नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में NSS के 71वें दौर के जनवरी से जून 2014 के बीच एकत्रित किए गए आंकड़े शामिल हैं।
- हाल ही में, WHO ने 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भारत के स्वास्थ्य कार्यबल की स्थिति पर **'भारत में स्वास्थ्य कार्यबल' (द हेल्थ वर्कफोर्स इन इंडिया)** नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के समक्ष चुनौतियाँ:

1. एक कमजोर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र :

- सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार असमान रूप से वितरित है। गोवा में सरकारी अस्पताल में प्रत्येक 614 लोगों पर एक बेड है जबकि बिहार में प्रत्येक 8,789 लोगों पर एक सरकारी बेड है।
- इन सुविधाओं के संबंध में देखरेख भी समुचित नहीं है। उदाहरण के तौर पर, वर्ष 2011 में कम विकसित राज्यों में 10 में से 6 अस्पतालो में गहन देखरेख (ICU) की सुविधा उपलब्ध नहीं थी तथा 10 में से 4 अस्पताल साफ-सफाई की कमी तथा जल निकासी की समस्या से ग्रस्त थे।
- 73 प्रतिशत सरकारी अस्पताल शहरी क्षेत्रों में स्थित है जबकि भारत की 69 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।
- 70 प्रतिशत से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आपातकालीन प्रसव देखरेख सेवायें उपलब्ध नहीं।
- भारत की चिकित्सकीय अनुसंधान अवसंरचना विकृत है।

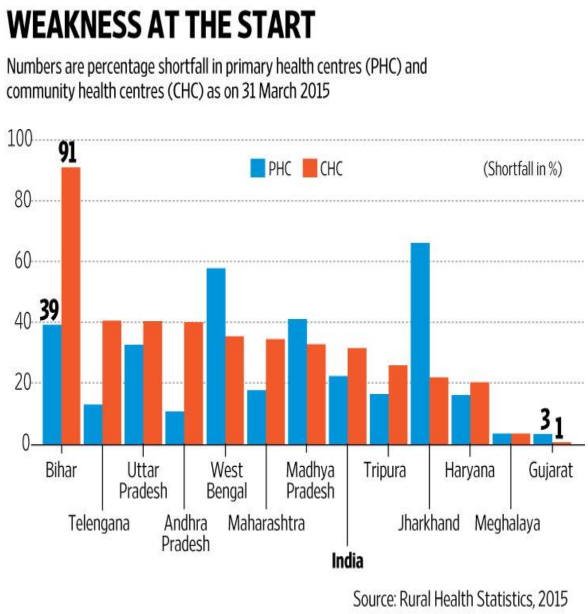

WHERE ARE THE DOCTORS?

	Available (2011-12)	Desired density*	% shortfall
Doctors	691,633	85	49.1
AYUSH practitioners	534,091	49	11.3
Dentists	88,370	15	106
Pharmacists	492,923	70	72.3
Nurses or general nursing and midwifery	743,324	170	177.5
Auxiliary nurse midwives	361,879	85	185

*(per 100,000 population) as per 12th five year plan

Note: Percentage shortfall refers to the extra percent of personnel required as a proportion of current availability. So in case of doctors, current availability is 57 per 100,000 people and 49% more are required to meet the target of 85. AYUSH=Ayurveda, Yoga and naturopathy, Unani, Siddha, Homoeopathy practitioners. Availability excludes the 25% of doctors, AYUSH, pharmacists, and dentists and the 40% of nurses and auxiliary nurse midwives enrolled for training to account for attrition

Source: Lancet

©Vision IAS

2. असमान रूप से वितरित कुशल मानव संसाधन

- देश में विशेषज्ञों की बहुत कमी है।
- स्वास्थ्य के लिये मानव संसाधन के सन्दर्भ में कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है।
- भारतीय चिकित्सा परिषद सरीखी मेडिकल लॉबी ने अपने प्रभुत्व से चिकित्सकीय कार्यों को साझा करने पर रोक लगा रखी है और परिणामस्वरूप नर्सों तथा अन्य स्वास्थ्य काडरों का भी विकास बाधित है।

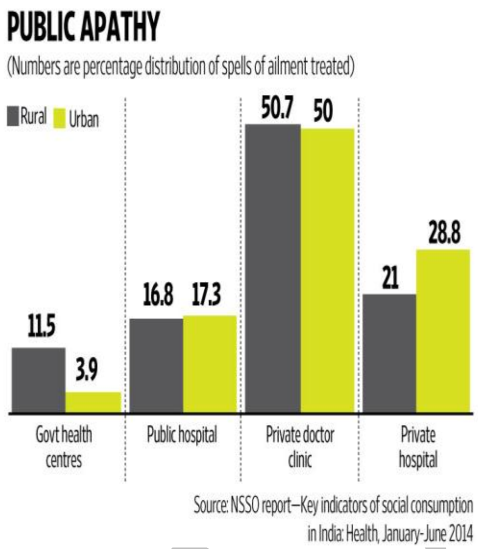

3. वृहद् अविनियमित निजी क्षेत्र

- अविनियमित निजी क्षेत्र में वृद्धि।
- वर्ष 2014 में 70 प्रतिशत से अधिक आउटडोर रोगी देखभाल तथा 60 प्रतिशत से अधिक इनडोर रोगी देखभाल निजी क्षेत्र में ही गयी थी।
- वर्ष 2002 और वर्ष 2010 के बीच, पूरे देश में हास्पिटल में बिस्तरों की संख्या की कुल वृद्धि में 70 प्रतिशत का योगदान निजी क्षेत्र ने किया।
- ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न रोगों जैसे बुखार, शिशु देखभाल और टी.बी. आदि के इलाज में सर्वप्रथम निजी डाक्टरों की सेवायें ली गयीं।
- निजी अस्पताल प्रबंधन द्वारा अनैतिक तथा अतार्किक तरीकों का प्रयोग किया गया।

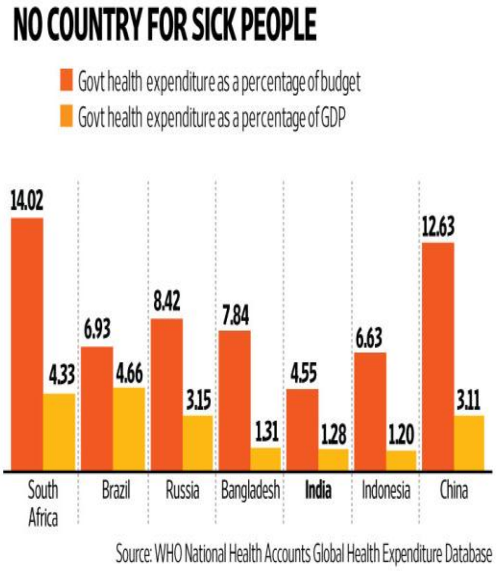

4. स्वास्थ्य पर निम्न सार्वजनिक व्यय

- यद्यपि स्वास्थ्य पर राज्य का वास्तविक व्यय हाल के वर्षों में 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ा है, किन्तु केन्द्रीय सरकार का स्वास्थ्य पर व्यय कम हुआ है।
- अधिकतर राज्य सरकारें स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटित धन को प्रयुक्त करने में असमर्थ हैं जो स्वास्थ्य प्रणाली में संरचनात्मक कमी को उजागर करता है।
- जीडीपी के अनुपात में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय निम्न रहता है। यह वर्ष 2013-14 में देश की जीडीपी का 1.28 प्रतिशत था।

5. अपूर्ण स्वास्थ्य सूचना प्रणाली

- आकड़ों के संग्रहण में अनेक खामियाँ है। उदाहरण के लिए, यद्यपि भारत में वर्ष 1969 से जन्म एवं मृत्यु के अनिवार्य पंजीकरण के कानून को लागू किया गया है, तथापि वर्ष 2013 में सिर्फ 86 प्रतिशत जन्म लेने वाले बच्चों का तथा 70.9 प्रतिशत मृत्यु के मामलों का पंजीकरण हुआ।
- आकड़ों का संकलन अपूर्ण है तथा निजी क्षेत्र का समावेशन न होना स्वास्थ्य सेवाओं के मुख्य व्यवस्थापक को छोड़ देना है।

6. कमजोर स्वास्थ्य सुरक्षा आवरण और बजट से बाहर उच्च व्यय

- भारत की 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या किसी भी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से केवल 12% शहरी तथा 13% ग्रामीण आबादी को ही बीमा कवर प्राप्त है।

- **कमजोर स्वास्थ्य सुरक्षा आवरण के कारण**
- वित्तीय बाधा - ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में यह सबसे बड़ी बाधा है।
- स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता - यह ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पतालों के कम घनत्व और सरकारी अस्पतालों की ख़राब स्थिति के कारण एक बड़ा कारक है।
- दवाओं की बढ़ती लागत और सरकारी अस्पतालों में बजटीय आवंटन में कटौती ने दवाओं पर व्यय को बढ़ा दिया है।
- सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य हेतु सरकारी आवंटन 1986-87 में 1.47% था जो 2015-16 में 1.05% तक गिर गया है।
- कमजोर वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता में कमी के कारण बीमा सुविधाओं का कवरेज कम है।

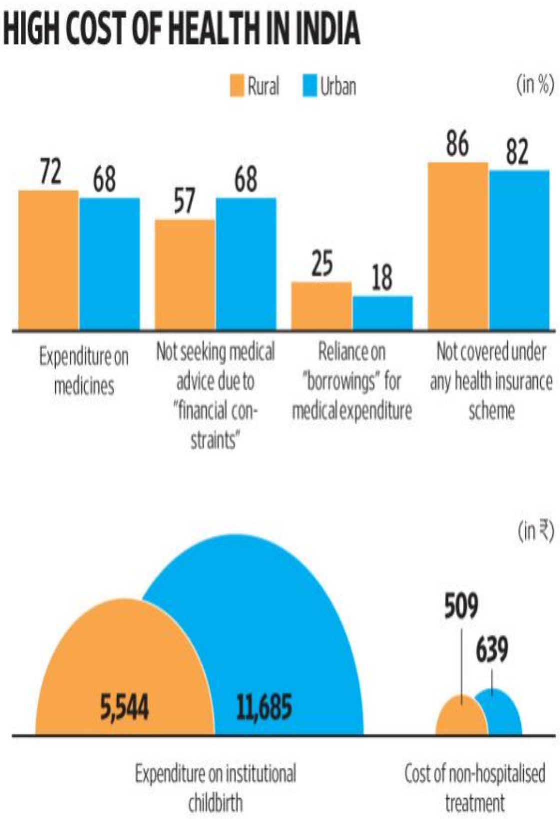

बजट से बाहर उच्च व्यय - कारण

- बजट से बाहर व्यय में दवाओं का अत्यधिक योगदान- कुल स्वास्थ्य व्यय में से, ग्रामीण क्षेत्रों में 72% और शहरी क्षेत्रों में 68% व्यय गैर अस्पताल भर्ती उपचार के लिए दवाएं खरीदने हेतु किया गया था।
- निजी डॉक्टर इलाज का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं-ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान किये गए उपचार का 72 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 79 प्रतिशत निजी क्षेत्र द्वारा किया गया।
- निजी क्षेत्र के अस्पतालों में लोगों द्वारा उच्चतर व्यय किया गया - ग्रामीण आबादी अस्पताल में भर्ती होकर इलाज के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पताल में औसतन 5,636 रुपये खर्च करती है जबकि निजी क्षेत्र के अस्पताल में 21,726 रुपये खर्च करती है।

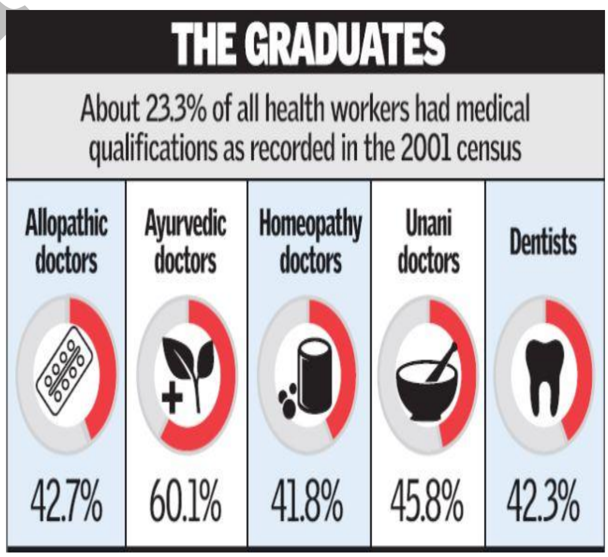

- भारत सरकारी सहायता प्राप्त दवाओं पर जी.डी.पी. का 0.1 प्रतिशत से कुछ अधिक व्यय करता है। दवाओं पर अवहनीय व्यय बढ़ने के पीछे यही मुख्य कारण है।
- 361 जेनरिक दवाओं को वहनीय कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए 'जन औषधि' अभियान जैसी योजनाएँ तथा विभिन्न कीमत विनियमन नीतियाँ उपलब्ध हैं। लेकिन उनका क्रियान्वयन विभिन्न राज्यों में अलग-अलग तथा बिखरा हुआ है।

7. प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यबल की कमी

- विभिन्न राज्यों के बीच, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के वितरण में सख्त विरोधाभास है। यह जनसंख्या के एक बड़े वर्ग की स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा तक भौतिक और वित्तीय दोनों तरह की पहुँच को प्रभावित करता है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए इस समस्या से निपटना आवश्यक होगा। वर्ष 2001 में, भारत में 1.02 अरब की आबादी के लिए, सिर्फ 20 लाख स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध थे।

8. कमजोर शासन और जवाबदेही

- स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था में भ्रष्टाचार तथा सुशासन के अभाव ने परिस्थिति को चिंताजनक बना दिया है।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में अपर्याप्त लोक व्यय, विविध स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों के मध्य विश्वास और संबद्धता का अभाव तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के बीच सहयोग में कमी जैसी प्रमुख चुनौतियां है जो भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल को सुनिश्चित करने के मार्ग की प्रमुख बाधाएँ हैं।

LAX IMPLEMENTATION

Law	Status
Clinical Establishements Act 2010 (provides for registration and regulation of clinical establishments and prescribes minimum standard of facilities and services)	Enacted only in 9 states
National Mental health Care Bill (mandates right to care)	Cleared by cabinet, awaiting passage in Parliament
Medical Devices Regulation Bill, 2006 (provides for quality standards of biomedical equipment manufacturing and marketing)	Yet to be passed

Note: These are just examples and not an exhaustive list   Source: Lancet

- इन चुनौतियों के केन्द्र में राज्यों की स्पष्ट अनिच्छा है, जो स्वास्थ्य को लोगों की मूलभूत आवश्यकता के रूप में प्राथमिकता नहीं देते हैं।

भारत के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करना: आगे की राह

- भारत में स्वास्थ्य सेवा संबंधी आधारभूत संरचना में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। इसके द्वारा स्वास्थ्य पर निम्न लोक व्यय तथा कमजोर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी चुनौतियों का निवारण किया जा सकता है।
- केवल एक आमूल तथा सुधारवादी पुनर्संरचना स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देगी और अवहनीय स्वास्थ्य व्यय से उत्पन्न गरीबी का निवारण वर्ष 2022 तक सभी भारतीयों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करेगी।
- स्वास्थ्य वित्त के सन्दर्भ में मौलिक दृष्टिकोण अपनाकर तथा लोक स्वास्थ्य पद्धति को मजबूती प्रदान कर सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है।
- भारत को एक एकीकृत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है। यह प्रणाली एक मजबूत प्राथमिक लोक स्वास्थ्य देखभाल पद्धति पर आधारित होनी चाहिए तथा इसके अंतर्गत निजी एवं पारंपरिक क्षेत्रों की सहायक भूमिका सुनिश्चित होनी चाहिए।

7.1.2. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण

(National Family Health Survey)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चौथे दौर की रिपोर्ट का पहला भाग जनवरी 2016 में जारी किया गया। इसके अन्तर्गत केवल 13 राज्यों के आंकड़े शामिल हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण क्या है?

- यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में किया जाने वाला सर्वेक्षण हैं। इसके अन्तर्गत परिवार व स्वास्थ्य के बारे में घरों और व्यक्तियों से जानकारी इकठ्ठा की जाती है, जो सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करता है। इस प्रकार यह एक व्यापक परिवार नमूना सर्वेक्षण है।

VISION

- यह भारत में विस्तृत स्वास्थ्य आकड़ों का मुख्य स्रोत है।

पृष्ठभूमि

- पहला राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण वर्ष 1992-93 में हुआ था। तीसरा सर्वेक्षण वर्ष 2005-06 में हुआ था।
- मुंबई में स्थित अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS) इस सर्वेक्षण के लिए नोडल एजेंसी है।

चौथे सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुख्य अंश

- **शामिल राज्य:** इस रिपोर्ट में 13 राज्यों के आंकड़े हैं - आंध्रप्रदेश, गोवा, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के साथ केंद्रशासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा पुडुचेरी भी शामिल हैं।
- **शिशु मृत्यु-दर**

✓ सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शिशु मृत्यु-दर में कमी आई है। सभी राज्यों में यह प्रति हजार जन्म पर 51 मृत्यु से कम है।

✓ हालाँकि इसका वितरण असमान है। यह अंडमान में सबसे कम- प्रति हजार जन्म पर 10 की मृत्यु-दर और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा - प्रति हजार जन्म पर 51 की मृत्यु-दर है।

- **लिंगानुपात और महिला साक्षरता**

✓ लिंगानुपात में ग्यारह में से नौ राज्यों में गिरावट आई है। ये राज्य हैं - गोवा, मेघालय, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, सिक्किम, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, बिहार और पश्चिम बंगाल।

✓ केवल उत्तराखंड में लिंगानुपात में सुधार हुआ है। जबकि मेघालय में यह स्थिर बना हुआ है।

✓ पिछले सर्वेक्षण की तुलना में इन सभी ग्यारह राज्यों में महिला साक्षरता में 12.5% तक की वृद्धि हुई है।

✓ गोवा 89% साक्षरता दर के साथ महिला साक्षरता दर की सूची में सबसे ऊपर है।

- **प्रजनन दर**

✓ पहले की तुलना में अब प्रजनन दर में गिरावट आयी है। प्रजनन दर सिक्किम में सबसे कम 1.2 जबकि बिहार में सबसे ज्यादा है 3.4 है।

✓ बिहार, मध्य प्रदेश और मेघालय को छोड़कर पहले चरण के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने या तो प्रजनन का प्रतिस्थापन स्तर (Replacement level) हासिल किया है या उसे बनाये रखा है।

- **संस्थागत प्रसव**

✓ चिकित्सा संस्थान की देखरेख में होने वाले प्रसव में 32% की वृद्धि हुई है।

✓ बिहार में इसमें पहले से तीन गुना वृद्धि हुई है और हरियाणा तथा मध्य प्रदेश में भी इसमें काफी वृद्धि देखी गई है।

- **टीकाकरण**

✓ 12-23 महीनों के बच्चों के पूर्ण टीकाकरण में राज्यवार काफी भिन्नता है।

✓ 15 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में से 12 में 60% बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हुआ है।

✓ बिहार, मध्यप्रदेश, गोवा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और मेघालय में बच्चों के पूर्ण टीकाकरण में काफी वृद्धि हुई है।

- **पोषण**

✓ पांच वर्ष से कम उम्र के अल्प विकसित बच्चों की संख्या में कमी आई है, जिसका मतलब बेहतर पोषण वाले भोजन का सेवन बढ़ा है।

✓ लेकिन बिहार, मध्य प्रदेश और मेघालय में 40% से अधिक बच्चे अल्प विकसित हैं।

✓ रक्ताल्पता (एनीमिया) में भी कमी आई है लेकिन फिर भी इसकी व्यापकता बनी हुई है। 15 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में से 10 में आधे से अधिक बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं।

VISION IAS

- ✓ प्रत्येक राज्य के पुरुषों और महिलाओं में मोटापे के स्तर में तेजी से वृद्धि देखी गई है जबकि पुदुचेरी इसका अपवाद है।
- **पानी और सफ़ाई व्यवस्था**
- ✓ भारतीय परिवार अब और बेहतर पानी और सफाई सुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक हैं।
- ✓ प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के दो-तिहाई से अधिक परिवारों के लिए पहले से बेहतर पेयजल स्रोत उपलब्ध हैं।
- ✓ बिहार और मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 50% से अधिक परिवारों के पास बेहतर स्वच्छता सुविधायें उपलब्ध हैं।
- **तनाव**: पिछले सर्वेक्षण के बाद से उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों की संख्या शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण भारत में बढ़ी है।
- **बाल विवाह**
- ✓ पिछले सर्वेक्षण के बाद से ग्यारह राज्यों में बाल विवाह में कमी आई है।
- ✓ महिलाओं और पुरुषों के बाल विवाह में क्रमशः 13.17% और 6.7% की कमी आई है।
- **एचआईवी के बारे में जागरूकता**
- ✓ महिलाओं के बीच एचआईवी/एड्स के बारे में जागरूकता काफी कम हुई है।
- ✓ मध्य प्रदेश में एचआईवी/एड्स के बारे में व्यापक ज्ञान रखने वाली महिलाओं का प्रतिशत 20.3% से घटकर 18.1% हो गया है।
- ✓ इसी तरह बिहार में भी यह 11.7% से घटकर 10.1% हो गया है।
- **महिला सशक्तिकरण**
- ✓ स्वयं का बचत खाता धारण करने वाली 15-49 वर्ष के आयु समूह की महिलाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- ✓ गोवा में 82.8% महिलायें (सबसे अधिक) स्वयं वित्त प्रबंधन करती हैं। तमिलनाडु में इसमें पिछले सर्वेक्षण से 83% की वृद्धि हुई है।
- ✓ संपत्ति पर महिलाओं के मालिकाना हक़ के मामले में बिहार इस सूची में सबसे ऊपर है, यहां महिलायें 58% संपत्ति की मालिक हैं, जबकि पश्चिम बंगाल इस सूची में सबसे नीचे है।

7.1.3. वैश्विक पोषण रिपोर्ट

(Global Nutrition Report)

रैंकिंग

- 38.7% वृद्धि अवरुद्धता (Stunting) के मामलों के साथ भारत 132 देशों की सूची में 114 वें स्थान पर है।
- पेशियों के क्रमिक रूप से कमजोर होने (Wasting) (15.1 %) की दृष्टि से भारत 130 देशों की सूची में 120वें स्थान पर है।
- प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता (48.1 %) की दृष्टि से भारत 185 देशों की सूची में 170वें स्थान पर है।

MISSING NUTRITION TARGETS

Indicator	Rate (in %)	Global Rank (lower is better)	Asia Rank	Position of nutrition indicators compared to World Health Assembly targets
Under 5 stunting	38.7	114th out of 132	34th out of 39	Off track
Under 5 wasting	15.1	120th out of 130	35th out of 38	Off track
Under 5 overweight	1.9	11th out of 126	6th out of 37	On track
Anemia in Women	48.1	170th out of 185	45th out of 47	Off track
Exclusive breastfeeding	46.4	48th out of 141	12th out of 40	Insufficient data
Adult overweight/obesity	22	21st out of 190	10th out of 47	Off track
Adult diabetes	9.5	104th out of 190	16th out of 47	Off track

Source: Global Nutrition Report 2016

मुख्य बिन्दु

- पिछले दशक की तुलना में हाल के 10 वर्षों में भारत में वृद्धि अवरुद्धता (Stunting) की कमी की दर दोगुनी हो गई है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में दुनिया के एक तिहाई से अधिक वृद्धि अवरुद्ध बच्चे रहते हैं।

VISION IAS

- केवल वृद्धि अवरुद्धता और पेशियों का क्रमिक रूप से कमजोर होना ही नहीं, बल्कि वयस्कों में मधुमेह और मोटापा भी कुपोषण के संकेतक हैं।
- पिछले एक दशक में निम्न गतिविधियों के द्वारा एक स्थिर गति के पोषण के विषय में प्रयास किया गया है।

✓ संयुक्त राष्ट्र में सन (SUN: Scaling Up Nutrition) सचिवालय की स्थापना;

✓ विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा (2012 में) 2025 के लिए मातृ, शिशु और छोटे बच्चों के पोषण से सम्बंधित वैश्विक लक्ष्यों को स्वीकार किया जाना; और

✓ 2015 के सतत विकास लक्ष्य जो 2030 तक सभी लोगों के लिए कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करने पर केन्द्रित हैं।

- छह भारतीय राज्यों- जहाँ राज्यस्तरीय स्वतंत्र पोषण मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है, में से केवल दो राज्यों में पोषण परिणामों में सुधार के लिए स्पष्ट और समयबद्ध लक्ष्य का निर्धारण किया गया है।
- पोषण मिशन के लक्ष्यों के पूर्ण नहीं हो पाने का एक कारण यह भी है कि वे आम तौर पर राज्य के स्वास्थ्य विभाग या महिला एवं बाल विकास विभाग तक ही सीमित रह जाते हैं। जबकि अन्य विभागों के तहत आने वाले ऐसे मामलों को उक्त मिशन/योजना में शामिल नहीं किया जाता है।
- इसलिए, बहु-क्षेत्रक मिशन या एजेंसियों की जरूरत है जो स्पष्ट रूप से परिभाषित और निर्धारित लक्ष्यों के क्रियान्वयन की सभी क्षेत्रों में निगरानी कर सकें।

आगे की राह

- वर्तमान में सकारात्मक कारकों की भरमार है और इसका प्रभावी और सकारात्मक परिवर्तन के लिए दोहन किया जाना चाहिए। स्वच्छ भारत, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' आदि जैसे कार्यक्रम, पहले से ही सरकार द्वारा घोषित हैं जो पोषण के प्रति महत्वपूर्ण संवेदनशील कारक हैं और स्वच्छता, साफ-सफाई और शिक्षा को संबोधित करते हैं।
- निम्नलिखित तीन कार्यक्रमों को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए:

✓ **ICDS**- यह गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और छह वर्ष से कम आयु के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करता है;

✓ **मध्याह्न भोजन योजना** - यह प्रति दिन लगभग **120** लाख स्कूली बच्चों को सीधे भोजन उपलब्ध कराती है; तथा

✓ **सार्वजनिक वितरण प्रणाली** – यह गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए निर्वाह राशन उपलब्ध कराती है।

- ऐसे देश जिन्होंने कुपोषण का मुकाबला करने में त्वरित और महत्वपूर्ण प्रगति की है, उनसे सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली (best practice) हमें अपनानी चाहिए, इस बात की अनुशंसा की जाती है कि पोषण विशिष्ट और पोषण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में काम का तालमेल बैठाने के लिए **पोषण मिशन** बनाया जाए ताकि इनमें से प्रत्येक का प्रभाव सकारात्मक और उत्पादक परिणामों में सन्निहित हो।

7.1.4 भारत में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या पर डब्ल्यू.एच.ओ. की रिपोर्ट

(WHO Report on the Health Workforce in India)

सुर्खियों में क्यों ?

हाल ही में, WHO ने 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भारत के स्वास्थ्य कार्यबल की स्थिति पर **'भारत में स्वास्थ्य कार्यबल' (द हेल्थ वर्कफ़ोर्स इन इंडिया)** नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- वर्ष 2001 में 1.02 अरब की आबादी के लिए, भारत में सिर्फ 20 लाख स्वास्थ्य कर्मी थे।

VISION IAS

- कुल डॉक्टरों में, 77.2% एलोपैथिक और 22.8% आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या यूनानी (आयुष) डॉक्टर थे।

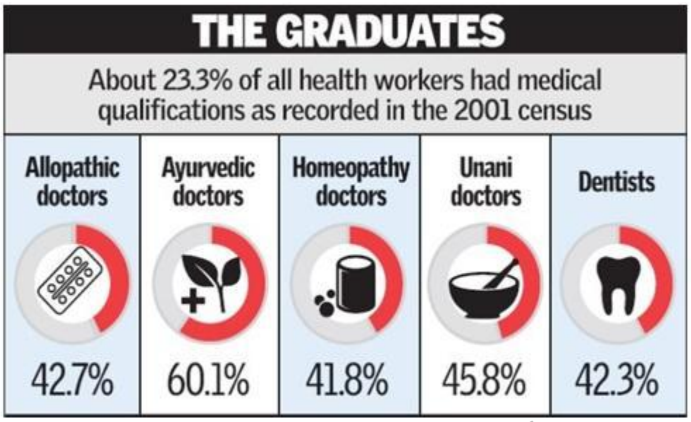

- 57% चिकित्सकों के पास कोई भी चिकित्सा योग्यता नहीं थी।
- एलोपैथिक डॉक्टरों में से लगभग एक तिहाई डॉक्टर कक्षा 12 तक ही शिक्षित थे।
- 67.1% नर्स और दाईयां केवल माध्यमिक विद्यालय स्तर तक शिक्षित थीं।
- यह पाया गया कि केवल 18.8% स्वास्थ्य कर्मियों के पास ही चिकित्सा योग्यता थी।
- सभी स्वास्थ्य कर्मियों में से 59.2% शहरी क्षेत्रों (जहाँ भारत की केवल 27.8% आबादी निवास करती है) में कार्यरत थे और केवल 40.8% ग्रामीण क्षेत्रों (जहाँ शेष 72.2% आबादी निवास करती है) में कार्यरत थे।

7.1.5 महिलाओं में हिस्टरेक्टमी के बढ़ते मामले: एक सर्वेक्षण

(Hysterectomy among Young Women: Survey)

- हैदराबाद स्थित एक NGO ने मेडक जिले के कोवाडीपल्ली मंडल में घर-घर जाकर एक सर्वेक्षण किया, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कोवाडीपल्ली मंडल के गांवों में कुल 728 मामले सामने आए, जहाँ स्त्रियों ने हिस्टरेक्टमी करवाया था।
- युवा महिलाओं के सम्बन्ध में भी हिस्टरेक्टमी के कई मामले प्रकाश में आये।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 ने पहली बार हिस्टरेक्टमी को अपने सर्वेक्षण में शामिल किया है। जिसके आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं किए गए हैं।

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- हिस्टरेक्टमी करवाने वाली महिलाओं में 20 से 30 वर्ष की उम्र वाली महिलाएं भी शामिल हैं। इस कार्य के लिए अनेक महिलाओं ने अपने गहने तक बेच कर निजी चिकित्सकों से यह ऑपरेशन करवाया है।
- हिस्टरेक्टमी के मामले लगभग आधा दर्जन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों से दर्ज किये गये हैं, तथा पिछले छः वर्षा में इन मामलों में वृद्धि हुई है। इन राज्यों में राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र प्रमुख हैं।
- गरीब तथा अशिक्षित ग्रामीण महिलाओं को श्वेत प्रदर, असामान्य मासिक धर्म, तथा पेट दर्द की समस्या में डॉक्टर हिस्टरेक्टमी की सलाह दे देते हैं तथा चिकित्सकों द्वारा कैंसर का भय दिखाकर उन्हें आसानी से इस ऑपरेशन के लिए सहमत कर लिया जाता है।
- इसके अलावा मासिक धर्म के दौरान, मजदूरी में होने वाले नुकसान से बचने के लिए भी कुछ महिलायें यह ऑपरेशन करवा लेती हैं।

सरकार के प्रयास

- राजस्थान सरकार ने एक जांच समिति का गठन किया है, तथा इस तरह की गतिविधियों में शामिल चिकित्सकों का लाइसेंस रदद् कर दिया गया है।
- कर्नाटक में तीन जांच समितियों का गठन किया गया है, जिनकी रिपोर्ट अभी लंबित है।
- छत्तीसगढ़ में इस पर दो समितियां बनाई गई है, हालांकि दूसरी समिति ने चिकित्सकों पर लगे आरोप को निराधार पाया है।

VISION IAS

हिस्टरेक्टमी क्या है?

- हिस्टरेक्टमी, अलग-अलग कारणों से एक महिला के गर्भाशय को निकालने के लिए किया जाने वाला ऑपरेशन है, जिनमें आम तौर पर शामिल हैं:
  - ✓ गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, या अंडाशय का कैंसर
  - ✓ गर्भकला-अस्थानता (एन्डोमीट्रीओसिस)
  - ✓ योनि से असामान्य रक्तस्राव
  - ✓ कूल्हे (पेल्विक एरिया) में अत्यधिक दर्द
  - ✓ ग्रंथिपेश्यर्बुदता (adenomyosis) या गर्भाशय का अधिक मोटा होना
- गैर-कैंसर कारणों की वजह से हिस्टरेक्टमी केवल तभी किया जाता है जबकि आमतौर पर इलाज के अन्य सभी तरीके असफल हो गए हों।

आगे की राह

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट को जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाना चाहिए ताकि देश में बन रहे हालातों की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके।
- इस विषय में भी गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम की तरह नियमन होना चाहिए, जहाँ बिना उचित दस्तावेजी प्रक्रिया के अल्ट्रा-साउंड नहीं किया जा सकता है।
- सरकार को निजी अस्पतालों में भी नियमन के लिए निर्देशावली लागू करनी होगी तथा बीमा योजनाओं के नियमों को सख्त करना होगा।

7.2 रोग

(Diseases)

7.2.1. भारत में गैर-संचारी रोग (NDCs)

(NDCs In India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

<u>जीवन शैली संबंधी रोग</u> भारत में होने वाली मौतों के सबसे बड़े कारण के रूप में उभरे हैं।

रिपोर्ट के आंकड़े:

- नए आंकड़ों से पता चलता है कि 2010-13 की अवधि के दौरान देश में हर दो में से एक मौत गैर-संक्रामक रोगों के कारण हुई है। 2004-06 में 45.4% मौतों का कारण गैर-संक्रामक रोग था और यह आंकड़ा 2010-13 में बढ़ कर 49.21% हो गया।
- **ग्रामीण-शहरी अंतर** - ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-संक्रामक रोगों से होने वाली मौतों का प्रतिशत 46.9 था जबकि शहरी क्षेत्रों में यह काफी ज्यादा था- 57%।

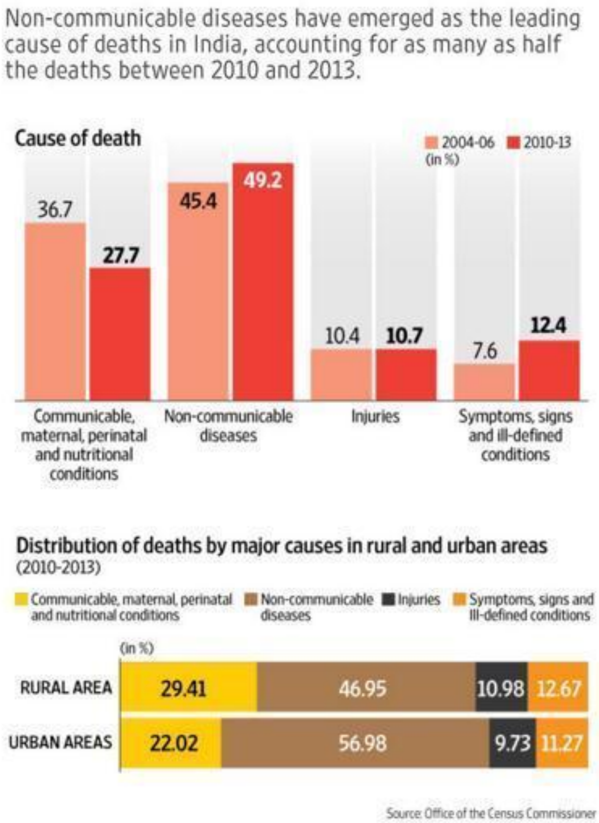

VISION IAS

- गैर-संक्रामक रोगों में हृदय रोग मृत्यु के सबसे बड़े कारण हैं। सभी मौतों में उनका योगदान 23.3% है। यह 2004-05 में 19.9% था।
- नए आंकड़ों के अनुसार, <u>समयपूर्व प्रसव और जन्म के समय कम वजन</u> 29 दिनों से कम उम्र के बच्चों की मौतों के लिए मुख्य कारण के रूप में उभरे हैं।
- भारत में होने वाली मौतों के शीर्ष 10 कारणों की सूची में 2004-06 के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ कारणों के क्रम में ही मामूली बदलाव हुआ है। शीर्ष पर हृदय रोग हैं, उसके बाद अस्पष्ट कारणों, सांस की बीमारियों, कैंसर और प्रसवकालीन स्थितियों (गर्भावस्था से संबंधित जटिलताओं) का स्थान है।
- संक्रामक रोगों के कारण कम मौतें - 2004-06 में 36.7% मौतें संक्रामक रोगों और पोषण की कमी के कारण हुईं। यह प्रतिशत 2010-13 में कम होकर 27.74% हो गया।
- **भारत में एन.सी.डी का बोझ और उनके जोखिम कारक**
- चार प्रकार के एन.सी.डी- हृदय रोग, कैंसर, पुरानी सांस की बीमारी और मधुमेह का एन.सी.डी. के कारण होने वाली रुग्णता और मृत्यु दर में सर्वाधिक योगदान है।
- चार व्यवहारात्मक जोखिम कारक इन रोगों के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं - तंबाकू का उपयोग, अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक निष्क्रियता और शराब का हानिकारक उपयोग।
- प्रमुख चयापचय जोखिम कारक हैं मोटापा, अधिक रक्तचाप, अधिक रक्त शर्करा और रक्त के कुल कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ स्तर।
- विश्व आर्थिक मंच का अनुमान है कि भारत को एन.सी.डी. और मानसिक स्वास्थ्य की स्थितियों के कारण 2030 से पहले $4.58 खरब डॉलर की क्षति हो सकती है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- डब्लूएचओ ने NCD के रोकथाम और नियंत्रण के लिए व्यापक वैश्विक निगरानी ढांचे और कार्य योजना (2013-2020) का विकास किया है। इस ढांचे में नौ स्वैच्छिक लक्ष्यों और 25 संकेतकों का समूह सम्मिलित है जिसे सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है।
- भारत अपने राष्ट्रीय संदर्भ में NCD वैश्विक निगरानी ढांचा और कार्य योजना अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश है। भारत सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से निम्नलिखित विभिन्न NCD कार्यक्रम लागू कर रही है:-
  i. राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (NPCDCS)।
  ii. राष्ट्रीय वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (NPHCE)।
  iii. राष्ट्रीय आयोडीन हीनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (NIDDCP)।
  iv. राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम (NPCB)।
  v. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP)।
  vi. राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (NPPCD)

वर्ष 2013-14 के बाद से, NCD कार्यक्रमों के अंतर्गत रोकथाम, पहचान, निदान और उपचार के लिए जिला स्तर तक के कदम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत लाए गए हैं। गैर संचारी रोगों (NCD) के लिए फंड का फ्लेक्सी पूल (flexi pool) बनाया गया है।

आगे की राह

- NCD से निपटने का केंद्र बिंदु परिवारिक और समुदायिक स्तर पर व्यवहारात्मक परिवर्तन, स्वस्थ आहार पद्धतियों को बढ़ावा देना, शारीरिक गतिविधियां, शीघ्र आरंभ होने वाले धूम्रपान, शराब और प्रदूषण की रोकथाम होना चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य क्षेत्र से परे अन्य क्षेत्रों की संलग्नता की आवश्यकता होगी।

VISION IAS

- हाल ही में अंगीकृत संधारणीय विकास लक्ष्य, NCDs और बहु-क्षेत्रीय कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच रणनीतिक साझेदारी, समुदायों द्वारा वर्तमान में सामना की जा रही विपरीत परिस्थितियों को सुधारने में, सरकार की सहायता कर सकती है।

7.2.2. मोटापा

(Obesity)

एक स्वतंत्र शोध संस्था के अनुसार सर्वाधिक मोटे लोगों की जनसंख्या के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। मोटापे के कारण हृदयरोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि गंभीर बीमारियों के प्रति सुभेद्यता में वृद्धि हुई है। फलतः मोटापा एक जानलेवा बीमारी के तौर पर उभर कर सामने आया है।

चिंताएं:

- शारीरिक गतिविधियों के अभाव, असंतुलित खान-पान, फ़ास्ट फूड कल्चर, सुविधाजनक खाद्य पदार्थों पर बढ़ती निर्भरता आदि बच्चों में तेजी से बढ़ते मोटापा के प्रमुख कारण हैं।
- एक अनुमान के मुताबिक 2013 में पूरे विश्व में पांच वर्ष से कम आयु वाले 42 मिलियन से अधिक बच्चे औसत से अधिक वजन के थे।
- बच्चों में बढ़ता मोटापा उन्हें कम उम्र में मधुमेह तथा हृदयरोग जैसी गैर-संक्रमणीय बीमारियों की ओर ढकेल रहा है।
- चुकि भारत में लगभग 13 प्रतिशत जनसंख्या मोटापे से ग्रसित है, अतः हृदयरोग जैसी बीमारियों के प्रति भारतीय अधिक सुभेद्य हैं।
- युवाओं में बढ़ता मोटापा उन्हें सामान्य उम्र से पूर्व ही हृदयघात की ओर ढकेल देता है। 25 से 35 वर्ष के उम्र के लोगों में हृदयरोग से जुड़ी समस्यायें पायी जा रही हैं।

7.2.3 मधुमेह

(Diabetes)

सुर्खियों में क्यों ?

इस वर्ष 7 अप्रैल को मनाये गए विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम थी - 'बीट डायबिटीज' (Beat Diabetes)

मधुमेह क्यों?

- WHO की रिपोर्ट और लांसेट के अध्ययन से पता चलता है कि 1980 से 2014 के बीच मधुमेह के मामलों में चार गुना वृद्धि हुई है और उनमें से आधे मामले भारत, चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए गए हैं।
- भारत में 1980 में 11.9 मिलियन मधुमेह के मामले थे। यह संख्या 2014 में बढ़कर 64.5 मिलियन हो गयी है।
- 2030 तक भारत में विश्व के सर्वाधिक मधुमेह रोगी होंगे तथा यह 'विश्व की मधुमेह राजधानी' होगा।

पृष्ठभूमि

- ब्लड शुगर के उच्च स्तर के कारण व्यक्ति मधुमेह का शिकार होता है। यह स्थिति इंसुलिन के अपर्याप्त उत्पादन से या मानव शरीर के इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करने या दोनों कारणों से सम्बंधित हो सकती है। यह एक गैर संचारी रोग है।
- मधुमेह के विभिन्न प्रकारः **(i) टाइप 1.** इंसुलिन का उत्पादन नहीं होना या अत्यल्प होना, **(ii) टाइप 2:** शरीर इंसुलिन के प्रति प्रतिरोध प्रदर्शित करता है, **(iii) गर्भावस्था सम्बन्धीः** गर्भावस्था के दौरान महिलाओं से संबंधित; और **(iv) पूर्व-मधुमेहः** इसमें ब्लड शुगर टाइप 2 जितना उच्च नहीं होता।
- **कारणः** तेजी से बढ़ता शहरीकरण, निष्क्रिय जीवन शैली और अस्वास्थ्यकर आहार। मोटापे की वजह से मधुमेह का जोखिम अत्यधिक बढ़ जाता है।

VISION IAS

- **लक्षणः** सामान्य लक्षणों में अधिक पेशाब आना, भूख और प्यास का बढ़ जाना शामिल है।
- **प्रभावः** यह अंधापन, गुर्दे की विफलता या अंग क्षय, हृदयाघात का खतरा, गर्भावस्था की जटिलताओं में वृद्धि आदि जैसी स्थितियाँ पैदा कर सकता है।

चुनौतियाँ

- भारत की अर्थव्यवस्था और लोगों की जेब पर बढ़ता बोझ।
- भारत में वयस्कों के बीच विकलांगता का एक प्रमुख कारण है।
- मधुमेह की स्क्रीनिंग में देरी, जानकारी की कमी और अच्छी तरह प्रशिक्षित मानव संसाधनों की कमी।

आगे की राह

- खान-पान की आदतों में बदलाव की जरूरत है, अधिक फाइबर और प्रोटीन तथा कम शर्करा और स्टार्च वाला आहार मधुमेह के खतरे को कम करता है।
- शर्करा वाले पेय पदार्थों पर करों में वृद्धि।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मधुमेह की शीघ्र पहचान एवं प्रभावी इलाज नियमित तौर पर उपलब्ध होना चाहिए।
- शहरी नियोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें सुरक्षित और आनंददायक शारीरिक गतिविधियाँ की जा सके।
- मधुमेह की रोकथाम और उपचार जैसे विषय पर लोगों को सार्वजनिक रूप से जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।

7.2.4. व्यवसायगत स्वास्थ्य जोखिम

(Occupational Health Hazards)

- हाल ही में व्यवसायगत स्वास्थ्य जोखिम के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को सिलिकोसिस की वजह से मारे गए 238 लोगों के परिजनों को प्रति व्यक्ति 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
- साथ ही मध्य प्रदेश सरकार को इस बीमारी से पीड़ित और काम करने में असमर्थ 304 श्रमिकों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने का निर्देश दिया है।

पृष्ठभूमि

- इस मामले में मारे गए श्रमिक मध्यप्रदेश के गरीब आदिवासी थे जो क्वाट्र्ज और पत्थर काटने के उद्योगों में काम करने के लिए गुजरात चले गए थे।
- मध्यप्रदेश वापस जाने के बाद, 238 श्रमिकों की सिलिकोसिस और टीबी से मृत्यु हो गई और 304 श्रमिक अभी भी इस बीमारी से पीड़ित हैं।
- खनन, निर्माण, पत्थर काटने, हीरा तराशने और इस तरह के अन्य उद्योगों की महीन सिलिका धूल से सिलिकोसिस रोग होता है जिससे फेफड़ों पर गंभीर असर होता है और लोगों को क्षय रोग (टीबी) जैसी बीमारियां हो जाती हैं।
- सिलिकोसिस के शुरुआती लक्षणों और टीबी के कारण मृत्यु के बीच संबंध स्थापित करना मुश्किल है।
- ये मजदूर पहले से ही गरीब और कुपोषित हैं और बिना किसी सुरक्षात्मक उपायों के काम कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का महत्व

- सिलिकोसिस को भारत में एक व्यवसायगत रोग के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन श्रमिक यह बहुत कम साबित कर पाते हैं कि बीमारी या मृत्यु का कारण सिलिका धूल है।
- इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आदेश दिए जाने के बाद भी अधिकारियों द्वारा कोई कदम न उठाना उनकी उदासीनता दर्शाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों ने व्यवसायगत खतरों के कारण गरीबों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभाव को पहचानने के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश किया है।

VISION IAS

7.2.5. एच.आइ.वी.-एड्स :

(HIV-AIDS)

- विश्व एड्स दिवस (1 दिसम्बर) के अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने एच.आइ.वी.-एड्स के विरुद्ध लड़ाई में मुख्य नीतिगत निर्णयों की घोषणा की तथा 2030 तक इस महामारी को समाप्त करने में भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।
- विश्व एड्स दिवस 2015 का मुख्य विषय- “फास्ट ट्रैक पर एड्स की समाप्ति”(on the fast track to end AIDS) था।

एड्स: एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य तथा चुनौतियाँ :	**वयस्कों में एच.आई.वी. की प्रधानता**
• लाखों लोग एच.आई.वी. संक्रमण के प्रति सुभेद्य (vulnerable) स्थिति में है। • एड्स सन्तानोत्पत्ति की उम्र की महिलाओं तथा युवा किशारियों के बीच मृत्यु का प्रमुख कारण बना हुआ है। • सामाजिक कलंक तथा रोगी के साथ भेदभाव अभी भी रोग से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। • यौन कार्यकर्ता तथा ट्रांसजेंडर लोग इस महामारी से बुरी तरह से प्रभावित है। दण्डात्मक कानून, लांछन, मानव अधिकारों का उल्लंघन व सामाजिक बहिष्कार आदि इस स्थिति को और अधिक नाजुक बना देता है। • उप सहारा अफ्रीका में लगभग 37 प्रतिशत महिला यौन कर्मी एच.आई.वी. संक्रमण के साथ जी रही हैं। • लैंगिक असमानता जिसमें लिंग आधारित हिंसा भी शामिल है, के कारण महिलाओं तथा लड़कियों की एच.आई.वी. के प्रति सुभेद्यता और बढ़ जाती है। • व्यापक लैंगिक तथा प्रसव संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच की कमी तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर होना युवा लोगों को एच.आई.वी. संक्रमण की स्थिति में ला देता है।	• राष्ट्रीय स्तर पर वयस्कों में एच.आई.वी. के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। यह वर्ष 2007 में 0.34 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2012 में 0.28 प्रतिशत तथा वर्ष 2015 में 0.26 प्रतिशत हो गया है। • वर्ष 2015 में वयस्कों में (एच.आई.वी.) से प्रभावित मामलों में कुल पुरुषों का 0.30 प्रतिशत कुल महिलाओं का 0.22 प्रतिशत प्रभावित है। • भारत में एच.आई.वी. ग्रस्त लोगों की संख्या 2015 में 21.17 लाख आकलित है। वहीं यह संख्या वर्ष 2007 में 22.26 लाख थी। • 6.54 प्रतिशत बच्चे (15 वर्ष से कम) इससे ग्रसित हैं जबकि सम्पूर्ण एच.आई.वी. संक्रमण में महिलाओं का अनुपात 40.5 प्रतिशत है। • एड्स से जुड़ी मृत्यु की वार्षिक संख्या में 54 प्रतिशत की गिरावट आयी है।

Figure 2. Distribution of PLHIV in Select States, 2015

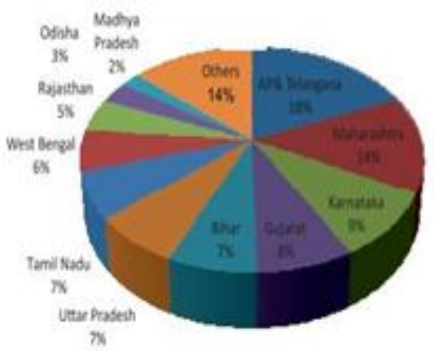

Figure 4. State Wise Estimated New HIV Infections among Adults, 2015

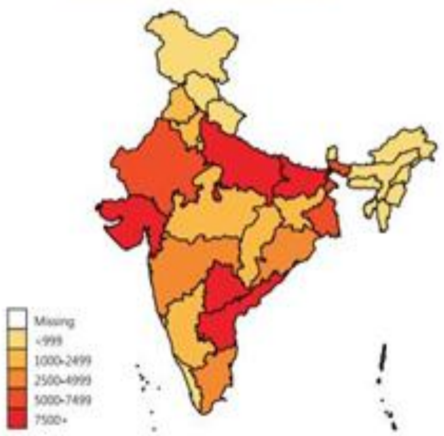

भारत- उपाय और उपलब्धियाँ :

भारत सरकार ने निर्णय किया है कि **राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम** को **केन्द्र प्रायोजित योजना** के रूप में जारी रखा जाएगा।

- वर्ष 2015 में किए गए एच.आइ.वी. से संबंधित सर्वेक्षणों में प्राप्त परिणामों के अनुसार एच.आइ.वी./एड्स महामारी के नियन्त्रण में देश को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। भारत ने एच.आइ.वी. महामारी के नियन्त्रण तथा इसके मामलों में कमी संबंधी सहस्राब्दि विकास लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है।
- परामर्श एवं परीक्षण- एक करोड़ से अधिक महिलाओं के लिए परामर्श तथा परीक्षण सेवाओं का प्रावधान किया गया। यह कार्यक्रम लगातार बढ़ता जा रहा है तथा इसका लक्ष्य माँ से बच्चे में होने वाले संक्रमण को पूरी तरह रोक देना है।
- माता-पिता से बच्चों में संक्रमण की रोकथाम के कार्यक्रम (PPTCT) को प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (RCH) कार्यक्रम के साथ चलाया जा रहा है।
- यू.एन. एड्स (UNAIDS) द्वारा 90:90:90 रणनीति के कार्यान्वयन को स्वीकार किया गया।
- विश्व में सबसे विस्तृत तथा ताकतवर एचआइवी निगरानी प्रणालियों में से एक भारत के पास है।
- नाको (NACO) तथा केन्द्रीय टी.बी. प्रभाग ने ई-प्रशिक्षण एच.आई.वी./टी.बी. माडयूल का विकास किया है। यह माडयूल जिला तथा उप-जिला स्तर पर कार्य करने वाले राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP) तथा संशोधित राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रमों (RNTCP) से संबंधित कर्मचारी वर्ग को प्रशिक्षित करता है।
- **पी.ए.एल.एस (पाल्स- PPTCT ART लिंकेज सॉफ़्टवेयर) प्रणाली-** यह प्रणाली एच.आइ.वी. संक्रमित गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली सभी महिलाओं के विवरण का रख रखाव करती है।
- भारत ने एच.आइ.वी.-एड्स के विरुद्ध लड़ाई में अफ्रीकी देशों की सहायता करके अपनी वैश्विक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है।

90:90:90 रणनीति

यह एड्स की महामारी को समाप्त करने के लिए एक नयी रणनीति है। जो एड्स जैसी महामारी के उन्मूलन के लिए एक आधार स्थापित करती है इसके ज़रिये -

- एचआईवी से प्रभावित 90% लोगों को अपनी एचआईवी स्थिति का पता चल जाएगा (90% में रोग की पहचान)
- एचआईवी संक्रमण से ग्रस्त 90% लोगों को निरंतर एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी प्राप्त होगी (90% का एचआईवी उपचार)
- एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी द्वारा 90% लोगों में वायरस का शमन (90% शमित)

7.2.6. पोलियो की पुनरावृत्ति

(Recurrence of Polio)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के निकट मल के एक नमूने से पोलियो के लक्षण सामने आने के बाद तेलंगाना राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा।
- हाल ही में **वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो वायरस** (VDVP) का एक मामला नई दिल्ली से रिपोर्ट हुआ है।

वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो वायरस (VDPV)

- VDVP अत्यंत दुर्लभ है और प्रतिरक्षा हीनता वाले बच्चों और कम प्रतिरोधकता स्तर वाली आबादी में पाया जाता है।

- पोलियो वायरस से पक्षाघात (पैरालिसिस) हो जाता है (जिसे चिकित्सकीय रूप से एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस (AFP) के रूप में जाना जाता है)। इसकी विशेषता अचानक मांसपेशियों में कमजोरी आना और एक या एक से अधिक अंगों में बुखार है।
- AFP कई कारणों से हो सकता है, जिनमें से एक टीके से संबंधित है (vaccine-linked)।
- एक चिंताजनक पहलू यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा किए गए अध्ययन में भारत में 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में गैर पोलियो- AFP या लकवाग्रस्तता की बड़ी संख्या की सूचना मिली है, जिसे VDPV से जोड़ा गया है।

AFP के मामलों में वृद्धि क्यों हुई?

- ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV) तनुकृत वैक्सीन-वायरस होता है। वायरस के इस दुर्बल रूप का शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया सक्रिय करने के लिए उपयोग किया जाता है जो बच्चे की WPV द्वारा चुनौती मिलने पर रक्षा करता है।
- लेकिन जब बच्चा OPV से प्रतिरक्षित किया जाता है तो वायरस आंत में प्रतिकृति बनाता है और इस समय वायरस स्रावित हो जाता है।
- अपर्याप्त स्वच्छता वाले क्षेत्रों में, स्रावित वैक्सीन-वायरस शीघ्र ही समुदाय में फैल सकता है और कम प्रतिरक्षा वाले बच्चों को संक्रमित कर सकता है।
- जब यह स्रावित वैक्सीन समुदाय में संचरित होता है तब आनुवंशिक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरता है और VDPV का कारण बनता है।

टीकाकरण अभियान

- हालांकि राज्य में अभी एक भी पोलियो से संबंधित मामला प्रकाश में नहीं आया है, फिर भी जल्द ही एहतियात के तौर पर राज्य भर में पोलियो की खुराक पिलाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा।
- भारत में अभी तक प्रयुक्त हो रही त्रिसंयोजी (Trivalent) OPV (मुख द्वारा पिलाई जाने वाली पोलियो दवा) में जीवित लेकिन असक्रिय टाइप-1,2 और 3 प्रकार के विषाणु मौजूद रहते हैं।
- अंततोगत्वा भारत में द्विसंयोजी पोलियो दवा या BOPV का प्रयोग किया जाने लगा है, इसमें टाइप-2 के विषाणु को हटा दिया गया है क्योंकि इससे वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो के मामले सामने आने की सम्भावना रहती थी।
- इसके बाद इंजेक्शन के माध्यम से भी पोलियो का टीका (Injectable IPV) लगाने की शुरुआत हुई, जिसमें तीनों प्रकार के विषाणु निर्जीव अवस्था में मौजूद रहते हैं। IPV में वायरल-शेडिंग (viral-shedding) की संभावना नहीं रहती।
- IPV तापन द्वारा मारे गए विषाणु (heat-killed virus) से बनाया जाता है, जो किसी भी परिस्थिति में रोग उत्पन्न नहीं कर सकता क्योंकि इसमें पैथोजन जीवित नहीं रहता है।
- WHO पोलियो उन्मूलन पर अपनी वैश्विक रणनीति के अंग के रूप OPV की तुलना में IPV का समर्थन करता रहा है।

चिंताएं

- पोलियो मुक्त देश होते हुए भी भारत से अभी भी वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो के मामलों की सूचना मिल रही है।
- जनवरी 2014 और मार्च 2015 के बीच भारत के चार अलग-अलग राज्यों से चार वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो के मामलों की सूचना मिली थी।
- भारत में जब से पोलियो का उन्मूलन हुआ है उसके बाद से गैर-पोलियो AFP में वृद्धि हुई है। 2012 में दर्ज मामलों की संख्या 59,436 थी, 2013 में यह संख्या 53,421 थी, और 2014 में यह संख्या 53,383 थी।
- पिछले वर्ष नवंबर तक देश में गैर-पोलियो AFP के 36,968 मामले सामने आ चुके थे।

- निम्न टीकाकरण आच्छादन (कवरेज)- वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो वायरस कम प्रतिरक्षित समुदायों में संचरित हो रहा है।
- भारत में WPV के अंतिम मामले की सूचना के तीन वर्ष बाद भी, देश में किसी न किसी रूप में फ्लैसिड पैरालिसिस के लगभग 50,000 मामलों की सूचना मिली है, जो चिकित्सकीय रूप से बिल्कुल पोलियो की भांति है, जिससे पता चलता है कि पोलियो मुक्त दर्जा कितना खोखला है।

7.2.7. मातृ एवं नवजात टिटनेस में कमी

(Reduced Maternal and Neonatal Tetanus)

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मातृ एवं नवजात टिटनेस (MNT) अब दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में एक बड़ी समस्या नहीं है।
- जिला स्तर पर मातृ एवं नवजात टिटनेस के कारण होने वाली मृत्यु प्रति हजार जन्मों पर एक रह गयी है।
- 1989 में दुनिया में मातृ एवं नवजात टिटनेस की वजह से 7,87,000 नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई थी।
- प्रसव के दौरान अस्वच्छ स्थिति और अपर्याप्त गर्भनाल देखभाल मां और बच्चे में इस रोग का मुख्य कारण हैं। यह रोग क्लोस्ट्रीडियम टिटानी (Clostridium Tetani) नामक जीवाणु के कारण होता है।
- इस रोग के लक्षण लॉकजॉ (lockjaw), मांसपेशियों में ऐंठन, बुखार, तेज धड़कन, पसीना आना और उच्च रक्तचाप हैं।
- टीकाकरण और मातृ एवं नवजात शिशु देखभाल की गुणवत्ता बढ़ाना इस रोग के उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण है।

7.2.8. इबोला महामारी का अंत

(End of Ebola Epidemic)

पृष्ठभूमि

- इबोला वायरस बीमारी (EVD) मनुष्यों में होने वाली एक गंभीर और घातक बीमारी है। इसे इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप में भी जाना जाता है।
- इबोला का विषाणु मानव में जंगली जानवरों के माध्यम से संचारित हुआ और मानव-से-मानव संचरण के माध्यम से मानव आबादी में फैला।
- सिएरा लियोन, गिनी और लाइबेरिया इबोला से सबसे अधिक प्रभावित देश थे।
- गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया में स्वास्थ्य प्रणालियां बहुत कमजोर थीं और मानव तथा ढांचागत संसाधनों का अभाव था।

अफ्रीका में इस बीमारी की वर्तमान स्थिति क्या है?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मई 2015 में लाइबेरिया को इस रोग से मुक्त देश घोषित किया गया था और उसके बाद दो बार फिर से इस बीमारी के नए मामले सामने आये। जनवरी 2016 में लाइबेरिया को फिर से रोग मुक्त घोषित किया गया।
- नवंबर 2015 में सिएरा लियोन और गिनी को भी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इबोला वायरस से मुक्त घोषित किया गया था।

विश्व स्वास्थ्य संगठन किसी देश को विषाणु से मुक्त कैसे घोषित करता है?

- आखरी मामले में रक्त के नमूने की जांच दो बार नकारात्मक आने के बाद, देश को 42 दिनों की रोगोद्भवन (Incubation) अवधि से गुजरना पड़ता है। उसके बाद उस देश को रोग मुक्त घोषित किया जाता है।

VISION IAS

- उसके बाद देश को 90 दिनों की उच्च निगरानी पर रखा जाता है।

इस प्रकोप में इबोला का कितना प्रभाव हुआ?

- 2014 से इसके संक्रमण से 11300 से भी अधिक लोग मारे गए और 29000 लोग संक्रमित हुए।
- इसके जोखिम से बचने के लिए अन्य देशों ने पश्चिम अफ्रीकी देशों के साथ संपर्क को कम किया और इस वजह से पश्चिम अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई।
- अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की वजह से गरीबी और खाद्य असुरक्षा का खतरा बढ़ सकता है।

क्या इबोला का कोई इलाज है?

- इबोला का अभी तक कोई प्रमाणित इलाज़ उपलब्ध नहीं है।
- हालांकि रक्त उत्पादों, प्रतिरक्षा चिकित्सा और दवा उपचारों जैसे अन्य विकल्पों सहित संभावित उपचार का परीक्षण किया जा रहा है।
- कोई प्रमाणित टीका अभी तक उपलब्ध नही हैं, लेकिन 2 संभावित टीके मानव सुरक्षा परीक्षण के दौर से गुजर रहे हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की आलोचना क्यों हुई?

- 2014 में जब यह रोग फैलना शुरू हुआ तब विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी, हालांकि बाद में इसने इसके लिए प्रयास तेज किये।
- इस वजह से शुरुआत में इससे मरने वालों की संख्या अधिक थी।

भारत के लिए सबक

- किसी भी देश में रोग का प्रसार, सभी देशों के लिए एक खतरा है।
- त्वरित प्रतिक्रिया के द्वारा किसी भी विषाणु के प्रकोप को आरंभ में ही रोकना संभव है।
- स्थायी सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- घबराहट और उन्माद (हिस्टीरिया) से स्थिति और बिगड़ सकती है।

VISION IAS

7.2.9. एन.पी.सी.डी.सी.एस. (NPCDCS) के साथ होम्योपैथी/योग का एकीकरण

[Integration Of Homeopathy / Yoga With Npcdcs]

- आयुष और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के अमरावती के निकट कृष्णा जिले के गुडिवाडा में 'कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और आघात के रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.सी.डी.सी.एस.) के साथ 'होम्योपैथी/योग का एकीकरण करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट' का शुभारंभ किया है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित तत्वों के एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से प्राथमिक रोकथाम प्रदान करके गैर संचारी रोगों (NCD) के बोझ में कमी लाने में सहायता करना है-

✓ स्वास्थ्य शिक्षा (योग सहित स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना),

✓ गैर संचारी रोगों के संबंध में जल्द पहचान/निदान के लिए जनसंख्या की सामयिक स्क्रीनिंग

✓ गैर संचारी रोगों के पूर्व प्रबंधन तथा उपचार के लिए 'होम्योपैथी को सहायक या एकल उपचार के रूप में प्रयोग करना।

7.2.10. परंपरागत चिकित्सा पर भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच समझौता

(India-WHO Agreement on Traditional Medicine)

- भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने परंपरागत चिकित्सा पर एक परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- यह समझौता परंपरागत और पूरक चिकित्सा के क्षेत्र में गुणवत्ता, सुरक्षा और सेवा प्रावधान की प्रभाविता को बढ़ावा देने के संबंध में सहयोग के लिए है।
- इसका उद्देश्य "परंपरागत और पूरक चिकित्सा रणनीति: 2014-2023" के विकास और कार्यान्वयन में विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद करना है।
- 2016-2020 अवधि के लिए यह समझौता पहली बार योग में प्रशिक्षण के लिए WHO बेंचमार्क दस्तावेज़ तथा आयुर्वेद, यूनानी और पंचकर्म में प्रैक्टिस के लिए WHO बेंचमार्क प्रदान करेगा।

इससे कैसे सहायता मिलेगी?

- WHO के साथ दीर्घकालिक सहयोग से AYUSH **प्रणाली की अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता और ब्रांडिंग में सुधार लाने में सहायता** मिलेगी।
- इससे परंपरागत चिकित्सा में राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।
- साथ ही यह परंपरागत चिकित्सा उत्पादों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में उनके एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए नियामक ढाँचा स्थापित करने में भी मदद करेगा।
- इससे शिक्षा के माध्यम से चिकित्सा की AYUSH प्रणालियों के संबंध में **जागरूकता पैदा करने में** सुविधा होगी
- इससे AYUSH और WHO के बीच कार्यशालाओं और आदान-प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से **कौशल विकास और क्षमता निर्माण में** सहायता मिलेगी।
- इससे सदस्य राज्यों के बीच AYUSH प्रणालियों पर समर्थन और सूचना के प्रसार की सुविधा होगी।
- इससे विशेष रूप से AYUSH प्रणालियों के संदर्भ में WHO पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2014-2023 के कार्यान्वयन में सहक्रियाशीलता सृजित करने के लिए तीसरे पक्ष के साथ सहयोग का मार्ग प्रशस्त होगा।
- यह रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण और स्वास्थ्य उपायों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण में आयुर्वेद और यूनानी को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

VISION IAS

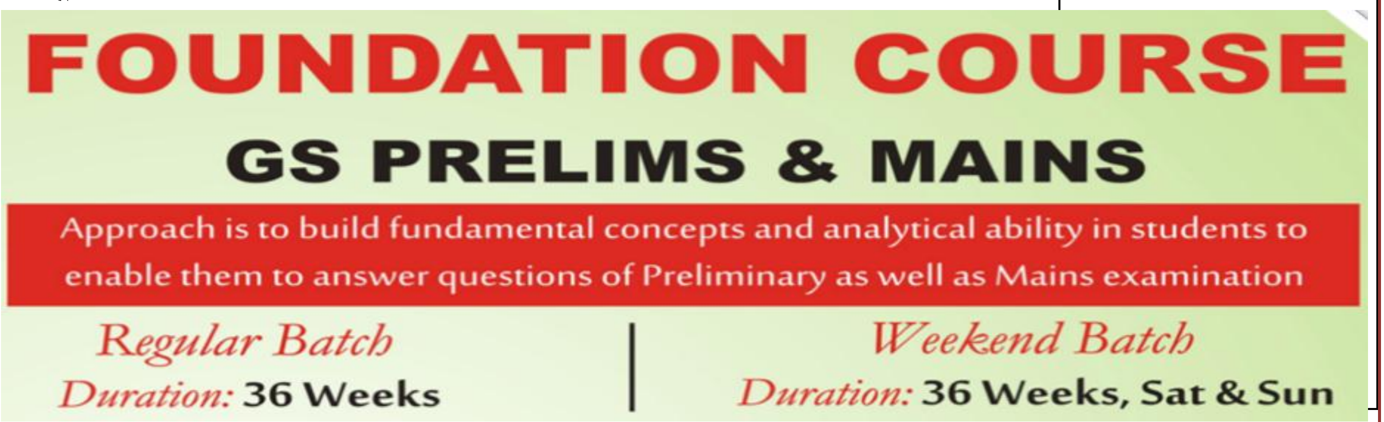

8. शिक्षा

[EDUCATION]

8.1. नई शिक्षा नीति का प्रारूप

[Draft New Education Policy]

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नई शिक्षा नीति का प्रारूप www.mygov.in वेबसाइट पर सार्वजनिक किया गया था।

मुख्य विशेषताएं

1. **पूर्व-विद्यालय शिक्षा:** बीते समय में पूर्व-विद्यालयी शिक्षा को आवश्यक ध्यान प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि सरकारी विद्यालय पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं। नई शिक्षा नीति प्रारूप के अनुसार निम्नलिखित नीतिगत पहल की जाएंगी:
   (a) 4 से 5 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों के लिए पूर्व-विद्यालयी शिक्षा लागू की जाएगी।
   (b) आंगनबाड़ियों में पूर्व-विद्यालयी शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए, पाठ्यक्रम निर्मित करने एवं शिक्षण सामग्री का विकास करने के लिए राज्यों के परामर्श से कदम उठाए जाएंगे।
   (c) राज्य सरकारें पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों के संवर्ग को तैयार करेंगी।
   (d) सभी प्राथमिक स्कूल, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को सम्मिलित करेंगे।
2. **स्कूली शिक्षा में अधिगम परिणाम (लर्निंग आउटकम)**
   (a) अधिगम परिणामों के लिए मानदंड विकसित किए जाएँगे और निजी और सरकारी स्कूलों में समान रूप से लागू किए जाएंगे।
   (b) शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम द्वारा निर्धारित मानदंडों के भीतर राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अवसंरचना की अभिकल्पना (डिजाईन) एवं योजना निर्मित करने की छूट होगी।
   (c) अगली कक्षा में जाने हेतु अनुत्तीर्ण न करने की नीति के वर्तमान प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा, क्योंकि इसने छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। अनुत्तीर्ण न करने की नीति को कक्षा पांच तक सीमित कर दिया जाएगा एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर पूर्व प्रणाली (अनुत्तीर्ण करने की) को पुनः स्थापित किया जाएगा।
3. **शिक्षा में कौशल और रोजगार क्षमता विकास**
   (a) स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में कौशल विकास कार्यक्रमों का पुनर्विन्यास (reorient) किया जाएगा।
   (b) विशेष फोकस जिलों में माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार करने के लिए, कौशल विद्यालयों के निर्माण हेतु एक विस्तृत योजना बनाई जाएगी।
4. **शिक्षक विकास और प्रबंधन**
   (a) शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से पारदर्शी और योग्यता आधारित मानदंडों का निर्माण किया जाएगा।
   (b) राष्ट्रीय स्तर पर, शिक्षक शिक्षण और फैकल्टी विकास के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित करते हुए एक शिक्षक शिक्षण विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।
   (c) हर राज्य में शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए एक अलग संवर्ग स्थापित किया जाएगा।
   (d) उच्च शिक्षा हेतु, शिक्षण पेशे में युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान आरम्भ किया जाएगा। शिक्षण व्यवसाय में युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए शोध छात्रों (जैसे एम.फिल एवं पीएच.डी.) के कैरियर का विकास किया जाएगा।
5. **उच्च शिक्षा में विनियमन**
   (a) राष्ट्रीय उच्च शिक्षा फैलोशिप कार्यक्रम का प्रबंध करने के लिए स्वतंत्र प्रणाली स्थापित की जाएगी।

VISION IAS

(b) उच्च गुणवत्ता सांख्यिकीय विशेषज्ञता और प्रबंधन सूचना प्रणाली से युक्त केंद्रीय शैक्षिक सांख्यिकी एजेंसी (CESA) स्थापित की जाएगी। इसका प्रयोग संभाव्य विधि विश्लेषण, लोगों के नियोजन एवं भावी दिशा में सुधारों के लिए किया जाएगा।

(c) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित प्रमाणन की प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। यह अच्छा प्रदर्शन करने वाली प्रणालियों और विभिन्न देशों द्वारा पालन की जाने वाली कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुभवों से निष्कर्ष प्राप्त करेगी एवं क्रिया-पद्धतियों, मापदंडों और कसौटियों को पुनर्परिभाषित करने के साथ-साथ NAAC और NAB के पुनर्गठन के संबंध में सुझाव देगी।

6. मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ODL) एवं बड़े पैमाने पर संचालित मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (MOOCs)

(a) कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान (NIOS) व्यावसायिक शिक्षा हेतु संभावित बड़ी मांग को संबोधित करने के लिए स्वयं को पुनर्परिभाषित करेगा। प्रबंधन, निगरानी और NIOS के निरीक्षण सबंधी मुद्दों पर उचित रूप से ध्यान दिया जाएगा।

(b) ODL / MOOCs प्रदान करने वाले सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के प्रमाणन के लिए एक गुणवत्ता प्रत्यायन प्रणाली स्थापित (quality assurance mechanism) की जाएगी। इसका उद्देश्य गुणवत्ता सुनिश्चित करना, नवोन्मेष को बढ़ावा देना एवं ODL / MOOCs पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को नवीन आकार प्रदान करने के साथ-साथ उनका आधुनिकीकरण करना होगा।

7. अनुसंधान, नवोन्मेष और नवीन ज्ञान

(a) वास्तविक जमीनी मुद्दों को प्रतिबिंबित करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (NUEPA) के अनुसंधान एजेंडे का स्पष्ट रूप से पुनर्विन्यास किया जाएगा।

(b) सॉफ्ट पॉवर के रूप में भारत की स्थिति को सुदृढ़ एवं मजबूत करने के लिए, नए ज्ञान का सृजन एवं उनके अनुप्रयोग को बढ़ावा देने एवं इन नवीन प्रक्षेत्रों को उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने हेतु कदम उठाएंगे।

8. शिक्षा का वित्तपोषण

(a) सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 6% तक बढ़ाने के लंबे समय से लंबित लक्ष्य को प्राथमिकता से प्राप्त करने हेतु कदम उठाएगी।

(b) भारी निवेश की आवश्यकता वाले नए संस्थानों की स्थापना के स्थान पर मौजूदा संस्थानों की क्षमता का विस्तार करना सरकार की प्राथमिकता होगी।

(c) उत्कृष्टता और दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए, उच्च शिक्षा संस्थानों के मामलों में प्रदर्शन से जुड़ी वित्तपोषण व्यवस्था को लागू किया जाएगा।

9. शिक्षा में भाषा और संस्कृति

(a) सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश यदि चाहें तो अपने विद्यालयों में कक्षा 5 तक निर्देश के माध्यम के रूप में मातृ भाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।

(b) स्कूली शिक्षा में भारतीय संस्कृति, स्थानीय एवं पारंपरिक ज्ञान को पर्याप्त स्थान दिया जाएगा।

(c) शैक्षणिक संस्थान छात्रों में नागरिक भावना, अनुशासन, समयनिष्ठा, स्वच्छता, सदाचार एवं बड़ों के प्रति सहानुभति विकसित करने का प्रयास करेंगे।

(d) भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति एवं विकास में संस्कृत के विशेष योगदान एवं देश की सांस्कृतिक एकता में इसके अद्वितीय योगदान को देखते हुए विद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर संस्कृत के शिक्षण के लिए और अधिक उदार स्तर पर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

VISION IAS

10. समावेशी शिक्षा एवं छात्र समर्थन

(a) सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए पाठ्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं सामंजस्य तथा विधिक उपायों के मुद्दे समाविष्ट किए जाएंगे।

(b) योग्यता को प्रोत्साहित करने एवं समता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, लगभग 10 लाख छात्रों के लिए, प्राथमिक रूप से शिक्षण-शुल्कों, शिक्षण-सामग्रियों एवं जीवन-निर्वाह व्ययों का समर्थन करने हेतु अभिकल्पित, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कोष बनाया जाएगा।

(c) लैंगिक भेदभाव और हिंसा पर शून्य सहिष्णुता दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, **पाठ्यक्रम नवीकरण और परीक्षा सुधारों, बच्चों एवं किशोर शिक्षा के अधिकारों के संरक्षण, शिक्षा के क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग एवं व्यापक शिक्षा के माध्यम से आत्म-विकास** को भी प्राथमिकता दी गयी है।

आगे की राह

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि संपूर्ण शिक्षा क्षेत्रक का सुधार और नवीनीकरण करने के लिए नई नीतिगत उपाय अत्यंत आवश्यक हैं। तात्कालिक समाधान, तदर्थ उपाय, या विभिन्न प्रकार की नई योजनाओं को आरंभ करना ऐसे उपाय नहीं हैं जो इस क्षेत्रक को रूपांतरित करके बेहतर कर सकें।

साथ ही, इस प्रारूप नीति को अल्पसंख्यकों की शंकाओं पर ध्यान देने से संबंधित मुद्दों एवं शिक्षा के व्यावसायीकरण जैसे मुद्दों पर व्यापक परामर्श की आवश्यकता है। यह मानना होगा कि गुणवत्ता और समावेशन पर राष्ट्रीय ऊर्जा का निवेश ही ऐसा एकमात्र मार्ग है जो देश को सामान्य स्तर से उठाकर अंतराष्ट्रीय मंच पर पहुँचा सकता है।

8.2. शिक्षा पर सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट

[Subramanian Committee Report on Education]

सुर्ख़ियों में क्यों

- हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विकास के लिए TSR सुब्रमण्यम ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया।
- इससे पूर्व दो शिक्षा पर दो नीतियाँ बनी हैं, एक 1968 में इंदिरा गांधी तथा दूसरी 1986 में राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान बनी थी। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' 1986 को वर्ष 1992 में संशोधित किया गया था।

नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों?

- वैश्विक स्तर पर शिक्षा व्यय कुल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 4.9% प्रतिशत है, जबकि भारत में यह मात्र 3.4% है।
- अच्छी गुणवत्ता वाले शिक्षकों की अनुपलब्धता।
- रचनात्मकता और शोध पर भी भारत में अपर्याप्त ध्यान दिया जाता है।
- शिक्षा संस्थानों में कैपिटेशन फीस के नाम पर मनी लॉन्डरिंग।
- स्नातकों के लिए रोजगार की समस्या है।
- शैक्षिक संस्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप भी बहुत बढ़ा है, विशेष रूप से उच्च शिक्षा में।
- शिक्षण मूल्यों और नैतिकता पर अपर्याप्त ध्यान दिया जाता है।
- देश में अनेक उच्चस्तरीय संस्थान होने के बाद भी वैश्विक रैंकिग में शीर्ष 500 शिक्षण संस्थानों में भारत का मात्र एक ही संस्थान शामिल है।

रिपोर्ट के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

- भारत में विद्यालयी शिक्षण प्रणाली में ढांचागत सुविधाओं में सुधार के बावजूद सीखने के स्तर में कमी आई है।
- बचपन में अत्यधिक व अनावश्यक तनाव (अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने का दबाव) से शिक्षा प्राप्ति व सीखने की प्रक्रिया पर गहन असर पड़ता है, जो कि प्राथमिक स्तर से प्रारंभ होकर माध्यमिक तथा उच्च अध्ययन तक अपना नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है।
- शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों को प्रेरण और प्रशिक्षण का अभाव है, तथा कार्मिक प्रबंधन में खामियां हैं।

VISION IAS

- इनके अलावा शिक्षण क्षेत्र अत्यधिक बाहरी हस्तक्षेप, जवाबदेही का अभाव, अनियंत्रित व्यवसायीकरण तथा उचित मानकों के अभाव के कारण विश्वसनीयता की कमी से जूझ रहा है।

रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें

- शिक्षा पर व्यय को तत्काल प्रभाव से सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत तक किया जाए।
- शिक्षकों के लिए सरकारी तथा निजी शिक्षण संस्थानों में लाइसेंस या प्रमाण पत्र को अनिवार्य बनाया जाये, तथा इनका नवीनीकरण प्रत्येक दस वर्षों में एक स्वतंत्र बाह्य परीक्षण के आधार पर किया जाए।
- पूर्व-विद्यालयी शिक्षण को 4-5 आयु वर्ग के बच्चों के अधिकार के रूप में घोषित किया जाए, तथा इसे एक कार्यक्रम बना कर क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाए।
- मिड-डे-मील योजना का विस्तार माध्यमिक विद्यालय तक किया जाए।
- शिक्षक प्रवेश परीक्षा (TET) को समस्त शिक्षक भर्तियों के लिए अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्नातक स्तर पर न्यूनतम अंक 50% होने चाहिए।
- कक्षा पांच तक जब विद्यार्थी की आयु लगभग ग्यारह वर्ष के करीब होती है, **'अनुत्तीर्ण न करने की नीति'** (no detention policy) को बनाए रखा जाए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भी इस नीति द्वारा सुधारात्मक कोचिंग तथा दो अतिरिक्त मौके प्रदान कर विद्यार्थियों को अगली कक्षा में पहुंचने के लिए उसकी योग्यता को साबित करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों का विस्तार अल्पसंख्यक संस्थानों तक भी किया जाना चाहिए, क्योंकि भाषायी व धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की संख्या में अत्यधिक विस्तार हुआ है।

अन्य सिफारिशें

- उच्च शिक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में एक बार अलग से कानून बनाने के बाद यूजीसी एक्ट को खत्म कर दिया जाए, तथा उसका कार्य छात्रवृत्तियों व फेलोशिप के वितरण तक सीमित किया जाए।
- पहले 200 रैंक तक आने वाले विश्वविद्यालयों को भारत में अपना कैम्पस (परिसर) खोलने की अनुमति प्रदान की जाए।
- मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन एक 'भारतीय शिक्षा सेवा' (Indian Education Service) का गठन किया जाए, जिसके अधिकारी राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करेंगे।
- किशोरों में कुपोषण और रक्ताल्पता के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए मध्याह्न भोजन की योजना का विस्तार माध्यमिक स्तर तक के बच्चों के लिए भी किया जाए।
- कक्षा 12वीं को उत्तीर्ण करने के पश्चात् समस्त विद्यार्थियों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का प्रावधान होना चाहिए।

आलोचना

- 'नई शिक्षा नीति' का निर्माण करने वाली समिति के 5 में चार सदस्य नौकरशाही से जबकि सिर्फ एक सदस्य आकदमिक से संबंधित हैं।
- विशेषज्ञों का मानना है कि यूजीसी जैसी संस्था को खत्म करने के स्थान पर उसमें आवश्यक सुधार करने की आवश्यकता है।
- छोटे तथा गैर-व्यवहार्य विद्यालयों के एकीकरण से **'शिक्षा के अधिकार'** कानून की मूल भावना को चोट पहुंचती है, जो कहता है कि कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय घर से निकट ही स्थित हो।

आगे की राह

समिति ने लंबे समय से चले आ रही मांगों के दोहराया है और सही उल्लेख किया है कि कुछ वर्षों में ' भारत की जनसांख्यिकीय 'लाभांश' को 'आपदा' में परिवर्तित नहीं होने देने के लिए यह जरुरी है कि सख्त कदम उठाये जाए।

- पैनल की सिफारिशों पर विभिन्न मंचों में चर्चा किए जाने की जरूरत है और यथोचित विचार-विमर्श के बाद आवश्यक नयी शिक्षा नीति के रूप में इसे लाया जाए।

VISION IAS

8.3. भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली

[Higher Education System in India]

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में तमिलनाडु के एक निजी मेडिकल कॉलेज की तीन छात्राओं द्वारा आत्महत्या कर ली गयी। उनके द्वारा छोड़े गए एक पत्र में अत्यधिक फीस, उचित कक्षा और शिक्षकों का न होना तथा 'सीखने के लिए कुछ भी न होने' को आत्महत्या का कारण बताया गया है। यह भारत में निजी शिक्षा की विकृतियों को उजागर करता है।

भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र का वर्तमान परिदृश्य:

- भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली विश्व में तीसरी सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली है।
- भारत में उच्च शिक्षा में निजी संस्थानों की भागीदारी लगभग दो-तिहाई है (अर्नेस्ट एंड यंग और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वर्ष 2011 की एक रिपोर्ट के अनुसार)।
- बढ़ती आय और जनसांख्यिकीय दबाव के संयुक्त प्रभाव के कारण उच्च शिक्षा की मांग तेजी से बढ़ेगी।
- राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थान अकेले शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते इसलिए स्कूल और कॉलेज दोनों स्तर पर, निजी उच्च शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है।

भारत में निजी शिक्षा प्रणाली से संबंधित मुद्दे:

- **परिचालन स्वायत्तता की कमी-** निजी विश्वविद्यालयों और डीम्ड विश्वविद्यालयों के पास वर्तमान में कॉलेजों को संबद्ध करने, शिक्षकों का वेतन निर्धारित करने तथा अपने कॉलेजों में पाठ्यक्रम शामिल करने का कोई अधिकार नहीं है।
- निजी संस्थानों पर राज्य विश्वविद्यालयों का **कठोर नियंत्रण** है। वहीं इन विश्वविद्यालयों का नियंत्रण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), व्यावसायिक परिषद और सरकार के हाथ में है।
- विदेशी विश्वविद्यालयों तथा विदेशी शिक्षकों के प्रवेश और विदेशी सहयोग पर भी कई **प्रतिबंध** हैं।
- **सशर्त FDI**: हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है, लेकिन यह सशर्त है। इसमें से कुछ शर्त हैं- लाभ के लिए नहीं (Not-for-profit) सिद्धांत और तकनीकी संस्थानों में निवेश करने के लिए केवल बिना किसी विदेशी निवेश वाली सेक्शन 25 कंपनियों को अनुमति दिया जाना।
- **गुणवत्ता की कमी–** शहरों में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों का काफी तेजी से प्रसार हुआ है, जो आवश्यक मानक पूरे नहीं करते हैं।

कदम जो निजी शिक्षण संस्थान को प्रोत्साहित करने के लिए उठाये जाने चाहिए:

- **अधिक परिचालन स्वायत्तता-** स्वायत्तता कम करने वाले इनपुट आधारित मानदंडों को हटाकर परिचालन नियमन को सरल बनाना।
- **विधायी ढांचे का समर्थन-** निजी संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर कानून को सक्षम बनाना।
- **छात्रों को वित्तीय सहायता-** सार्वजनिक और निजी संस्थानों में समान अवसर को बढ़ावा देने के लिए छात्रों के हितों के आधार पर वित्त पोषण व्यवस्था को लागू करना।
- **गुणवत्ता के लिए नियामक ढांचा–** गुणवत्ता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विनियामक ढांचे को विकसित करना।

आगे की राह:

- निजी स्कूलों और कॉलेजों पर नियमन न्यूनतम लेकिन पारदर्शी होना चाहिए तथा साथ ही विनियामक प्रणाली को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए सतर्कता का होना भी जरूरी है।
- सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के विस्तार की आवश्यकता के साथ-साथ शिक्षक के चुनाव तथा जवाबदेही पर अधिक स्थानीय नियंत्रण होना चाहिए।
- न्यूनतम प्रवेश योग्यता तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ एक विस्तृत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली बनायी जा सकती है।

VISION IAS

कुछ मुद्दे जो उच्च शिक्षा प्रणाली के निष्पादन को बाधित कर रहे हैं

- **अनुसंधान की कमी-** वर्तमान में भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुसंधान के लिए उपलब्ध वित्त वैश्विक मानकों से बहुत कम है।
- **अच्छी गुणवत्ता वाले शिक्षकों की कमी–** अच्छे अनुसंधान कौशल वाले शिक्षकों को आकर्षित करने और बनाये रखने की जरूरत है।
- **शैक्षिक संस्थानों की कम प्रशासनिक क्षमता-** एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय के विश्व स्तरीय शिक्षकों को एक विश्व स्तरीय प्रशासन द्वारा समर्थन की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से, भारत में शैक्षणिक प्रशासकों के लिए कोई व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है जो हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली की विभिन्न बारीकियों से निपट सके।
- **अंतर्विषयक फोकस की कमी–** इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारी अधिकांश सामाजिक समस्याओं को केवल एकल अकादमिक विषय के विशेषज्ञों द्वारा हल नहीं किया जा सकता, विभिन्न शैक्षणिक विषयों के विशेषज्ञों के बीच बेहतर समन्वय और तालमेल की जरूरत है।

8.4. भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति देना

[Allowing Foreign Universities in India]

सुर्ख़ियों में क्यों?

- नीति आयोग ने हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय को विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा भारत में परिसरों (campuses) की स्थापना किए जाने के पक्ष में अपनी रिपोर्ट दी।

इस रिपोर्ट के मुख्य अंश

- इसने भारत में विदेशी शिक्षा प्रदाताओं के प्रवेश के लिए तीन मार्गों का सुझाव दिया है:
  - ✓ देश में ऐसे विश्वविद्यालयों के संचालन को विनियमित करने के लिए एक नया कानून।
  - ✓ उन्हें डीम्ड विश्वविद्यालयों के रूप में कार्य करने हेतु प्रवेश देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 एवं डीम्ड विश्वविद्यालय विनियमों में संशोधन।
  - ✓ भारतीय और विदेशी संस्थाओं के बीच संयुक्त उद्यमों की अनुमति देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के विनियमों में वांछित परिवर्तन करना।
- भारत में विदेशी संस्थानों द्वारा मानव और वित्तीय संसाधनों, शिक्षण पद्धति और अनुसंधान तथा नवोन्मेष के संदर्भ में भारत को अत्यधिक लाभ प्राप्त होना तय है।
- यह भारत में उच्च शिक्षा की मांग को पूरा करने में सहायता करेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा और तदनंदर भारत में उच्च शिक्षा के मानकों में सुधार करेगा।
- इनके कारण भारत में शिक्षा की लागत में वृद्धि होने और जनसंख्या के बड़े भाग तक शिक्षा की पहुँच समाप्त होने के तर्कों पर यह रिपोर्ट कहती है कि योग्य छात्रों को साधन-सह-योग्यता के आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

प्रवेश के विरुद्ध तर्क

- अन्य देशों से प्राप्त हुए उदाहरण प्रोत्साहित करने वाले नहीं हैं। यद्यपि विश्व के अन्य देशों में विदेशी संस्थानों ने कुछ अतिरिक्त पहुँच प्रदान की है किन्तु उनके कारण छात्र संख्या में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।
- विदेशी विश्विद्यालयों की शाखाओं के कई परिसर काफी छोटे हैं और उन्हें ऐसे ही पाठ्यक्रमों में विशेषज्ञता प्राप्त हैं जिन्हें प्रस्तुत करना सस्ता है और जिनके ग्राहक पहले से बने-बनाए मिल जाते हैं, जैसे कि व्यावसायिक अध्ययन, प्रौद्योगिकी, और आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी) प्रबंधन।
- शाखाओं के कुछ ही परिसर शैक्षणिक नवोन्मेष के क्षेत्र में योगदान करते हैं। सामान्यतया, वे परीक्षणों से सिद्ध एवं सही प्रबंधन, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं।

VISION IAS

- इन शाखाओं को अपने गृह विश्वविद्यालयों से बहुत कम स्वायत्तता प्राप्त होती है, और इस प्रकार ये विदेश से कठोरतापूर्वक नियंत्रित होती हैं। यद्यपि इनके द्वारा भारत में लाए गए कुछ विचार उपयोगी हो सकते हैं किंतु इनसे बहुत अधिक अपेक्षा नहीं की जा सकती।
- वैश्विक अनुभव बताते हैं कि विदेशी बाजार में प्रवेश करने वाले अधिकतर उच्च शिक्षा संस्थान प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय नहीं हैं, बल्कि बाजार की उपलब्धता और आय हेतु प्रयासरत निचले स्तर के संस्थान हैं।
- शीर्ष विश्वविद्यालय भारत में अपने समकक्ष भारतीय संस्थानों के साथ भली-भाँति सहयोगात्मक व्यवस्था या अध्ययन/शोध केंद्र स्थापित कर सकते हैं, किन्तु उनके द्वारा स्वयं ही पूर्ण विकसित शाखा परिसरों का निर्माण किए जाने की संभावना कम होती है।

पिछली सरकार ने भी, मई 2010 में, संसद में विदेशी शैक्षिक संस्थान (प्रवेश और प्रचालन) विधेयक पेश किया था, किन्तु यह 2014 में व्यपगत हो गया।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में विदेशी विश्वविद्यालय

- वाणिज्य मंत्रालय ने पहले सुझाव दिया था कि यदि संपूर्ण देश के लिए इस प्रकार का परिवर्तन लाना संभव ना हो तो इसका आरंभ विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) में किया जा सकता है।
- हालांकि, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय (HRD) ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
- इस कदम का विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा स्वागत किया गया क्योंकि उन्हें ऐसी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा लाभों के प्रत्यावर्तन से लाभ प्राप्त होता जो अन्यथा भारतीय कानून के अंतर्गत वर्जित है।
- इसके अतिरिक्त, यह कदम उन्हें भारतीय नियमों के अंतर्गत ऐसे संस्थानों पर लगाए गए सख्त प्रतिबंधों से बचे रहने की भी अनुमति देता।
- हालांकि मानव संसाधन विभाग (HRD) ने इसके विपक्ष में-तर्क दिया कि इन क्षेत्रों में श्रम विनियमन और आपराधिक कानून जैसे विधान देश के शेष भाग के समान ही हैं, और शिक्षा के लिए भी यह समान ही होने चाहिए।

8.5. शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित मुद्दे

(Issues related to RTE Act)

8.5.1. धारा 12 (1) (c)

[(Section 12 (1) (c)]

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- रिपोर्ट 'राष्ट्र की स्थिति: शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (c)', इसके क्रियान्वयन की स्थिति पर प्रकाश डालती है।
- यह रिपोर्ट IIM, अहमदाबाद के RTE संसाधन केंद्र, सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, एकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव (सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च) और विधि सेंटर फॉर लीगल पोलिटी का एक सहयोगात्मक प्रयास है।

RTE अधिनियम की धारा 12 (1) (c) क्या है?

- RTE की धारा 12 (1) (c) गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों (अल्पसंख्यक और आवासीय स्कूलों को छोड़कर) को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए, प्रवेश के स्तर पर 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखना अनिवार्य करती है।
- इसका उद्देश्य शिक्षा के अवसर बढ़ाना और समावेशी स्कूली शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के छह वर्ष के बाद भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे अभी भी स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
- <u>सीटें भरने की कम दर</u> - शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली (District Information System for Education- DISE) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014-15 में आरक्षित सीटों में से केवल 15.12 प्रतिशत सीटों पर ही कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश मिल पाया था।

VISION IAS

- <u>अन्तर्राज्यीय विभिन्नता</u> - रिपोर्ट से पता चलता है कि राज्यों के बीच आरक्षित सीटें भरने में काफी विभिन्नता है। आंध्र प्रदेश में यह शून्य प्रतिशत है तो दिल्ली में 44.61 प्रतिशत है।
- <u>अधिकांश राज्यों में कार्यान्वयन नहीं</u>- 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 18 में यह प्रावधान बिलकुल भी लागू नहीं हुआ है। इसमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्य शामिल हैं।

ख़राब कार्यान्वयन के कारण

- राज्य सरकारें इन आरक्षित सीटों के लिए, निजी स्कूलों को फीस की प्रतिपूर्ति करने में बहुत देर कर देती हैं। कई बार इसमें दो वर्ष तक लग जाते हैं।
- नागरिकों के बीच इस नियम के बारे में जागरूकता का अभाव है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो इस नियम को लेकर बिलकुल भी जागरूक नहीं हैं।
- निजी स्कूलों और यहां तक कि राज्यों की ओर से अतिरिक्त खर्च उठाने की अनिच्छा।
- ज्यादातर राज्यों में या तो नियम और दिशा-निर्देश स्पष्ट नहीं हैं या वे इस प्रावधान को लागू नहीं कर रहे हैं।
- बच्चों की सहायता और उन बच्चों की प्रगति की समीक्षा करने के प्रावधान का कार्यान्वयन, स्कूल में प्रवेश के बाद लगभग न के बराबर है।

8.5.2. अल्पसंख्यक विद्यालयों के साथ शिक्षा के अधिकार (RTE) की सुसंगति

[Harmonising RTE with Minority Schools]

- केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) की धारा 16, जिसमें यह प्रावधान है कि विद्यालय किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले रोक नहीं सकते हैं, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर भी लागू होती है।
- कोर्ट ने यह दायित्व अधिनियम के आधार पर नहीं बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के आधार पर आरोपित किया है जो जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है।
- कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि **'अनुत्तीर्ण न करने की नीति'** (no-detention policy (NDP)) बच्चे के "सर्वाधिक हित" में है तथा स्वतंत्र रूप से इसे मूलभूत अधिकार समझा जा सकता है।

आरटीई का अल्पसंख्यक अधिकारों के साथ सुसंगति

- शिक्षा के अधिकार का सामान्य प्रभाव क्षेत्र अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासित करने के अधिकार के साथ विरोधाभासी है।
- अनुच्छेद 30 के तहत प्राप्त अधिकार निरपेक्ष नहीं है। विद्यालय को 'प्रशासित' करने की स्वतंत्रता 'कुप्रशासन' को समाहित नहीं करती है।
- शैक्षणिक स्तरों का बनाये रखने, बेहतर अधिसरंचना को सुनिश्चित करने तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आदि से सम्बंधित विनियम अल्पसंख्यक विद्यालयों पर भी लागू होते हैं।

8.5.3. शिक्षा का अधिकार (RTE) के अंतर्गत अनुत्तीर्ण न करने की नीति

[Review of No Detention Policy Under RTE]

सुर्ख़ियों में क्यों?

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दिए गए उत्तर में, कम से कम 18 राज्य सरकारें इस खंड के निरसन की मांग की है।
- हाल ही में, शिक्षा नीति पर सुझाव देने के लिए नियुक्त टी एस आर सुब्रह्मण्यन पैनल ने भी संस्तुति की है कि सरकार को उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण करने की प्रणाली को छठी कक्षा से वापस लागू करना चाहिए।
- राजस्थान और दिल्ली ने भी अनुत्तीर्ण न करने की नीति को वापस लेने के लिए विधेयक पारित किया है। ये राज्यपाल की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

VISION IAS

अनुत्तीर्ण न करने की नीति क्या है?

- शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, छात्रों को कक्षा आठ तक अगली कक्षा में प्रवेश प्राप्त करने हेतु स्वचालित रूप से उत्तीर्ण कर दिया जाता है, भले ही उन्हें उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक प्राप्त न होते हों।
- इसे शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के अंतर्गत छात्रों के चहुंमुखी विकास को सुनिश्चित करने के लिए **सतत और व्यापक मूल्यांकन (CCE)** के भाग के रूप में लागू किया गया है।

पृष्ठभूमि

- अनुत्तीर्ण करने (detention) की प्रणाली के कारण, विशेष रूप से महंगी निजी शिक्षा का व्यय वहन करने में अक्षम आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के समूह में, पढ़ाई को बीच में छोड़ने वाले छात्रों की संख्या बढ़ गई थी।
- इस स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, अनुत्तीर्ण न करने की प्रणाली लायी गयी। इसका उद्देश्य बच्चों को अपनी गति से सीखने और विकास करने हेतु भय, चिंता और तनाव से मुक्त वातावरण प्रदान करना और साथ की साथ बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी करना था।
- कई सरकारी विद्यालय के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की राय थी कि बच्चों के बीच न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना एक चुनौती बन गया है।
- परंतु इस नीति के कारण छात्रों ने अध्ययन के प्रति लापरवाह अभिवृत्ति विकसित कर ली है और साथ ही माता-पिता भी कोई चिंता नहीं करते क्योंकि उनके बच्चों को किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं जा सकता है।
- शैक्षिक स्थिति की वार्षिक रिपोर्ट **(ASER)**-2014 में पाया गया है कि ग्रामीण भारत में कक्षा पांच का प्रत्येक दूसरा छात्र तीन स्तर नीचे की कक्षा की पाठ्यपुस्तक भी नहीं पढ़ पा रहा।

आगे की राह

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने अन्य कई वादे किए हैं जैसे अवसंरचना का उन्नयन करना, शिक्षण की गुणवत्ता का उन्नयन करना और सतत और व्यापक मूल्यांकन (CCE) के माध्यम से नियमित मूल्यांकन। इन सभी के लिए समन्वित रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है।
- विद्यालयों के दयनीय अधिगम परिणाम अनेक प्रकार के कारकों द्वारा जनित होते हैं। इन कारकों में अपर्याप्त छात्र-शिक्षक अनुपात एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण, निगरानी, अवसंरचना की उपलब्धता, विद्यालय और घर के वातारण इत्यादि में कमी सम्मिलित हैं।
- सरकार को अक्षरशः केवल अनुत्तीर्ण न करने की नीति ही लागू करने को तत्पर नहीं रहना चाहिए, अपितु उसके पहले RTE के तहत आने वाले अन्य मानकों का अनुपालन करना भी आवश्यक है।
- अन्य क्षेत्रों में क्रियाविधि में उचित सुधार किए बिना पुरानी उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण करने की प्रणाली को वापस लाना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के समतामूलक उद्देश्य को कमजोर करेगा।
- साथ ही, इस नीति को समझने हेतु सभी हितधारकों को पर्याप्त समय देते हुए, अनुत्तीर्ण न करने की नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए ताकि सभी हितधारक शून्य मूल्यांकन के रूप में इसकी व्याख्या करने के स्थान पर इसके निहितार्थ को समझ सकें।

8.6. अन्य मुद्दे

[Other Issues]

8.6.1. शिक्षा में असमानता

[Inequality in Education]

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) ने शिक्षा के क्षेत्र में असमानता पर 2014 में किए गए एक सर्वेक्षण पर हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की है।

VISION

सकल उपस्थिति अनुपात (NAR: Net Attendance Ratio): यह एक विशेष कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या का उस आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या से अनुपात है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- **अमीर/गरीब:** शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सबसे अमीर 20% लोगों के प्राथमिक विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए सकल उपस्थिति अनुपात 89% है।
- माध्यमिक शिक्षा में सकल उपस्थिति अनुपात तेजी से कम हो जाता है और उच्च माध्यमिक स्तर पर यह और भी बदतर हो जाता है।
- शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के निचले 20% वर्ग में से केवल 6% छात्र ही उच्च माध्यमिक शिक्षा से ज्यादा की शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन जनसंख्या के सबसे अमीर 20% वर्ग के युवाओं के लिए यही अनुपात 31% (पांच गुना अधिक) है।
- हालाँकि बुनियादी साक्षरता सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन जैसे-जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता है अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जाती है।
- अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए जरुरी उच्च शिक्षा के लिए अमीरों के बच्चों के पास बेहतर अवसर होते हैं, जबकि गरीब वर्ग के लोग अनौपचारिक क्षेत्र में ही रह जाते हैं।
- **लिंग**: अखिल भारतीय स्तर पर प्राथमिक स्तर पर लड़कियों और लड़कों के नामांकन में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन माध्यमिक स्तर पर कई राज्यों में सकल उपस्थिति अनुपात में व्यापक अंतर है।
- **जाति**: प्राथमिक स्तर पर ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन उच्च शिक्षा के स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के बीच व्यापक अंतर है।
- **धर्म**: पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अन्य धर्मों की तुलना में मुस्लिमों का नामांकन सभी स्तरों पर कम है।
- **शिक्षा की गुणवत्ता**: शहरी भारत में जनसंख्या के शीर्ष (सबसे अमीर) पांचवें हिस्से के लिए प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रति छात्र औसत खर्च आबादी के सबसे गरीब पांचवें हिस्से से आठ गुना अधिक है। शिक्षा के उच्च स्तर के लिए यह अंतर और भी ज्यादा है।
- **निजी ट्यूशन:** निजी ट्यूशन के मामले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अमीरों और गरीबों के प्रतिशत में ज्यादा अंतर नहीं है।
- इससे पता चलता है कि गरीब वर्ग के लोग भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन यह सरकारी स्कूल प्रणाली में उनके विश्वास की कमी को भी दर्शाता है।

8.6.2. शिक्षा का व्यवसायीकरण

(Commercialization of Education)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य को गैर-सहायता प्राप्त निजी शिक्षा संस्थान में प्रवेश को विनियमित करने और फीस निर्धारित करने का अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

- गैर-सहायता प्राप्त निजी पेशेवर संस्थानों को स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार निरपेक्ष नहीं है।
- प्रवेश और फीस को विनियमित करने की राज्य की शक्ति पर व्यापक जनहित के लिए एक युक्तियुक्त प्रतिबंध है।

VISION IAS

- कोर्ट ने कहा कि शिक्षा संस्थान कभी एक कारोबार (बिज़नेस) नहीं बन सकते।

याचिकाकर्ताओं के तर्क

- उनके पास अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत **"कोई भी पेशा अपनाने, या व्यवसाय, व्यापार या कारोबार"** करने का अधिकार है।
- अपने पहले के फैसलों में सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षण संस्थान के प्रशासन को संविधान के तहत एक 'व्यवसाय' के रूप में मान्यता दी थी।

फैसले के निहितार्थ

- राज्य की नियामक शक्तियां शिक्षा के व्यवसायीकरण और मुनाफाखोरी को रोकेंगी।
- यह विशेष रूप से गरीब वर्ग के छात्रों के बीच शिक्षा की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करेगा।

8.6.3. विद्यांजलि योजना

[Vidyanjali Scheme]

- हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विद्यांजलि योजना का शुभारंभ किया, जिसका लक्ष्य सरकारी विद्यालयों में स्वयंसेवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य निष्पादित कर शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना है।
- इस योजना के लिए उपयुक्त तथा इच्छुक स्वयंसेवी सरकार के पोर्टल www.mygov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- ये सरकारी स्कूलों में नियमित और व्यावसायिक रूप से योग्य शिक्षकों का स्थान नहीं लेंगे।
- इस योजना के स्वयंसेवियों का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास के साथ-साथ सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है।
- स्वयंसेवकों का उपयोग विद्यार्थियों में कौशल विकास जैसे-रचनात्मक लेखन, गायन, नृत्य, भाषण की कला आदि विधाओं के लिए किया जाएगा।
- अपने पहले चरण में यह परियोजना **21** राज्यों के **2200** विद्यालयों में क्रियान्वित की जाएगी। इसके बाद इसे धीरे-धीरे सभी सरकारी विद्यालयों में लागू किया जाएगा।

योग्यता और चयन

- इस योजना के लिए किसी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं है।
- विदेशी नागरिक भी अपने **'OCI'** कार्ड के माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत आने वाले आवेदनों की समीक्षा के कार्य की जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारी (Block Development Officer) को दी गई है।

विद्यांजली योजना का महत्व

- यह योजना ऐसे क्षेत्रों के विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व के विकास में सहायता करेगी जहाँ शिक्षा की व्यापक रूप से पहुँच नहीं है।
- इस योजना से जुड़ने वाले स्वयंसेवी सही मायनों में उत्साही व जुझारू साबित होंगे, क्योंकि इस योजना में उन्हें कोई भी मौद्रिक मानदेय नहीं दिया जाएगा।

©Vision IAS
VISION IAS

9. विविध मुद्दे

(Miscellaneous Issues)

9.1. सरोगेसी

[Surrogacy]

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सरोगेसी (नियमन) विधेयक, 2016 के पुरस्थापन को अनुमोदित किया गया है। यह विधेयक वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग करता है और केवल वंध्य युगलों को सरोगेट-माँ का उपयोग कर सन्तान उत्पन्न करने की अनुमति देता है।
- सरोगेट-माताओं के शोषण, सरोगेसी से पैदा हुए बच्चों के परित्याग एवं मानव भ्रूण और युग्मक आयात करने वाले बिचौलियों के अवैध धंधे से संबंधित घटनाओं में तीव्र वृद्धि हुई है।

समाविष्ट मुद्दे

- **स्वास्थ्य, धन एवं प्रसवोपरांत देखभाल के संदर्भ में सरोगेट माताओं का शोषण** – गर्भावस्था के दौरान जटिलताओं और बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल की अनुपलब्धता के कारण सरोगेट-माताओं की मृत्यु की घटनाएँ हुई हैं।
- **अनुचित अनुबंध** – सरोगेट-माताएँ, जो प्राय: निर्धन होती हैं एवं सरोगेसी के इच्छुक माता-पिता के बीच अनुबंधों को कभी-कभी इस प्रकार संरचित किया जाता है कि इसमें चिकित्सा, धन और मनोवैज्ञानिक जोखिम संबंधी सभी दायित्व पहले पक्ष के हो जाते हैं और दूसरे पक्ष को इससे छुटकारा मिल जाता है।
- **सरोगेसी का व्यवसायीकरण** - भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के एक अध्ययन के अनुसार भारत के सरोगेट मातृत्व उद्योग का आकार 2.3 बिलियन प्रतिवर्ष था।
- **सरोगेट बच्चों का परित्याग - अक्षमताओं** के साथ पैदा हुए बच्चों या **अनियोजित जुड़वां बच्चे** पैदा होने के मामलों में इच्छुक माता-पिता द्वारा बच्चों का परित्याग किए जाने के मामले सामने आए हैं।
- कुछ देशों में वाणिज्यिक सरोगेसी को मान्यता प्राप्त नहीं है और इस कारण सरोगेट बच्चे का मामला कानूनी विवादों में उलझ जाता है, परिणामस्वरूप सरोगेट बच्चे को किसी प्रकार की नागरिकता/विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

देश और स्थिति

आस्ट्रेलिया: केवल निकट संबंधियों एवं मित्रों द्वारा परोपकारी सरोगेसी को मान्यता देता है।

चीन: किसी भी प्रकार की सरोगेसी प्रतिबंधित है

यूनाइटेड किंगडम: केवल रक्त संबंधियों से परोपकारी सरोगेसी को मान्यता प्रदान करता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका मिश्रित: कुछ राज्य वाणिज्यिक सरोगेसी को मान्यता प्रदान करते हैं तथा अन्य राज्य किसी भी प्रकार की किसी सरोगेसी को मान्यता प्रदान नहीं करते।

- **न्यायपालिका के दृष्टिकोण/चिंताएँ -**

✓ **सर्वोच्च न्यायालय** के दृष्टिकोण में वाणिज्यिक सरोगेसी को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके द्वारा एक विदेशी नागरिक को वाणिज्यिक सरोगेसी के लिए दोषी ठहराया गया है। (नवम्बर 2015)।

VISION IAS

- ✓ **बम्बई उच्च न्यायालय ने** सरोगेसी का उपयोग कर माँ बनने वाली मध्य रेलवे (CR) की **एक कर्मचारी को तीन महीने का मातृत्व अवकाश** देने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने निर्णय दिया है कि बच्चे को 'गोद लेने हेतु अवकाश तथा नियमों' के अंतर्गत कोई माँ उसी प्रकार मातृत्व अवकाश के लाभों को प्राप्त करने की हकदार है जैसे कि कोई अन्य कामकाजी महिला।
- **नैतिक चिंताएं/दृष्टिकोण –**
- ✓ कुछ व्यक्ति अपनी सेवाओं को क्रय करने वाली महिला को ***बांझपन के "अभिशाप" से मुक्त कराना अपना नैतिक कर्तव्य*** मानते हैं।
- ✓ जबकि अन्य लोग यह मानते हैं कि सरोगेट व्यवस्थाएँ ***जनन का अवैयक्तिकरण* कर देती हैं और *आनुवंशिक, गर्भावस्था संबंधी और सामाजिक पितृत्व का भेद उत्पन्न करती हैं।***
- ✓ ***बच्चे पैदा करने के प्रयोजन में परिवर्तन*** अर्थात बच्चे पैदा करने हेतु गर्भधारण अपने लिए नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए किया जाता है।

प्रस्तावित विधेयक के प्रावधान

- अकेले रहने वाले पुरुष और स्त्रियां, विषमलैंगिक युगल जिन्होंने विवाह न करने का विकल्प चुना है, समलैंगिक युगल, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, एकल माता-पिता आदि सेरोगेसी के माध्यम से संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। अनिवासी भारतीयों या OCI कार्ड धारणकर्ताओं को **संतानोत्पत्ति के लिए भारत में सरोगेट माँ का सहारा लेने की अनुमति नहीं होगी।**
- कानूनी रूप से विवाहित भारतीय युगल केवल **कानूनी विवाह के पांच वर्ष बाद** सरोगेट संतान उत्पन्न कर सकते हैं जिसके लिए बांझपन के प्रमाण के रूप में चिकित्सा प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी (युगल की आयु: महिलाओं के लिए 23-50 वर्ष और पुरुषों के लिए 26-55 वर्ष)। साथ ही, वे "परोपकारी सरोगेसी(altruistic surrogacy)" हेतु प्रयास कर सकते हैं, किन्तु केवल "निकट संबंधियों" से ही।
- यह विधेयक **सरोगेट मां का विवाहित होना** एवं बच्चा चाहने वाले युगल की निकट संबंधी होना अनिवार्य करता है। यह भी अनिवार्य है कि दूसरे युगल के लिए संतान उत्पन्न करने से पहले वह एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे चुकी हो।
- एक महिला केवल एक सरोगेट बच्चे को जन्म दे सकती है।
- कानून का उल्लंघन करने पर 10 साल की जेल या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
- कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए **स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड** गठित किया जाएगा।
- सरोगेट माँ एवं सरोगेसी से उत्पन्न हुए बच्चों के अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा।

<u>सरोगेसी पर 228वें विधि आयोग की रिपोर्ट</u>

- इसने **वाणिज्यिक सरोगेसी के विरुद्ध** अनुशंसाएँ की हैं।
- दाता और साथ ही साथ सरोगेट माँ के ***<u>निजता के अधिकारों</u>*** को संरक्षित किया जाना चाहिए।
- ***लिंग-चयनात्मक सरोगेसी को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।***
- ***गर्भपात के मामलों को केवल गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 द्वारा नियंत्रित*** किया जाना चाहिए।
- <u>इच्छुक माता-पिता में से किसी एक को दाता भी होना चाहिए</u>, क्योंकि बच्चे के साथ प्रेम और स्नेह का बंधन मुख्य रूप से जैविक संबंध से उत्पन्न होता है।
- विधि द्वारा सरोगेट बच्चे को उसके गर्भ का आरम्भ करवाने वाले माता-पिता अथवा माता/पिता के वैध बच्चे के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। इसके लिए गोद लेने या अभिभावक घोषित किए जाने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

VISIONIAS

लाभ

- यह महिलाओं अर्थात विशेष रूप अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए इस व्यवसाय में आने के लिए विवश हुई गरीब महिलाओं के शोषण को रोकता है।
- यह आर्थिक लाभों के लिए बार बार सरोगेट गर्भधारण किए जाने की स्थितियों से महिलाओं को बचाता है।
- अधिकतर प्रसव सीजेरियन सेक्शन द्वारा होते हैं इसलिए सरोगेट बच्चे को जन्म देना किसी भी माँ के स्वास्थ्य और यहाँ तक कि जीवन के लिए भी जोखिम उत्पन्न करता है।
- अधिकतर सरोगेट माँताएँ निर्धन और अशिक्षित महिलाएँ होती हैं जिन्हें अपने संविदात्मक अधिकारों की पूर्ण जानकारी नहीं होती।

हानि

- वाणिज्यिक सरोगेसी पर पूर्ण प्रतिबंध इस उद्योग को भूमिगत कर देगा और सरोगेट माताओं को जोखिम के प्रति और भी अधिक सुभेद्य कर देगा।
- प्रस्तावित सरोगेसी विधेयक शीत संरक्षित भ्रूणों (frozen embryos) के भविष्य के विषय में मौन है।
- यह आधुनिक सामाजिक वास्तविकता को संबोधित नहीं करता जहाँ समलैंगिक या लिव-इन युगल सरोगेसी के माध्यम से जैविक संतान उत्पन्न करने के इच्छुक हो सकते हैं।
- यह सरोगेसी के व्यवसाय में संलग्न निर्धन महिलाओं की आजीविका के मामलों को ध्यान में नहीं रखता।
- परिवारों में पुत्र-वधुओं के साथ जोर-ज़बरदस्ती किए जाने की संभावना हो सकती है।

आगे की राह

सरोगेसी एक आवश्यकता (वंध्य युगलों के लिए) है और साथ ही अनेक (निर्धन महिलाओं) के लिए आय का स्रोत बन गयी है। इसलिए इस पर सम्पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाने से पूर्व इस मुद्दे को अधिक समानुभूतिपूर्ण तरीकों एवं साधनों द्वारा सुलझाया जाना चाहिए तथा साथ ही सरोगेसी के व्यावसायीकरण को समाप्त करने के लिए सख्त नियमों का निर्माण किया जाना चाहिए।

9.2. पंजाब में ड्रग की समस्या

[Punjab's Drug Problem]

सुर्ख़ियों में क्यों?

पंजाब प्रदेश में ड्रग की लत एक गंभीर समस्या बन चुका है।

पंजाब में

- एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक 10 व्यक्तियों में से 4 किसी न किसी प्रकार के नशे के आदी हैं। इसमें आधी संख्या युवा किसानों की है।
- नशा करने वालों में से लगभग 15 प्रतिशत लोग अफीम (जो स्थानीय बोली में भुक्की के नाम से जानी जाती है) तथा 20% प्रतिशत लोग फार्मेसी कंपनियों में बनने वाले सिंथेटिक ड्रग के आदी हैं।
- पंजाब ओपिओइड डिपेंडेंसी सर्वे के अनुसार पंजाब में 2,30,000 लोग नशे का सेवन करते हैं। पंजाब में प्रति एक लाख जनसंख्या पर 836 लोग नशे का सेवन करते हैं।
- 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी नशे के व्यापार में लिप्त पाए जाते हैं। यहां पर नशीले पदार्थ आसानी से और खुलेआम उपलब्ध हो जाते हैं।

कारण

- पंजाब में बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं की लत के लिए कई कारण हैं: बढ़ते कृषि संकट के साथ संलग्न बढ़ती बेरोजगारी तथा वैकल्पिक रोजगार की कमी, बहुसंख्य युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन का कारण बन रही है।
- उत्तेजक व मादक दवाइयां बिना किसी चिकित्सीय परामर्श के खुलेआम धड़ल्ले से बिक रही हैं।
- पंजाब में अधिक मदिरापान तथा पार्टी के चलन के कारण युवा नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। इसके अलावा जमींदार लोग मजदूरों से ज्यादा काम लेने के लालच में अपने मजदूरों को नशा देकर इस समस्या को और बढ़ावा दे रहे हैं।

VISION IAS

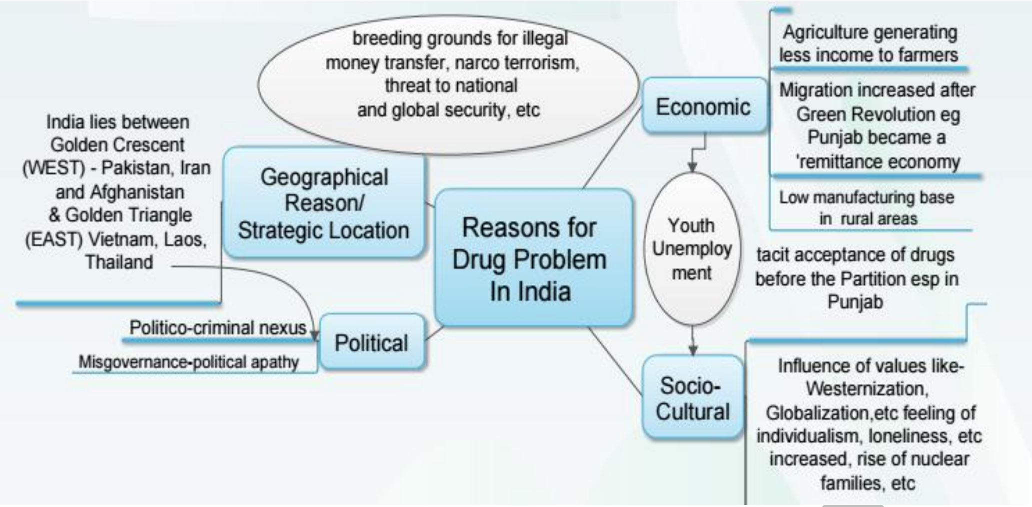

- सीमा पार से ड्रग्स की नियमित आपूर्ति दूसरा कारण है। हेरोइन की तस्करी अफगानिस्तान से होती है तथा पंजाब ड्रग्स के लिए पार गमन मार्ग का हिस्सा है।
- राजनीतिक तथा प्रशासनिक विफलता भी इसके प्रसार में मददगार हुई है। कुछ मामलों में स्थानीय प्रशासन के तार ड्रग माफियाओं से जुड़े हुए होने के भी साक्ष्य मिले हैं।

आगे की राह

- सरकार को समग्र मांग में कमी, नुकसान में कमी और आपूर्ति में कमी के एकीकृत दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले द्वितीयक नुकसान जैसे एड्स, हेपेटाईटिस B आदि को कम करने के लिए मणिपुर एवं कुछ अन्य देशों में स्वच्छ सुइयों एवं स्वच्छता उपकरणों का प्रयोग लाभप्रद सिद्ध हुआ है।
- पूरे राज्य में सस्ते व प्रभावी पुर्नवास केंद्र खोले जाने चाहिए।
- नशे के अत्याधिक प्रभावी समूहों जैसे- सेक्स वर्कर, ड्राइवरों, तथा फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तथा इसी के साथ आर्थिक विकास और बेरोजगारी की स्थिति का निवारण किया जाना चाहिए।
- ड्रग उत्पादक संघ, गिरोहों और विक्रेताओं के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनानी चाहिए।
- अफीम की खेती नियमों के हिसाब से होनी चाहिए तथा नशीली फार्मा ड्रग्स, अफीम की अवैध खेती पर रोक और छिद्रयुक्त सीमाओं को बंद किया जाना चाहिए।

9.3. भारत में शादियों का बदलता स्वरुप

[Changing Dynamics In Marriage In India]

सुर्ख़ियों में क्यों?

- जनगणना के आंकड़ों से विवाह सम्बन्धी दो विरोधाभासी वास्तविकताओं का पता चलता है। भारत में जहाँ एक तरफ शादी की औसत उम्र बढ़ रही है वहीं दूसरी ओर बाल विवाह में भी वृद्धि हो रही है।
- हाल ही में सरकार द्वारा जारी किए गए नये जनगणना संबंधी आंकड़ों से पता चलता है कि सभी लोगों और लैंगिक श्रेणियों में शादी के समय की औसत उम्र में वृद्धि हुई है।
- रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जारी किए गये आंकड़ों से पता चलता है कि पुरुषों की औसत उम्र 2001 के 22.6 वर्ष से बढ़कर 2011 की जनगणना के अनुसार 23.5 वर्ष हो गयी है। ये संख्या महिलाओं के लिए संबंधित वर्षों में मात्र क्रमशः 18.2 वर्ष और 19.2 वर्ष है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, देश में हो रहे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों की वजह से यह प्रवृत्ति जारी रहेगी।

विवाह-उम्र में तीव्र वृद्धि के कारण

- देश में कार्य की प्रकृति का तेजी से गतिकीय एवं प्रवासनीय होना।

VISION IAS

- ✓ इस प्रवासी आबादी की अलग प्राथमिकताएं हैं जिसका शादी करने की उम्र पर भी प्रभाव पड़ रहा है।
- ✓ हालांकि प्रवास केवल इस प्रवृत्ति का एक हिस्सा है क्योंकि शादी के समय आयु में वृद्धि सीमांत श्रमिकों और गैर-श्रमिकों के बीच भी देखी गयी है।
- ✓ सीमांत श्रमिकों में यह औसत आयु पुरुषों के लिए 21.8 वर्ष से बढ़कर 22.5 वर्ष और महिलाओं के लिए 17.6 वर्ष से बढकर 18.7 वर्ष हो गयी है।
- ✓ गैर श्रमिकों के लिए, शादी के समय की उम्र पुरुषों के लिए 22.8 वर्ष से बढ़कर 23.5 वर्ष और महिलाओं की उम्र 18.5 वर्ष से बढ़कर 19.4 वर्ष हो गयी है।
- बदलाव के अन्य कारण स्कूल में नामांकन का उच्च स्तर हो सकता है। सभी जातियों में हर जगह स्कूल में नामांकन लगभग 90 प्रतिशत है।

9.4. सामाजिक बहिष्कार का प्रतिषेध

[Prohibition of Social Boycott]

समाचार में क्यों?

- हाल ही में, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने जाति, पंथ, समुदाय और परम्पराओं के नाम पर सामाजिक बहिष्कार से निपटने के लिए एक विधान (सामाजिक बहिष्कार निषेध अधिनियम, 2015) का अनुमोदन किया।
- महाराष्ट्र, जाति पंचायतों द्वारा व्यक्तियों या परिवारों के सामाजिक बहिष्कार के विरुद्ध कानून अधिनियमित करने वाला देश में **पहला राज्य** होगा।

कारण

- महाराष्ट्र राज्य के गांवों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें शक्तिशाली समुदायिक पंचायतों द्वारा अपनी जाति से बाहर विवाह करने पर लोगों को सामाज से बाहर (सामाजिक बहिष्कार) कर दिया जाता गया।
- सामाजिक बहिष्कार ग्रामीण एवं शहरी समुदाय में पदानुक्रमों और सत्ता संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला अस्त्र है।
- ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें ग्रामीण समुदायों ने महिलाओं के जींस पहनने पर प्रतिबंध लगाते हुए ड्रेस कोड लागू कर दिए या लोगों को उपासना स्थलों पर जाने से प्रतिबंधित कर दिया।

महत्व

- कठोर कानून निर्मित करने हेतु की गयी यह पहल राज्य के कई भागों में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर करने की दिशा में दीर्घावधिक योगदान करेगी।
- इसका लक्ष्य सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देने वाले जाति और समुदाय आधारित पंचायतों जैसी न्यायिक व्यवस्था से परे निकायों पर कड़ी कार्रवाई करना है जिससे यह यह संदेश दिया जा सके कि लोकतंत्र का अर्थ बहुलतावाद या बहुमतवाद नहीं है।
- यह न केवल सामाजिक बहिष्कार आरोपित करने या किसी भी रूप में प्रवर्तित करने वाली किसी पंचायत या व्यक्ति को गैर-कानूनी घोषित करने का प्रयास करता है बल्कि इस प्रकार के सामाजिक बहिष्कार से पीड़ित लोगों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर, राहत देने के उपाय करने के प्रयास भी करता है।
- यह जिला प्रशासन के लिए पंचायतों और ऐसे अन्य निकायों द्वारा सामाजिक बहिष्कार की घोषणा करने से रोकने का दायित्व भी निर्धारित करता है। जिला प्रशासन को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहयोग करने के लिए यह "सामाजिक बहिष्कार निषेध अधिकारी" के पद का सृजन करता है।

VISION IAS

- यह विधान प्रणाली के मूल्यों को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ताकि जाति/समुदाय की बाधाएँ मानवीय गरिमा को क्षति न पहुंचा सकें।

9.5. नस्लीय असहिष्णुता

[Racial Intolerance]

सुर्ख़ियों में क्यों?

- पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से अफ्रीकी एवं पूर्वोत्तर भारत के लोगों के विरुद्ध नस्लीय हिंसा की कई घटनाएँ हुई हैं।
- उदाहरण के लिए बेंगलुरु में उत्तेजित भीड़ द्वारा तंजानिया की लड़की एवं उसके मित्रों पर किया गया हमला। दिल्ली में सड़क पर हुई लड़ाई में कांगो के छात्र की हत्या, पिछले वर्ष अरुणाचल प्रदेश के एक छात्र निडो तानिया की मृत्यु इत्यादि।
- भारत में रहने वाले अफ्रीकियों पर अलग-अलग हमलों की बाढ़ सी आ गयी है जिसमें एक घटना में कांगो के युवा की मृत्यु हो गयी। इस घटना ने अफ्रीकी देशों और भारत के बीच संबंधों में बहुत कड़वाहट भर दी है।
- हमलों के बाद भारत में अफ्रीकी देशों के मिशनों के प्रमुखों ने कहा कि वे 'अफ्रीका दिवस' समारोहों का बहिष्कार करेंगे।

Previous incidents

September 12, 2015: Congolese national beaten and tied to a pole for allegedly playing music loudly in his car at Kammanahalli.

August 29, 2015: African attacked by a group after he allegedly questioned a shopkeeper for not selling cigarettes to non-locals.

March 9,2015: 8 Africans attacked at Kothanur in separate instances. Police claimed 'road rage' triggered the attacks.

September 21, 2014: Ivory Coast national assaulted by at Ambedkar Colony.

July 9, 2013: Chad national,an IT professional and a church pastor, assaulted by 10 persons at Hennur.

May 2011: African complains that he was not allowed to enter a lounge bar.

नस्लीय असहिष्णुता से जुड़े मुद्दे

- वर्ष 2014 में हमलों और धमकियों की घटनाओं के बाद शहर से पूर्वोत्तर के लोगों का भारी संख्या में पलायन हुआ था। इस प्रकार यह भारत द्वारा पूर्वोत्तर के लोगों को करीब लाने के प्रयासों को प्रभावित कर सकता है।
- नस्लीय हमले व्यवसाय और शिक्षा गंतव्य के रूप में भारत की छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यह बंगलोर में पनप रहे शिक्षा और एवं सूचना प्रौद्योगिकी व्यापार को क्षति पहुँचाएगा।
- हाल की घटनाओं के कारण अफ्रीका के साथ भारत के संबंध नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। अफ्रीकी देशों के कई प्रतिनिधियों द्वारा हाल ही में 'अफ्रीका दिवस' समारोह का बहिष्कार किया जाना इसका एक उदाहरण था।
- यह भारतीय समाज में भारत की विभिन्न नस्लों के लोगों के बीच विद्यमान आंतरिक सद्भाव को प्रभावित करता है।

अफ्रीकी छात्रों की विशेष चिंताएँ

- भारतीय समाज रंगभेद प्रदर्शित करता है एवं अफ्रीकियों को कानून का उल्लंघन करने वाले एवं अनैतिक व्यक्ति मानने की धारणा, समस्या को और भी अधिक बढ़ा देती है।
- अफ्रीकी बंद समुदायों में रहते हैं एवं स्वयं को समाज में यथासंभव अदर्शनीय रखकर जीवन-यापन करने की रणनीति का उपयोग करते हैं।
- वे अपने घरों में ही सामाजिक संबंधों का निर्वाह कर भारतीयों के साथ मिलने-जुलने के अवसर न्यूनतम करने का प्रयास करते हैं।
- लंबे समयान्तरानल में उन पर हुए कई हमलों ने उनके बीच भय की स्थिति पैदा कर दी है।

आगे की राह

- गोरी चमड़ी एवं विशिष्ट नस्ल के संबंध में भारतीयों की सनक की ओर ध्यान खींचने वाले जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
- **बेजबरूआ समिति** की अनुशंसाओं को अनिवार्य रुप से लागू किया जाना चाहिए।

- कमजोर एवं असंवेदनशील राजनीतिक अनुक्रिया एवं पुलिस कार्रवाई ने इस प्रकार की घटनाओं की वृद्धि में योगदान किया है। इसलिए पुलिस को जागरुक एवं तैयार किया जाना चाहिए एवं आगे इस प्रकार के हमलों की घटनाओं को रोकने के लिए उचित दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए।
- भारत द्वारा अफ्रीकी प्रवासियों को शिकायत दर्ज कराने के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाने चाहिए। साथ ही, औपचारिक चैनलों तक पहुंचने में अक्षम बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों के जीवन को सुरक्षित करने की रणनीतियां बनाई जानीं चाहिए।
- ऐसे चैनलों का निर्माण किया जाना चाहिए जो बंधुत्व एवं बेहतर अंतर-सांस्कृतिक मेलजोल को बढ़ावा दें। अफ्रीकी छात्रों को भारत में अपनी सुरक्षा एवं कल्याण के विषय में आश्वस्त करने के लिए विश्वास निर्माण के उपाय किए जाने चाहिए।
- गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से दूतावासों द्वारा पारस्परिक चर्चा एवं दर्शनीयता (विज़िबिलिटी) बढ़ाने वाले स्थानीय हस्तक्षेप को बढ़ावा दे कर समर्थन के अन्य अनौपचारिक चैनल भी प्रदान किए जा सकते हैं।
- शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अफ्रीकी छात्रों का परिसर में समावेशन सुनिश्चित करने के माध्यमों पर बहस करने की आवश्यकता है जिससे उनके लिए परिसर के अंतर्गत या निकट ही सुरक्षित और सस्ते निवास की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

9.6. राष्ट्र और राष्ट्रवाद

[Nation and Nationalism]

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में हुए जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय विवाद ने राष्ट्रवाद पर बहस को फिर से हवा दी है।
- यह बहस अफजल गुरु (एक आतंकवादी) की फांसी की बरसी मनाने के लिए जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय परिसर के भीतर आयोजित एक कार्यक्रम में कुछ छात्रों द्वारा "भारत-विरोधी" नारेबाजी से शुरू हुई।

राष्ट्र और राष्ट्रवाद क्या है?

- "राष्ट्र-राज्य" और "राष्ट्रवाद" की अवधारणा अपेक्षाकृत आधुनिक घटना है जो कि 17वीं सदी यूरोप के वेस्टफेलिया की संधि से शुरू हुई।
- इतिहास बताता है कि "राष्ट्र-राज्य" एक प्राकृतिक इकाई नहीं, बल्कि एक कृत्रिम अवधारणा है जिसे राष्ट्र-राज्यों की संप्रभुता की पहचान करने के लिए बनाया गया है।
- राष्ट्र एक मानसिक रचना है जो अपनेपन की भावना में परिलक्षित होती है। राज्य एक राजनीतिक रचना है, राज्य के चार तत्व होते हैं क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता।
- इस प्रकार एक राष्ट्र और दो राज्य हो सकते हैं जैसे- कोरिया, या एक राज्य और दो राष्ट्र हो सकते है जैसे- श्रीलंका, या एक राज्य और एक राष्ट्र जैसे – जापान, या एक राज्य और कई राष्ट्र जैसे- भारत।

राष्ट्रवाद का महत्व:

- राष्ट्रवाद दुनिया भर में उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष का प्रेरक कारक रहा है, जैसे भारत।
- यह विविध संस्कृतियों और समूहों को जोड़कर राष्ट्र को मजबूत बनाने का कार्य करता है।

राष्ट्रवाद की चुनौतियां:

- राष्ट्रवाद ने जब चरम रूप धारण किया तो विश्व में सबसे विनाशकारी युद्धों का कारण बना। उग्र राष्ट्रवाद ने यहूदी, चेचन्या या रवांडा में नरसंहार जैसी त्रासदियों को जन्म दिया है।
- यह मानव जाति के बीच मतभेद की कृत्रिम सीमा बनाता है क्योंकि इसमें स्वयं तथा दूसरों को अलग-अलग देखने की भावना अंतर्निहित है।

आगे की राह:

- राष्ट्रवाद की भावना एक स्वस्थ दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए जिसका अंतिम लक्ष्य मानवतावाद हो।
- अलगाववादी मांगों का समाधान मूलभूत समस्या को समझने का प्रयास करते हुए मानवोचित ढंग से किया जाना चाहिए।

VISION IAS

9.7. मुसीबत में मदद करने वालों की सुरक्षा

[Protecting Good Samaritans]

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इन्हें अनिवार्य बना दिया है।

यह क्या है?

- यह कदम 2012 में सेवलाइफ (SaveLIFE) नामक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर जनहित याचिका पर उठाया गया है।
- केंद्र ने मुसीबत में मदद करने वालों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। ये वे लोग होते हैं जो सड़क पर किसी दुर्घटना के शिकार या संकटग्रस्त व्यक्ति की मदद के लिए आगे आते हैं।
- जब तक सरकार इस मुद्दे पर कोई कानून नहीं बनती, सर्वोच्च न्यायालय ने इन दिशा-निर्देशों को बाध्यकारी बना दिया है।
- सरकार ने भी पुलिस द्वारा या अदालत में प्रत्यक्षदर्शियों के परीक्षण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है।
- दिशा-निर्देशों के अनुसार दुर्घटना के शिकार लोगों की मदद करने वालों के खिलाफ कोई आपराधिक या सिविल मुक़दमा नहीं किया जायेगा।
- उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जायेगा और लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता, जाति या किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।
- उन पर स्वयं की पहचान बताने की कोई अनिवार्यता नहीं होगी और पुलिस द्वारा या अदालत में उनको परेशान नहीं किया जायेगा।
- उनके बयान उनकी खुद की सुविधा वाली जगह पर लिए जाने की अनुमति होगी।
- इस पहल का महत्व इस तथ्य में है कि अगर बचाने वाले लोगों को मामले में आवश्यक रूप से फँसने का डर न हो तो दुर्घटना के शिकार अधिक लोगों का जीवन बचाया जा सकता है।

9.8. सामाजिक नवोन्मेष

[Social Innovation]

इसका संदर्भ **"सामाजिक परिवर्तनों हेतु नए समाधानों से हैं जिनमें समता, न्याय और सशक्तिकरण का आशय और प्रभाव निहित हों"।**

भारत में सामाजिक नवोन्मेष के उदाहरण: स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियाँ, सूक्ष्म वित्त समुदाय, दूरस्थ शिक्षा, समुदाय न्यायालय – नए विचार जो निरंतर अत्यावश्यक मांगों को पूरा करने एवं लोगों के जीवन में सुधार करने के लिए कार्य करते हैं।

उपराष्ट्रपति ने पुणे में नवोन्मेष पर तीसरे राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किया।

महत्व

- यह सामाजिक उद्यमों, व्यापार प्रयासों एवं परोपकार के संबंध में संकीर्ण दृष्टिकोण से विचार करने के स्थान पर विभिन्न कारकों एवं हितधारकों के आंतरिक रूप से परस्पर संबंधित होने की महत्ता को पहचानने का विशिष्ट अवसर प्रदान करता है।
- सामाजिक शक्ति संरचना को बदलने में सहायता करता है।
- यह मानवीय संबंधों एवं कल्याणको क्षति पहुंचाने के स्थान पर उसकी उन्नित करने वाले आर्थिक वृद्धि के वैकल्पिक मॉडलों का विकास करने में सहयोग करता है और इस प्रकार संधारणीय आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
- यह ऐसे बाजारों का विकास करता है जिनके लिए सामाजिक समाधान वांछित हैं।
- सीमांत जनसंख्या को औपचारिक अर्थव्यवस्था में समेकित करता है एवं सार्वजनिक निर्णय निर्धारण में नागरिकों को भी सम्मिलित करता है।
- अंततः यह कहा जा सकता है कि यह न केवल लोगों को नवोन्मेष प्रक्रिया में संलग्न करने में योगदान करता है अपितु आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान करता है।

VISION IAS

आगे की राह

- राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक योजना निर्माण में इन गतिविधियों के उचित समन्वयन एवं एकीकरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष के क्षेत्र में शिक्षा एवं शोध को, अभिजात्य विज्ञान (elite science) पर केंद्रित रहने के बजाय उसे विभिन्न प्रकार की **सामाजिक आवश्यकताओं** को पूरा करने पर केंद्रित विज्ञान का समर्थन करना चाहिए।
- क्षमता निर्माण में भारी निवेश द्वारा सामाजिक आधार का कायाकल्प करना एवं मेलजोल व सहयोग हेतु अनुकूल प्लेटफार्म निर्मित करना, सामाजिक नवोन्मेषकों के विकास हेतु पूर्व आवश्यकताएँ हैं।
- सार्वजनिक निजी भागीदारियों को मजबूत करने की आवश्यकता है क्योंकि वे सामाजिक नवोन्मेषों को सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

9.9. व्यक्तियों की तस्करी (निवारण, संरक्षण एवं पुनर्वास) विधेयक का मसौदा

[Draft Trafficking of Persons Bill]

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने व्यक्तियों की तस्करी (निवारण, संरक्षण एवं पुनर्वास) विधेयक, 2016" के मसौदे को हितधारकों के परामर्श और उनकी टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए जारी किया है।

प्रसंग

- संयुक्त राष्ट्र के मादक द्रव्य एवं अपराध कार्यालय के अनुसार, पूर्वी एशिया के बाद दक्षिण एशिया विश्व में मानव तस्करी का सर्वाधिक तेजी से उभरता दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है और भारत इसका केन्द्र है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2014 में मानव तस्करी के 5,466 मामले दर्ज किए गए थे। इसमें पिछले पांच वर्षों में 90% बढ़ोतरी हुई थी, हालांकि कार्यकर्ताओं का कहना है कि सकल रूप से यह आंकलन वास्तविक स्थिति की तुलना में कम है।

महत्वपूर्ण प्रावधान

इसका मुख्य प्रयोजन वर्तमान तस्करी विरोधी कानूनों का समेकन करना और न केवल सेक्स के अवैध व्यापार बल्कि मजदूरों की तस्करी को समाहित करने हेतु परिभाषा का विस्तार करना है, जैसे कि अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956 जैसे पहले बनाए गए विधानों ने किया था।

- इस विधेयक का लक्ष्य व्यक्तियों की तस्करी एवं संबंधित मामलों के विरुद्ध मजबूत कानूनी, आर्थिक और सामाजिक वातावरण निर्मित करना है।
- यह विधेयक **पीड़ित उन्मुख है एवं "मानव तस्कर" एवं "मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्ति" के बीच स्पष्ट भेद** करता है।
- यह मसौदा विधेयक ऐसे अन्य अपराधों/ प्रावधानों को सम्मिलित करने का प्रयोजन भी रखता है जिनसे मानव तस्करी के प्रयोजन से किसी अन्य कानून में शामिल नहीं किया गया है, जैसे कि:

✓ मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्ति एवं साक्षी की पहचान को सार्वजनिक करने के लिए दण्ड प्रावधान।

✓ मानव तस्करी के लिए मादक द्रव्य या नशीली दवा या शराब का प्रयोग।

✓ शोषण करने के प्रयोजन से रासायनिक पदार्थ या हार्मोन का प्रयोग।

✓ मसौदा विधेयक ने 'प्लेसमेंट एजेंसियों' को भी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए स्वयं को दर्ज करना अनिवार्य निर्धारित कर उन्हें भी अपनी परिधि में सम्मिलित किया है।

- प्रस्तावित प्रारूप विधेयक का लक्ष्य **जिला, राज्य और केन्द्र स्तर पर समर्पित संस्थागत तंत्र स्थापित** करना है।
- यह अपराधों की जांच के लिए निर्दिष्ट एजेंसी की परिकल्पना भी करता है।
- यह लघु-अवधि एवं दीर्घ-अवधि पुनर्वास समर्थन के लिए संरक्षण गृहों एवं विशेष गृहों का प्रावधान करता है।

VISION IAS

- यह विधेयक प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालयों एवं अनुभवी विशेष अभियोजकों को स्थापित करने का प्रावधान करता है।
- मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्ति की पिछली मजदूरियों एवं अन्य मौद्रिक हानियों को पुन: प्राप्त करना भी प्रस्तावित किया गया है।
- प्रस्तावित अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और पीड़ितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए एक **तस्करी विरोधी कोष** का निर्माण किया जाएगा।

व्यक्त की गयी चिंताएँ

- यह मसौदा विधेयक पुनर्वास की प्रणालियों एवं उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की बात नहीं करता है।
- इस मसौदा विधेयक का संदर्भ बांग्लादेश, नेपाल और अन्य देशों से पीड़ितों के स्वदेश वापसी के लिए उल्लेख नहीं करता है।
- यह स्पष्ट नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानव तस्करी की जांच हेतु दिए गए आदेश के अनुसार, सरकार संगठित अपराध जांच एजेंसी की स्थापना किस प्रकार करना चाहती है।
- मसौदा विधेयक विशेष जांच एजेंसी की बात करता है किंतु उसकी संरचना, गठन, शक्तियाँ एवं कार्य अस्पष्ट हैं।

9.10. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो आंकड़े, 2015

[National Crime Records Bureau Data, 2015]

9.10.1. महिलाओं के विरुद्ध अपराध

[Crime against women]

2014 की तुलना में वर्ष 2015 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में कमी देखी गई।

- बलात्कार के मामलों में 5.7% कमी हुई है। **95% मामलों में अपराधी पीड़िता का जानकार था।**
- हालांकि महिलाओं के विरुद्ध अन्य यौन अपराधों में **2.5% की अत्यल्प वृद्धि** हुई है। इस वर्ग में यौन उत्पीड़न, आक्रमण या निर्वस्त्र करने की इच्छा से महिलाओं पर आपराधिक बल का प्रयोग करना, छिप-छिप कर देखने या पीछा करने आदि सम्मिलित हैं।
- वर्ष 2015 में महिलाओं के **अपहरण और भगा ले जाने के मामले** भी बढ़े हैं। महिलाओं को विवाह करने के लिए विवश करना अपहरण का प्रमुख कारण बना हुआ है।
- दिल्ली में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की दर सबसे अधिक है।

9.10.2. मानव तस्करी के पीड़ित

[Human trafficking victims]

- वर्ष 2015 में **मानव तस्करी के 50% से अधिक मामले छोटे बच्चों** से संबंधित थे और **उनमें लगभग 90% लडकियाँ थीं** जिनकी तस्करी देह व्यापार हेतु मजबूर करने के लिए की गयी थी।
- **असम और पश्चिम बंगाल** में वयस्कों एवं बच्चों दोनों के मामलों में मानव तस्करी के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं। दोनों राज्यों में मानव तस्करी की दर भी उच्च है (प्रति 1लाख जनसंख्या पर)। मामलों की उच्च संख्या **इन राज्यों के बांग्लादेश की सीमा के निकट स्थित होने** के तथ्य से जुड़ी हुई थी।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और हरियाणा अकेले ही देश में बच्चों की तस्करी के 85% मामलों के लिए जिम्मेदार हैं।

VISION IAS

 ©Vision IAS

9.10.3. बच्चों के विरुद्ध अपराध

[Crimes against children]

- **2014 के बाद बच्चों के विरुद्ध अपराधों में 5.3% की बढ़ोत्तरी हुई है।**
- **बच्चों का अपहरण या उन्हें बहला-फुसला कर ले जाने** के अपराध बच्चों के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों के 44.5% भाग हैं। इसके पश्चात काफी कम अंतर के साथ यौन अपराधों का स्थान था।
- 2015 में बच्चों के विरुद्ध अपराधों के सभी मामलों के 81% मामले अपहरण और बहला-फुसला कर ले जाने के साथ-साथ यौन अपराध के मामले थे।
- अपराधी और पीड़ित के बीच संबंध के आधार पर किए गए वर्गीकरण के अनुसार **95% से अधिक पीड़ित अपराधी को जानते थे। यह सामान्य रूप से संपूर्ण भारत में बलात्कार की घटनाओं के समान है।**

9.10.4. दलितों के विरुद्ध अत्याचार

[Atrocities against Dalits]

- राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आकड़े से पता चलता है कि पिछले वर्ष अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों के चौंका देने वाले 45,003 मामले दर्ज किए गए थे।
- राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुमानों के अनुसार दलित जनसंख्या के प्रति इस अपराध का आकलन **प्रति 1,00000 व्यक्तियों पर 22.3 व्यक्ति** किया गया था।
- अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों के दर्ज किए गए मामले अनुसूचित जातियों के मामलों की तुलना में एक चौथाई थे-अर्थात् देश भर में 10,914 मामले, इन्हें अनुसूचित जनजाति की **प्रति 100,000 जनसंख्या पर 10.5** की दर के रूप में परिकलित किया गया था।

9.10.5. दंगे की घटनाएँ

[Incidents of rioting]

वर्ष 2015 में दंगे की घटनाएँ 2014 के लगभग समान रहीं, किन्तु सामुदायिक दंगों में कमी के साथ अन्य वर्गों- **कृषि, सांप्रदायिक और छात्र दंगों और जाति संघर्षों** में बड़ी वृद्धि देखी गयी थी।

- **कृषि दंगों के दर्ज किए गए मामलों की संख्या में 327 प्रतिशत की वृद्धि** हुई और 2014 में 628 मामलों की तुलना में वर्ष 2015 में इन मामलों की संख्या बढ़कर 2,683 हो गयी।
- सांप्रदायिक दंगे (Sectarian riots)- इन दंगों को जातीय संघर्ष नहीं बल्कि एक ही धर्म के संप्रदायों के बीच हिंसा के रूप में परिभाषित किया जाता है— इन दंगों की घटनाओं एवं उनकी अपराध-सिद्धि में वर्ष 2014 के निम्नस्तरीय आधार की तुलना में अचानक महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गयी है। इसमें से अधिकतर घटनाएँ उत्तर प्रदेश में हुई हैं।
- राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा **सामुदायिक दंगों में कमी** दर्ज की गयी है, 2014 में इनकी संख्या 1,227 थी जबकि 2015 में इनकी संख्या 789 रह गयी।
- **छात्र दंगों** में 85 प्रतिशत **बढ़ोत्तरी हुई** और इनकी संख्या 261 से 485 हो गयी।
- **देश में सर्वाधिक राजनीतिक दंगों** केरल में होते हैं। **देश में राजनीतिक दंगों** की कुल 1960 घटनाओं में से आधी से अधिक (1,031) घटनाएँ केरल में हुई हैं।

VISION IAS

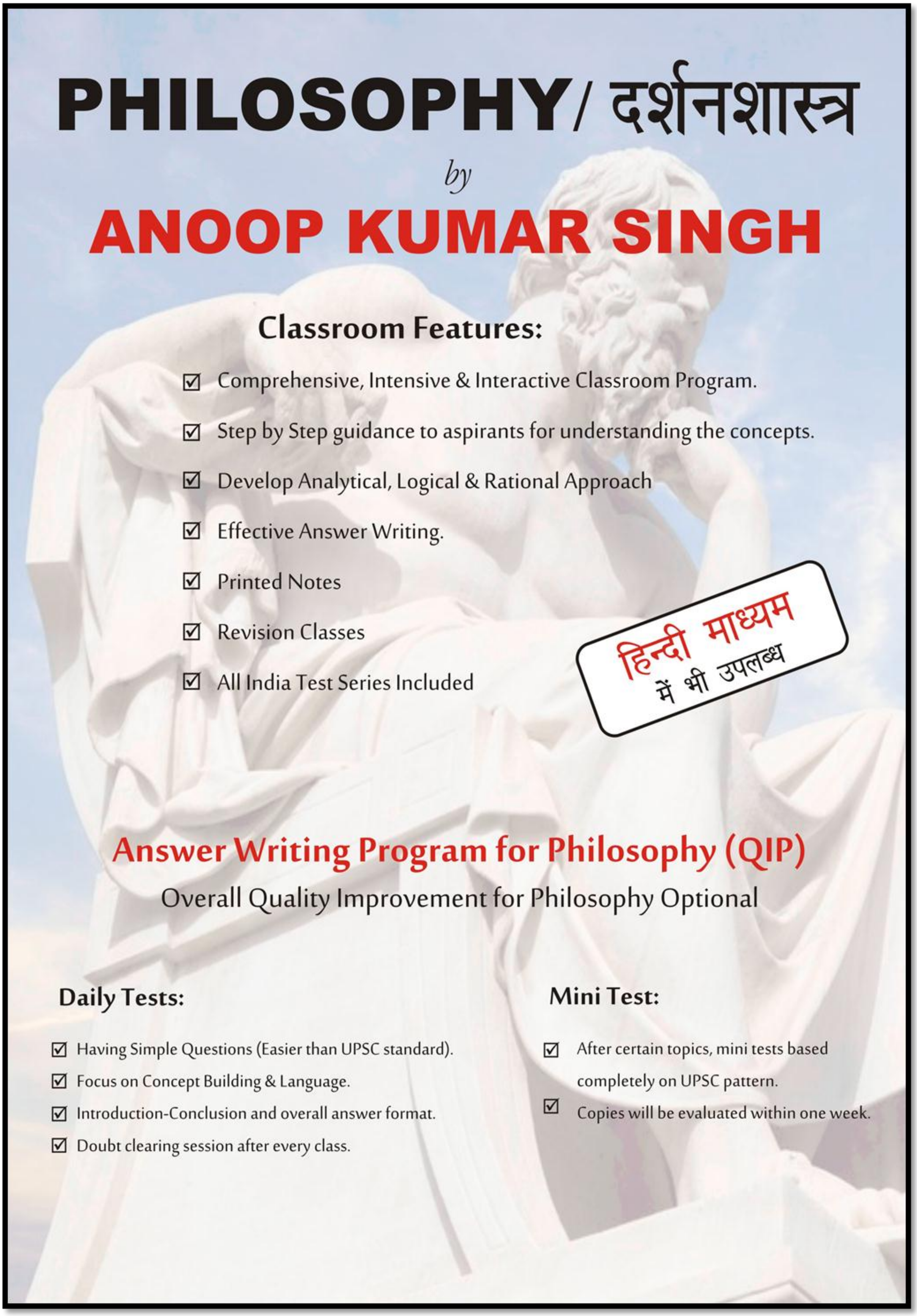
PHILOSOPHY/ दर्शनशास्त्र
by
ANOOP KUMAR SINGH
Classroom Features:
Comprehensive, Intensive & Interactive Classroom Program.
Step by Step guidance to aspirants for understanding the concepts.
Develop Analytical, Logical & Rational Approach
Effective Answer Writing.
Printed Notes
Revision Classes
All India Test Series Included
हिन्दी माध्यम में भी उपलब्ध
Answer Writing Program for Philosophy (QIP)
Overall Quality Improvement for Philosophy Optional
Daily Tests:
Having Simple Questions (Easier than UPSC standard).
Focus on Concept Building & Language.
Introduction-Conclusion and overall answer format.
Doubt clearing session after every class.
Mini Test:
After certain topics, mini tests based completely on UPSC pattern.
Copies will be evaluated within one week.

10. विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न

[Previous Year Questions]

2015

1. भारत में विविधता के किन्हीं चार सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन कीजिये और एक राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में उनके आपेक्षिक महत्व का मूल्य निर्धारण कीजिये।
2. समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिये कि क्या बढ़ती हुई जनसंख्या निर्धनता का मुख्य कारण है या कि निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है।
3. आप उन आंकड़ों को किस प्रकार स्पष्ट करते हैं, जो दर्शाते हैं कि भारत में जनजातीय लिंगानुपात, अनुसूचित जातियों के बीच लिंगानुपात के मुकाबले, महिलाओं के अधिक अनुकूल हैं।
4. पिछले चार दशकों, में भारत के भीतर और भारत के बाहर श्रमिक प्रवसन की प्रवृत्तियों में परिवर्तनों पर चर्चा कीजिये।
5. भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा कीजिये।
6. इस मुद्दे पर चर्चा कीजिये कि क्या और किस प्रकार दलित प्रख्यान (ऐसर्शन) के समकालीन आंदोलन जाति विनाश की दिशा में कार्य करते हैं।
7. भारत में उच्च शिक्षा की गुणता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनाने के लिए उसमें भारी सुधारों की आवश्यकता है। क्या आपके विचार में विदेशी शैक्षिक संस्थाओं का प्रवेश देश में उच्च और तकनीकी शिक्षा की गुणता की प्रोन्नति में सहायक होगा? चर्चा कीजिए।
8. सर्विक स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान करने में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की अपनी परिसीमाएँ है। क्या आपके विचार में खाई को पाटने में निजी क्षेत्र सहायक हो सकता है? आप अन्य कौन-से व्यवहार्य विकल्प सुझाएँगे?
9. यद्यपि भारत में निर्धनता के अनेक विभिन्न प्राकलन किए गए हैं, तथापि सभी समय गुजरने के साथ निर्धनता स्तरों में कमी आने का संकेत देते हैं। क्या आप सहमत हैं? शहरी और ग्रामीण निर्धनता संकेतकों का उल्लेख के साथ समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

2014

1. भारत में एक मध्यम-वर्गीय कामकाजी महिला की अवस्थिति को पितृतंत्र (पेट्रिआर्की) किस प्रकार प्रभावित करता है?
2. क्या कारण है कि भारत के कुछ अत्यधिक समृद्ध प्रदेशों में महिलाओं के लिए प्रतिकूल स्त्री-पुरूष अनुपात है? अपने तर्क पेश कीजिए।
3. संयुक्त परिवार का जीवन चक्र सामाजिक मूल्यों के बजाय आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। चर्चा कीजिए।
4. ऐसे विभिन्न आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक बलों पर चर्चा कीजिए, जो भारत में कृषि के बढ़ते हुए महिलाकरण को प्रेरित कर रहे है।
5. धर्मनिरपेक्षता पर भारतीय वाद-विवाद, पश्चिम में वाद-विवादों से किस प्रकार भिन्न हैं?
6. क्या कमजोर और पिछड़े समुदायों के लिए आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करने के द्वारा, उनकी उन्नति के लिए सरकारी योजनाएं, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना करने में उनको बहिष्कृत कर देती है?
7. खिलाड़ी औलंपिक्स में व्यक्तिगत विजय और देश के गौरव के लिए भाग लेता है; वापसी पर, विजेताओं पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा नकद प्रोत्साहनों की बौछार की जाती है। प्रोत्साहन के तौर

VISION IAS

पर पुरस्कार कार्यविधि के तर्काधार के मुकाबले, राज्य प्रायोजित प्रतिभा खोज और उसके पोषण के गुणावगुण पर चर्चा कीजिये।

8. क्या आई.आई.टी./आई.आई.एम. जैसे प्रमुख संस्थानों को अपनी प्रमुख स्थिति को बनाए रखने की, पाठयक्रमों को डिजाइन करने में अधिक शैक्षिक स्वतंत्रता की और साथ ही छात्रों के चयन की विधाओं/कसौटियों के बारे में स्वयं निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए? बढ़ती हुई चुनौतियों के प्रकाश में चर्चा कीजिये।
9. सरकार की दो समांतर चलाई जा रही योजनाओं, यथा 'आधार कार्ड' और 'राष्टीय जनसंख्या रजिस्टर' (एन.पी.आर), एक स्वैच्छिक और दूसरी अनिवार्य, ने राष्ट्रीय स्तरों पर वाद-विवादों और मुकदमों को जन्म दिया है। गुणों-अवगुणों के आधार पर चर्चा कीजिए कि क्या दोनों योजनाओं को साथ-साथ चलाना आवश्यक है या नहीं है। इन योजनाओं की विकासात्मक लाभों और न्यायोचित संवृद्धि को प्राप्त करने की संभाव्यता का विश्लेषण कीजिये।

2013

1. भारत में तीव्र शहरीकरण प्रक्रिया ने जिन विभिन्न सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया, उनकी विवेचना कीजिए।
2. "महिला संगठनों को लिंग-भेद से मुक्त करने के लिए पुरूषों की सदस्यता को बढ़ावा मिलना चाहिए।" टिप्पणी कीजिए।
3. भारत में वृद्ध जनसमूह पर वैश्वीकरण के प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
4. प्रादेशिकता की बढ़ती हुई भावना, पृथक् राज्य की माँग का प्रमुख कारण है। विवेचना कीजिए।
5. मध्याह्‍ भोजन योजना की संकल्पना भारत में लगभग एक शताब्दी पुरानी है जिसका आरम्भ स्वतंत्रता-पूर्व भारत के मद्रास महाप्रान्त (प्रेसिडेंसी) में किया गया था। पिछले दो दशकों से अधिकांश राज्यों में इस योजना को पुनः प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके दोहरे उद्देश्यों, नवीनतम आदेशों और सफलता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (200 शब्द)
6. केन्द्र सरकार प्रायः राज्य सरकारों के समाज के अतिसंवेदनशील वर्गों के कष्ट निवारण में खराब प्रदर्शन की शिकायत करती है। जनसंख्या के अतिसंवेदनशील वर्गों के सुधार हेतु सभी क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं की पुनर्रचना का उद्देश्य राज्यों को उनके बेहतर कार्यान्वयन में लचीलापन प्रदान करना है। समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (200 शब्द)
7. भ्रष्टाचार को नगण्य करने, अपव्यय को समाप्त करने और सुधारों को सुगम बनाने हेतु कल्याणकारी योजनाओं में इलेक्ट्रानीय नकद हस्तांतरण प्रणाली एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है। टिप्पणी कीजिए। (200 शब्द)
8. ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा) का आधार संयोजकता (मेल) स्थापित करने में निहित है। टिप्पणी कीजिए। (200 शब्द)
9. उन सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को पहचानिए जो स्वास्थ्य से संबंधित है। इन्हें पूरा करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाई की सफलता की विवेचना कीजिए। (200 शब्द)

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

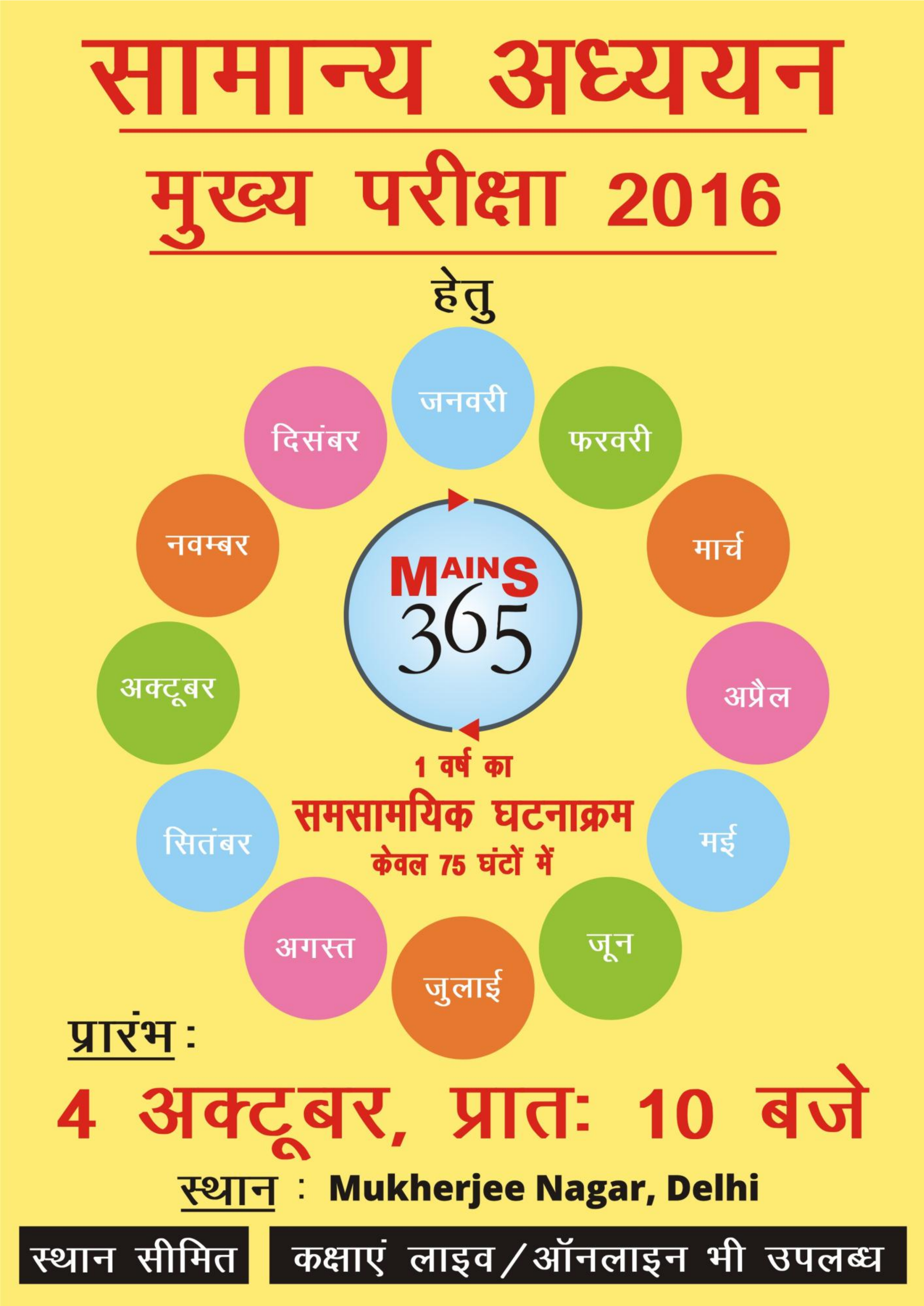
सामान्य अध्ययन
मुख्य परीक्षा 2016
हेतु
जनवरी
फरवरी
मार्च
अप्रैल
मई
जून
जुलाई
अगस्त
सितंबर
अक्टूबर
नवम्बर
दिसंबर
MAINS 365
1 वर्ष का
समसामयिक घटनाक्रम
केवल 75 घंटों में
प्रारंभ :
4 अक्टूबर, प्रातः 10 बजे
स्थान : Mukherjee Nagar, Delhi
स्थान सीमित
कक्षाएं लाइव/ऑनलाइन भी उपलब्ध